



बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेन्डर बजट

GENDER BUDGET

2024-25





GENDER BUDGET

2024-25

Government of Bihar
Finance Department

CONTENTS

(विषय सूची)

1	Preface	01
	प्राक्कथन	02
2	Overview : Gender Budgeting	03
	जेंडर बजटिंग : अवलोकन	42
3	Gender Budgeting in Bihar	05
	बिहार में जेंडर बजटिंग	44
4	Efforts for Women Development	10
	महिला विकास के प्रयास	49
5	Important Schemes for Women and Girls in Bihar	15
	महिलाओं और लड़कियों के लिए चलने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं	54

LIST OF TABLES

(तालिका सूची)

Table 1	Classification of Gender Budget	6
	जेंडर बजट का वर्गीकरण	44
Table 2	Comparative Indicators of Male and Female	8
	पुरुषों और महिलाओं के लिए तुलनात्मक सूचक	46
Table 3	Comparative Indicator of status of women in Bihar	8
	बिहार में महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक सूचक	47
Table 4	Gender Budget : Expenditure for Women	9
	जेंडर बजट : महिलाओं के लिए व्यय	48
Table 5	Department-wise Statement	34
	विभागवार विवरणी	75
Table 6	Departmentwise Gender Budget F.Y 2024-25	35
	वर्ष 2024-25 के जेंडर बजट के अंतर्गत विभागवार प्रावधानित राशि	76
Table 7	Establishment and Committed Expenditure	36
	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	77
Table 8	Scheme (State Scheme/Central Scheme)	37
	स्कीम (राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम)	78
Table 9	Class-A- 100% for Women	38
	श्रेणी-ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत	79
Table 10	Class-B- 30% for Women	39
	श्रेणी-बी – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम	80

LIST OF FIGURES

(चित्र सूची)

Figure 1	Holistic View of Gender Budgeting	4
चित्र-1	जेडर बजट : समग्र दृष्टिकोण	42
Figures 2	Gender Equality through Gender Budgeting	5
चित्र-2	जेंडर बजट निर्माण के जरिए लैंगिक समानता	43
Figure 3	Progress of Gender Budgeting in Bihar	6
चित्र-3	बिहार में जेंडर बजट की प्रगति	44
Figure 4	Types of Schemes in Gender Budget	7
चित्र-4	जेंडर बजट में योजनाओं के प्रकार	45
Figure 5	Comparative Indicators for India and Bihar	7
चित्र-5	भारत और बिहार के लिए तुलनात्मक सूचक	46
Figure 6	Share of Women in the Total Budget of Bihar	9
चित्र-6	राज्य बजट में महिलाओं का हिस्सा	48

अनुसूची	विभागवार विवरणी	81-134
---------	-----------------	--------

Preface

The State Government is committed towards the inclusive, equitable and sustainable development of the State. The State Government has been making efforts to promote gender equality at all levels including social, economic, cultural and governance in the State. This is evident from laws, policies, programmes and schemes aimed at enhancing women's empowerment. Gender budgeting aims to reduce gender inequality in planning and budgetary exercises and its main objective is to assess gender-specific impacts on allocations and expenditures.

Human development is dependent on empowerment of 498.21 lakh women and girls (Census 2011), which accounts for 48 percent of the total population. This is about half the total population. Yet, a substantial number of women and girls lag behind on many social indicators such as health, education, economic opportunities, etc. To take optimum advantage of this demographic segment, adequate and comprehensive investment in the direct and indirect welfare of women has become necessary. It is also noteworthy that goal number 5 of the Sustainable Development Goals (SDGs) issued by the United Nations and accepted by the Central and State Governments focuses on gender equality and empowerment of women and girls. Similarly, to bring women into the mainstream, the Bihar government has been preparing a gender budget since 2008-09.

Bihar's Gender Budget is an initiative for the all-round development of its women and girls. To fulfil this objective, the process of Gender Budget includes gender perspective in all stages of policy making at the state level. Over the last fifteen years since the beginning of Gender Budget in Bihar, the state government has undertaken several financial regulations, structural policies and programmes to emphasise gender equality. Today, Bihar is among the pioneer states in adopting and making progress in gender budgeting. The main objective of Gender Budget is to create a positive impact in the lives of women and girls through financing.

Therefore, Gender Budget helps all departments to review their plans and budgets from gender perspective. Many initiatives of the state government like Jeevika and 'Shashakt Mahila– Shaksham Mahila' are the targets set under Saat Nishchay-2, where there is a provision of 35 percent reservation for women in government jobs including that of teachers and 33 percent reservation for girls in engineering colleges, etc. This shows the commitment of the state towards the development of women. It is hoped that this document is used as a tool which will help in reviewing all programmes and policies related to women.

प्राक्कथन

राज्य के समावेशी, समतामूलक तथा सतत् विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील रही है। राज्य सरकार के कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जेंडर बजट का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सरकार के स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं और बजट में लैंगिक असमानता को कम करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी लगभग 498.21 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा (48 प्रतिशत) है। महिलाओं और बालिकाओं का कुल जनसंख्या में पर्याप्त अनुपात होने के बावजूद भी कई सामाजिक संकेतकों यथा—स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर इत्यादि में अभी पीछे हैं। इन जनसांख्यिकीय भाग का इष्टतम लाभ हेतु महिलाओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कल्याण के लिए पर्याप्त एवं समग्र निवेश आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी एवं केन्द्र तथा राज्य स्तर पर स्वीकृत 17 सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) की लक्ष्य संख्या—5 लैंगिक समानता तथा महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008—09 से जेंडर बजट तैयार किया जा रहा है।

जेंडर बजट महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य स्तर पर नीति निर्माण के सभी चरणों में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए जेंडर बजट की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। बिहार में जेंडर बजटिंग लगभग 15 (पन्द्रह) साल का सफर तय कर चुका है। विगत वर्षों में सरकार द्वारा लैंगिक समानता पर बल देते हुए कई वित्तीय विनियमन और संरचनात्मक नीतियों तथा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जेंडर बजटिंग को अपनाने और प्रगति के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य वित्त पोषण के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक प्रभाव सृजित करना है। यह दस्तावेज राज्य के सभी विभागों को जेंडर दृष्टिकोण से योजनाओं एवं बजट की समीक्षा करने में सहयोग करता है। राज्य सरकार के कई पहल जैसे— जीविका, सात निश्चय—2 के तहत निर्धारित लक्ष्य— ‘सशक्त महिला—सक्षम महिला’, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण, इन्जीनियरिंग कॉलेजों में 33 प्रतिशत आरक्षण इत्यादि सरकार की महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आशा है कि इस दस्तावेज का उपयोग एक समीक्षा उपकरण के रूप में किया जा सकेगा। इससे महिला सरोकारों से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों की समीक्षा करने में मदद मिलेगी।

Overview : Gender Budgeting

Gender Budget is a means of analysing gender priorities in government policies and is a powerful initiative that can bring change in the social and economic status of women and girls. It is a tool that translates the government's gender commitments into budgetary obligations. This budget is a means of reducing the gap between men and women in society.

Gender Budget is not a separate budget. It is the separation of gender-based programmes from the main budget and presents gender commitments in the form of a budget. The aim of the gender budget is to see various programmes through a gender lens to meet the specific needs of women. Thus, gender budget refers to the financial allocation for specific programs to be implemented for gender equality and women empowerment. Through this entire process, the government provides opportunities for the social and economic development of women. To provide women a fair share in relation to their rights, efforts were made to make women-sensitive budgets in other departments and sectors as well, rather than limiting them to the traditional departments of the government such as education, health, social welfare, labour resources, etc.

Objective of Gender Budgeting

1. Segmentation of main budget to find out gender-based outcomes,
2. Converting gender commitment into budgetary commitment,
3. To assess what share of its budget the government allocates to meet the specific needs of women in the areas of health, education, welfare, etc.,
4. To bring women into the mainstream through smooth and positive budgetary management.

Background of Gender Budgeting

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is an international treaty adopted by the United Nations General Assembly in 1979 to promote gender equality. It is also known as the 'International Bill of Rights of Women' which came into force in 1981. Additionally, the United Nations organized four World Conferences on Women in Mexico City in 1975, in Copenhagen in 1980, in Nairobi in 1985 and in Beijing in 1995. The World Conference in Beijing in 1995 proved to be an important turning point for the global agenda of gender equality. The document of the Beijing Conference and Platform for Action is considered to be the main document of women empowerment and gender equality. The concept is considered as an innovative fiscal tool towards gender equality. So far, more than 80 countries have adopted gender budgeting. Australia was the first country in the world to initiate gender-responsive budgeting in

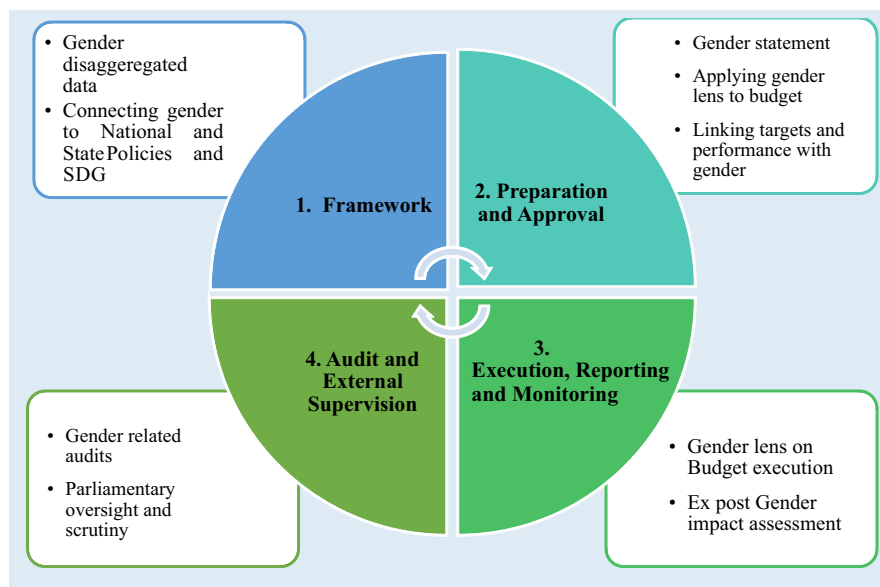
1984. Later, Canada started in 1993 and South Africa and the Philippines followed in 1995. Subsequently, many countries have taken this initiative at the national and sub-national levels of the government.

For the first time, the empowerment of women was included as a goal in the Eighth Five-Year Plan to improve the status of women in India. This was taken forward in the Ninth Plan with the Women Component Plan and it was made mandatory for identified ministries to report the flow of funds for women's programmes. Later, the Twelfth Plan identified key indicators of gender equality to be addressed in the planning process through economic, social and cultural empowerment. India made the Gender Budget a part of the Union Budget for the first time in 2005-06. Subsequently, 16 states and 2 union territories adopted the Gender Budget in their fiscal systems. Bihar started it from 2008-09. Under this, the government's schemes are classified and analysed based on their implications regarding the needs of women.

Gender Budget planning includes the following tasks:

- (a) Allocation of adequate resources and formulation and implementation of women-sensitive programmes. This helps in reducing the gap between policy commitments and allocations made towards women;
- (b) Mainstreaming women's concerns in public expenditure and policy;
- (c) To conduct a gender audit of public expenditure and implementation of programmes and policies.

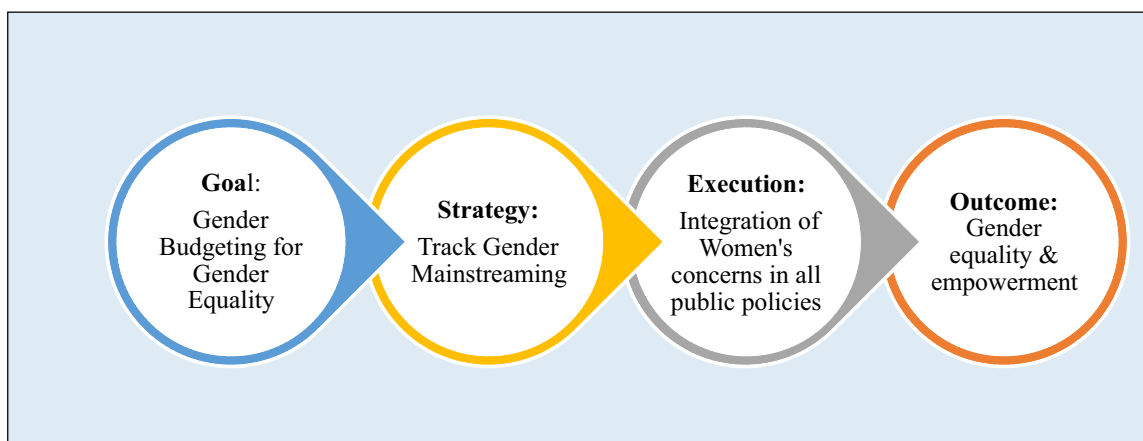
Figure 1: Holistic View of Gender Budgeting



Gender Budgeting in Bihar

Gender budgeting is a powerful tool to connect women with the mainstream. This ensures that the benefits of development reach out to every woman in the state, whether in rural or urban areas. It is a continuous process of including gender perspectives in the formulation and review of policies and programmes. Women constitute half of the total population, hence there is a need to draw attention to the status of women in areas such as health and nutrition, education, livelihood and property ownership. To fulfil these needs of women through financial support, the Bihar government started the gender budgeting process. The Gender Budget document for 2024-25 presents the details of expenditure on women and the amount of expenditure to be incurred in 2024-25.

Figure 2: Gender Equality through Gender Budgeting



The gender budget provides important information on the state's financial allocations from a gender perspective. For this, the schemes and programmes of various departments are reviewed from a gender perspective. To encourage gender mainstreaming, it looks at the actual expenditure of the previous year, the revised estimate of the current year and the proposed estimate of the next year from a gender lens. Some key facts of this document are:

1. To identify government schemes and programmes of various departments that address the development of women.
2. To analyze the percentage of expenditure on women under various schemes, so that women are brought into the mainstream through targeted financial and implementation strategies.
3. To check the state's allocation on women in proportion to the total state budget and gross state domestic product.
4. Linking Gender Budgeting to Outcome Budgeting.

5. To formulate various strategies based on the budgetary preferences of women.

Figure 3: Progress of Gender Budgeting in Bihar

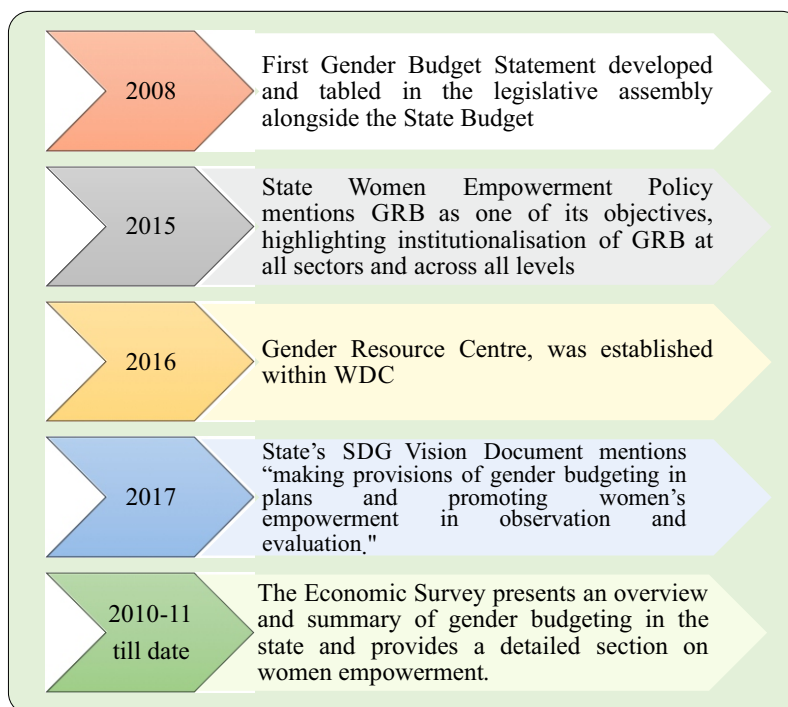


Table 1: Classification of Gender Budget

Category A	100% expenditure on women and girls	Schemes and programmes whose entire allocation is for the welfare of women and girls.
Category B	30% and above but less than 100% expenditure on women	Schemes and programmes in which some component is for women and girls and is between 30% to 99%.

Gender budget analysis is done in three parts:

- ❖ **Actual Expenditure (AE):** Actual expenditure to be incurred by departments on women in the year 2022-23.
- ❖ **Revised Expenditure (RE):** Estimate of expenditure on remaining services for the year 2023-24 after mid-year review.
- ❖ **Budget Estimate (BE):** Forecast for the year 2024-25 based on the trend of probable expenditure and receipts of the previous budget presentation.

Specific schemes targeted for women: Schemes in which 100 percent of the provision is for women.

Gender-related schemes: These are schemes in which at least 30 percent of the allocation is for women. It contains schemes implemented by various departments, which directly or indirectly benefit women or girls. Gender budgeting is the measurement and evaluation of benefits to women or girls on the basis of objectives of planning, output-cum-outcomes, which helps in the process of further facilitating gender equality as a guide.

Figure 4: Types of Schemes in Gender Budget

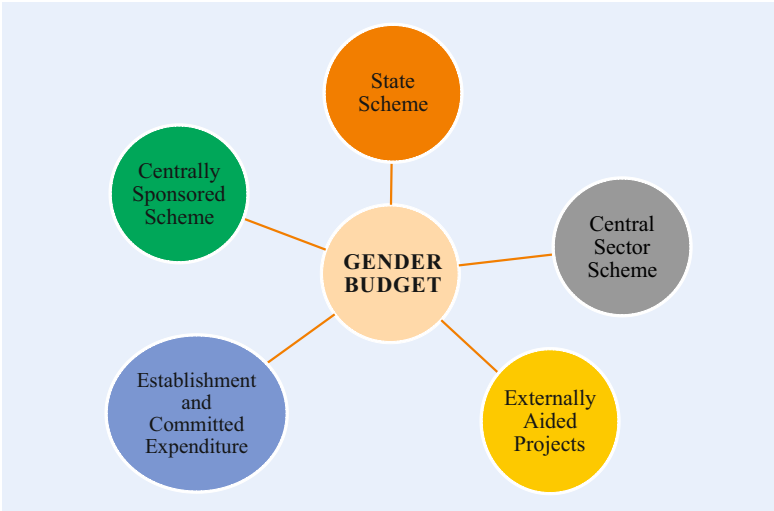


Figure 5 : Comparative Indicators for India and Bihar

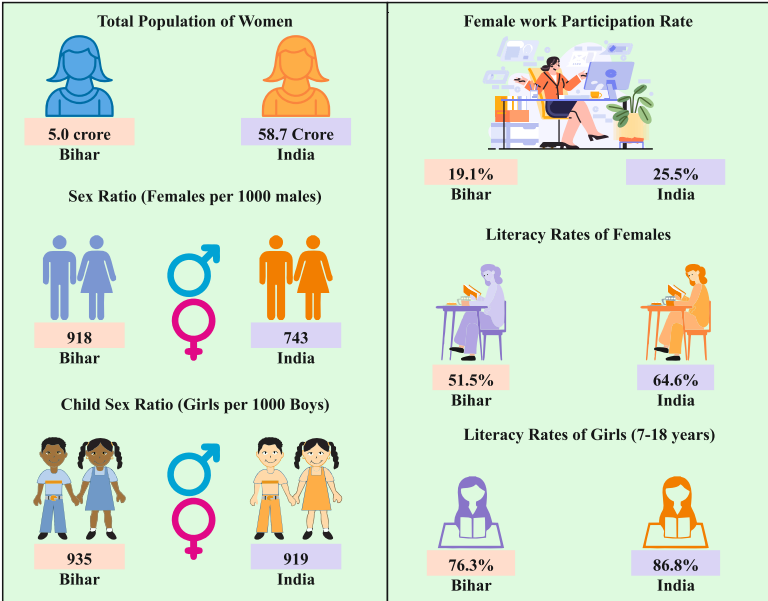


Table 2: Comparative Indicators of Male and Female

Sl.No.	Indicators	Bihar		India		Source
		Male	Female	Male	Female	
1	Total Population (crore) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	Census2011
2	Sex Ratio (All Ages) (2011)	1000	918	1000	943	
3	Child Sex Ratio (0-6 years) (2011)	1000	935	1000	919	
4	Work Participation Rate (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	Literacy Rate (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	Literacy Rate (7-18 years) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

The above table displays the status of women in Bihar and India. In terms of child sex ratio, Bihar has a higher child sex ratio (935) than India (919). But in some other indicators like sex ratio (all age groups) (918), work participation rate (19.1), etc. the women still lag behind. To address all these, many initiatives have been taken at the state level.

Table 3: Comparative Indicator of status of women in Bihar

Sl. No.	Indicators	2019-20	2015-16	Increase/ Decrease	Source
Educational Indicators					
1	Literacy (%)	55.0	49.6	5.4	NFHS
2	Women with 10 or more years of schooling (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
Health Indicators					
3	Institutional Delivery (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	Body Mass Index below normal (15-49 yrs.)(%)	25.6	30.4	-4.8	NFHS
5	Females from 15-49 years who are anaemic(%)	63.5	60.3	3.2	NFHS
Empowerment Indicators					
6	Currently married women who generally participate in household decisions (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	Women having a bank account or savings that they use themselves (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
8	Women hav ing mobile phones which they use themselves (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

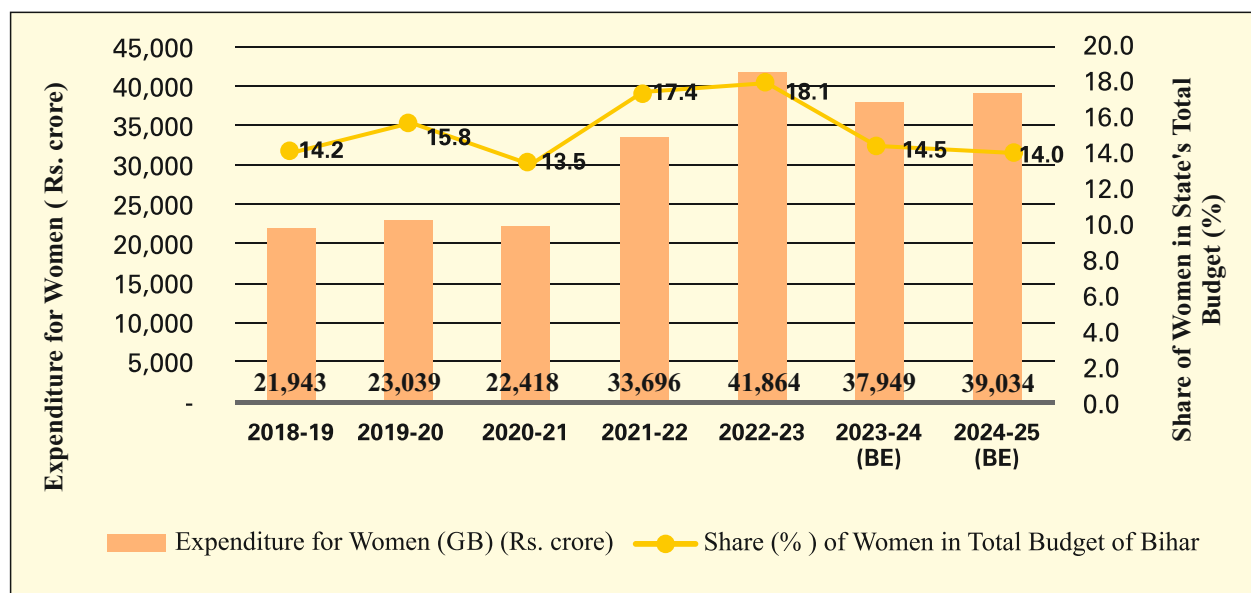
The above indicators show that between two periods, 2015-16 and 2019-20, the status of women in Bihar has steadily improved. Most importantly, the empowerment indicator of women having their own savings account has increased by 50.3 percentage points between 2015-16 and 2019-20. Therefore, the results of gender budgeting, which was started with the aim of all-round development of women in Bihar, are now visible.

Table 4: Gender Budget : Expenditure for Women

(Rs. crore)

Details	2018-19 (AE)	2019-20 (AE)	2020-21 (AE)	2021-22 (AE)	2022-23 (AE)	2023-24 (BE)	2024-25 (BE)
State Budget Outlay	154655	146097	165696	193123	231904	261885	278726
Expenditure for Women (GB)	21943	23039	22418	33696	41864	37949	39034
Share (%) of Women in State Budget of Bihar	14.19	15.77	13.53	17.45	18.05	14.49	14.00
Identified Departments' Total Budget	88080	84310	90269	112571	130030	139358	81050
Share (%) of Women in Reporting Departments	24.91	27.33	24.83	29.93	32.20	27.23	48.16
Gross State Domestic Product (GSDP)	530363	617153	618628	675448	751396	858928	976514
Share (%) of Women in GSDP	4.14	3.73	3.62	4.99	5.57	4.42	4.00

Figure 6: Share of Women in the Total Budget of Bihar



Efforts for Women Development

Women play a fundamental role in the society. The overall progress of a society depends on the progress of women. Societies in which women see consistent growth have been known to prosper themselves. It is through the empowerment of women that societies can ensure their growth. Women empowerment is possible only when women have equal opportunities in the economic, social and political fields and also can influence the direction of social change. Under the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, 'Goal-5', addressing challenges like poverty, inequality and violence against women and their solutions, is a major goal of global success. The state government has consistently made efforts towards mainstreaming gender and advocating gender budgeting interventions at the district and state levels. Some major programmes/schemes launched by the government for empowerment of women during the last few years are as follows:

Aarakshit Rojgar Mahilaon Ka Adhikar: A horizontal reservation of 35 percent has been provided to women in all government jobs in the state under the vision '**Aarakshit Rojgar Mahilaon Ka Adhikar**'. Also, a provision of 50 percent reservation has been made for women in Panchayati Raj Institutions and Municipal Bodies, which has increased their contribution and participation in the political sector.

Many efforts have been made in the direction of improving the status of women in the state and for their empowerment. Schemes like Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana, Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana, Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana, Mukhyamantri Balika Cycle Yojana, Scheme to promote formal education among girls, Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana, Mukhyamantri Balika Poshak Yojana, Mukhyamantri Akshar Aanchal Yojana, Deendayal Upadhyay Gram Jyoti Scheme, Har Ghar Bijli Yojana, State Women Empowerment Policy 2015, Mukhyamantri Nari Shakti Yojana, under which women/girls are empowered through efforts like Women Helpline Scheme, Short Stay Home, Social Awareness, One Stop Center Scheme, Beti Bachao Beti Padhao Scheme, etc. meaningful efforts have been made for the all-round development of women in the state.

Important efforts and achievements made in this context are mentioned as follows:

1. Women Participation in Government Sector

- The state government is providing 35 percent horizontal reservation for women in all direct recruitments in all state government services/grades.
- In the background of this women reservation policy, a total of 108192 women got regular government jobs out of a total of 228256, from April 2023 till present. This accounts for 47.40 percent of the total regular appointments. This is 12.40 percentage points more than the reserved (35%) share.

- In order to increase the representation of women in PRIs and urban local bodies, there is a provision of 50 percent reservation for women in local bodies.
- The major responsibility of the police force is to maintain the law and order in the state. Between 2021-22 and 2022-23, a total of 46 female police officers in the rank of DSP, 1661 female police sub-inspectors and 8128 female police personnel were recruited in the police force of the state.

2. Reservation and Incentive for Girls/Women in Education

- In line with the Government of Bihar's policy to encourage female students to pursue higher technical education, 33 percent (one-third) of the total seats under degree level and above courses are reserved for girls/women in all the institutions affiliated with Bihar Engineering University.
- Under incentive to women for higher education, unmarried women who have passed Intermediate or equivalent, so far, 12,42,259 girl students have been benefited at the rate of Rs. 25,000 per student. Similarly, for graduate/equivalent courses, 1,61,513 unmarried girl students have been benefited so far at the rate of Rs. 50,000 per student.
- At present, under Awsar Badhe, Aage Padhe, the construction of six buildings for B.Sc. Nursing Colleges, 16 General Nursing and Midwifery (GNM) Institutes, 21 Para Medical Institutes, 4 Pharmacy Colleges, 19 Polytechnic Institutes, 23 Women Industrial Training Institutes, 30 Engineering Colleges, 50 Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) Institutes and 58 Industrial Training Institutes have been completed.
- Apart from this, 10 B.Sc. Nursing Colleges, 7 GNM, 7 Para Medical Institutes, 1 Pharmacy College, 8 Women Industrial Training Institutes, 1 Engineering College, 4 ANM Institutes and 18 Industrial Training Institutes are under construction.
- Under Mukhyamanrti Balika Poshak Yojana, in 2022-23, against the target of 49.9 lakh, 49.4 lakh students have got the benefit of the scheme. Also, against the target of Rs. 387.41 crore, more than 99 percent, Rs. 383.79 crore has been disbursed under the scheme.

3. Women Entrepreneurship

- Under the special scheme for women entrepreneurship - Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana, between 2021-22 and 2023-24 a total of Rs. 451.35 crore was distributed among 7,596 selected beneficiaries.

- With the registration of 33 producer companies, women farmers are being encouraged, and their products are collected and linked to the market. These companies are being run by women. The target is to connect 5 lakh families with entrepreneurship development, additional income generation and employment generation by 2024-25.
- Under Mukhyamantri Udyami Yojana, 40 members have been selected as entrepreneurs and a bag cluster has been developed in Muzaffarpur.
- With the support of the Ministry of New and Renewable Energy, Jeevika Didis are running a solar shop after getting training in solar lamp manufacturing. A total of 372 Didis are associated with this venture. J-WIRES Company has been established in Gaya district to run this enterprise.
- To encourage entrepreneurship among females living in the slums of Patna Municipal Corporation, Swachangini Pariyojana has been started under which women are provided the opportunity of self-employment through entrepreneurship. This enhances the capacity of women and helps their holistic development. Such women of Swachangini Pariyojana were invited as special guests in the Republic Day Parade of 2024.

4. Livelihood Promotion (Jeevika)

- Bihar government's ambitious project "Jeevika" is working for the development and empowerment of women and eradication of rural poverty in Bihar. Till now, a total of 10.47 lakh self-help groups have been formed by Jeevika, under which more than 1 crore 30 lakh families have been linked to the groups. In 2024-25, about 1.03 lakh new groups will be formed. It has also been decided by the government that self-help groups will be formed through Jeevika in urban areas. About 20 lakh new families will be connected to self-help groups through about 1 lakh new groups. In 2024-25, financial assistance of about Rs. 150 crore will be provided to newly formed self-help groups for livelihood promotion.
- Cluster is being developed through selecting 85 organic farming crops grown by women.
- There is a target to cover 10 lakh families with animal husbandry by 2024-25.
- With the help of the State Horticulture Mission, Agriculture Department, 11789 women associated with self-help groups are doing beekeeping work. So far 2724.7 metric tons of honey has been produced.

- The banks aim to provide loans to self-help-groups (SHG) worth approximately Rs. 10 thousand crore in 2024-25. The target is to open about 2000 new customer service centres by Jeevika Didis in 2024-25. Also, there is a target to cover 1 crore 4 lakh Jeevika Didis with insurance in 2024-25 and cover 52 lakh women farmers by 2024-25.
- In convergence with the Health Department, 82 'Didi Ki Rasoi' are being operated by Jeevika Didis in hospitals, in 81 Scheduled Caste and Scheduled Tribe residential schools and in 29 other institutions. Till now, a total of 194 'Didi Ki Rasoi' are being operated. The target is to open 50 more 'Didi Ki Rasoi' in 2024-25.
- Jeevika Didi's sewing house has been operated for sewing of costumes for the trainees at Bihar Police Academy, Rajgir. Presently, Jeevika Didi's 'Sewing House' is running in Koilwar and Goraul where 700 Jeevika Didis are working.
- In coordination with the MNREGA scheme of the Rural Development Department and the Environment, Forest and Climate Change Department, 789 units of Jeevika Didis have developed nurseries (Didi Ki Nursery), of which 403 nurseries were developed under MNREGA and 310 in coordination with the Environment, Forest and Climate Change Department. So far 3.39 crore saplings have been planted.
- To provide proper support to the children of rural families to get a complete education and correct guidance regarding career building, 'Jeevika Library' has been established at the identified clusters in 100 blocks of 32 districts of Bihar.
- Working towards skill development, Jeevika provides skill development training to the youth in the fields of demand-based retail business, health, construction, auto, electricity etc. So far, about 3.33 lakh youth have been trained and employed or self-employed in the field of skill development. The target is to train and employ 35 thousand youth in 2024-25.
- Jeevika has established two centres -- Bihar Migrant Resource Centre in Delhi and Bangalore.

5. Encouragement for Competitive Examinations

- To encourage women candidates who have passed the preliminary examination of the Civil Services Competitive Examination conducted by the Bihar Public Service Commission and Union Public Service Commission and to motivate them to prepare for the mains examinations, a lump sum amount of Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000 is payable to such woman candidates to help in qualifying BPSC and UPSC examinations. Under the Civil Services Protsahan Yojana, the Women and Child

Development Corporation has so far benefited 1405 women candidates for BPSC and 80 for UPSC. A total of Rs. 7 crore 82 lakh and 50 thousand has been paid by the corporation so far for this scheme.

6. Training and Support

- Mahila Evam Bal Vikas Nigam is providing training to women and adolescent girls under Service Field Training under Mukhyamantri Nari Shakti Yojana with the aim of vocational training and capacity development to make them skilled/self-reliant in business. There is also a provision for placement and self-employment after training. Under the service sector, women are provided training in housekeeping, beautician, computer and sales management by training institutes/institutions having specific experience and qualifications in the work field. The training is free of cost and is given by institutions listed under the Bihar Skill Development Mission. A total of 16021 trainees have been trained by the Corporation through 623 batches so far.
- A Social Rehabilitation Fund has been constituted for the rehabilitation of needy women and adolescent girls. A maximum grant of Rs. 15,000 per beneficiary is given through the district officials. A total of 1283 beneficiaries have benefited from this fund so far.
- To solve the problems of women and adolescent girls who are harassed in the family and society, Short-stay Homes are being run with the objective of providing short-term shelter facilities with training till rehabilitation is done. In 2022-23, out of 8002 registered cases, about 87 percent cases (6952) have been disposed. In 2023-24, up to September, about 90 percent cases have been solved.

7. Other Initiatives

- Special nutrition scheme for children, adolescents and women.
- Program/Schemes related to welfare and empowerment of women and children.
- Implementation of all acts related to the welfare, development and empowerment of women and children.

Important Schemes for Women and Girls in Bihar

The gender budget document reflects the provisions made under various schemes run for women and girls. The objective of these schemes is the welfare of women in general and women empowerment in particular. For this, various government departments are implementing women-centric schemes and programmes. Such Schemes directly or indirectly benefit various categories of women in both rural and urban areas. Women Development Corporation and various other relevant departments of the Government of Bihar run numerous welfare schemes like skill development, training, etc. for the empowerment of Anganwadi workers, women from minority community and other economically deprived community. The details of the schemes run by different departments are as follows:

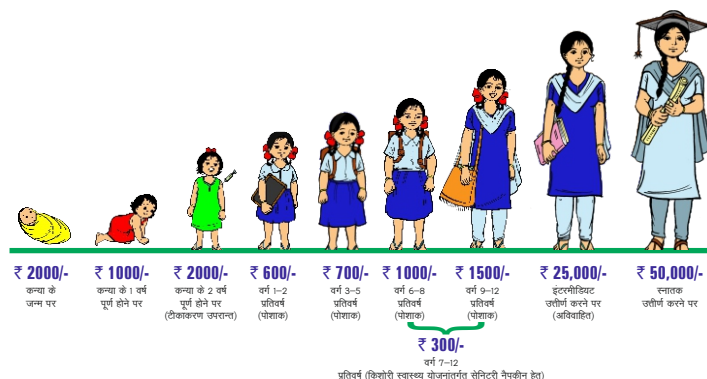
Social Welfare Department

1. Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

The objective of this scheme is to provide financial assistance to poor families at the time of marriage, to encourage registration of marriage and encourage education of girl child to prevent child marriage. Under this scheme, a sum of Rs. 5000 is given to the daughters, belonging to BPL families or other marginalised families whose annual income is up to Rs. 60,000 through DBT at the time of marriage. In the financial year 2023-24, a sum of Rs. 6384.03 lakh was provided against the budget outlay of Rs. 10043.25 lakh by which 1,27,308 people were benefited.

2. Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana

The scheme has been implemented by the state government with an objective to stop female feticide, encourage birth registration, complete vaccination of girls, increase sex ratio, reduce girl child mortality rate, promote girl education, stop child marriage and curb total fertility. Under this scheme, girls are provided incentives at various stages of life from birth to graduation, like – on birth of a girl child, an amount of Rs. 2000 is given to the mother/father/guardian through DBT. Then, when the child completes one year of age and her Aadhaar registration is done, Rs. 1000 is given to her parent's/guardian's account. But, the benefit of this scheme is limited to two girl children of the family. In 2023-24, a total of 2,87,613 girls have been benefitted.



3. Mukhyamantri Nari Shakti Yojana

Mukhyamantri Nari Shakti Yojana is run for the integrated development and empowerment of women and adolescent girls.

3.1 Civil Sewa Protsahan Yojana under Mukhyamantri Nari Shakti Yojana

The purpose of the scheme is to empower and encourage girls to participate in civil services. Under this scheme, the female candidates who qualify in the preliminary test (PT) of the Civil Services Competitive Examinations are provided with 'Civil Services Incentive Fund' to prepare for the Main examination. All the eligible female candidates are given a lump sum incentive amount of Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) and Rs.1,00,000/- (One Lakh) for passing the Preliminary Test (PT) conducted by Bihar Public Service Commission, Patna and Union Public Service Commission, New Delhi respectively to further prepare for the main examination and interview. In 67th & 68th BPSC combined examination, a total of 1198 and 207 female candidates passed the PT examination and are paid the incentive amount, out of which 108 female candidates have been finally selected.

3.2 One Stop Center-cum-Women's Helpline

In all the 38 districts of the state, counselling services are provided to women who are victims of domestic violence to help them in saving their homes from breaking, assist in filing FIRs in police stations as per requirement and provide legal aid, etc. Women helpline 181 has been established under the supervision of the District Magistrates in all 38 districts and is operational 24x7. In the year 2023-24 the total number of cases registered in the Women Help Line-cum-One Stop Centre was 2075 and the total number of cases disposed is 1950.

3.3 Short-stay home

To solve the problems of women and adolescent girls who are harassed in the family and society because of domestic violence, sexual harassment, human trafficking, dowry or other reasons, they are provided socio-psychological counselling, medical aid, legal assistance, skill development and capacity building. Short-stay homes are being run with the objective of providing short-term shelter facility till rehabilitation is complete. In the current financial year, the total number of inmates registered in the short-stay homes is 294 and the total number of rehabilitated inmates is 308.

3.4 Vishesh Mahila Koshang (Special Women Cell)

Special Women Cells have been established in 23 police stations of Patna district to create a favourable environment for women in the police stations, along with counselling and assisting women and adolescent girls in filing FIRs. The Corporation has appointed a counsellor in each special women's cell. These Cells are being operated in various police stations in 6 districts of the state in collaboration with the Women and Child Development Corporation and Tata Institute of Social Sciences (TISS).

3.5 Samajik Punarwas Kosh (Social Rehabilitation Fund)

A fund has been arranged for the rehabilitation of needy women and adolescent girls under Mukhyamantri Nari Shakti Yojana, which is known as 'Social Rehabilitation Fund'. This

fund is set up to provide financial assistance for medical, educational, social and economic rehabilitation of women and their dependent children below 5 years of age who are victims of domestic violence and harassment, social and criminal violence, human trafficking, witchcraft etc. For this, 38 districts of the state have been classified into two groups – source and destination. There is a provision to pay a maximum of Rs. 15,000 as a grant to any victimized woman or adolescent girl by the District Officer. In the financial year 2023-24, the payment was made to a total of 1236 beneficiaries from the fund.

4. Seva Prakshetra Prashikshan (Service Sector Training)

To raise the status of women from BPL section and to equip them with necessary skills to help them become economically independent, the service sector training was started in 2017. The main objective of this is to provide training to women and adolescent girls in various service sectors such as Apparel, Information Technology Enabled Services, Beauty and Wellness, Tourism and Hospitality, and Electronics. Efforts are being made to make them employable in healthcare, retail, etc. and make them self-reliant. The scheme is being operated through institutions empanelled with the Bihar Skill Development Mission. Under this programme in the current financial year, 702 candidates have got the training in 648 batches.

5. Palna Ghar

The working parents can leave their children of up to 5 years of age or less during their work in Palna Ghar which provides a conducive environment for the all-round development of a child. Provision for a crèche has been made under the Maternity Benefit Amendment Act 2017 for proper care of small children of working women aged between 6 months and 5 years near the workplace.

- At present, crèche is being operated at four places:
- Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna.
- Prison Department, Chief Secretariat, Patna.
- New Secretariat, Vikas Bhawan, Patna.
- Sardar Patel Bhawan, Patna.

6. Beti Bachao Beti Padhao

This is a centrally sponsored scheme which was started from Vaishali district to prevent female foeticide and balance the sex ratio. Presently, it is an important medium of public awareness to encourage the birth of daughters. Under this, congratulatory messages are sent on the birth of girls. As a special initiative in Bihar, a campaign 'Ghar Ka Naam Beti Ke Naam' was launched which has been recognized as the best innovation at the national level. Under this scheme, a task force is formed from district to block level under the supervision of the District Officer.

7. Mahavari Swachchata Prabandhan (Menstrual Hygiene Management Programme)

With the aim of providing correct information about the importance and methods of safe

menstrual hygiene practices, the Menstrual Hygiene Management Programme is being implemented state-wide for adolescent girls and women. For proper implementation and better monitoring of this, a state-level task force has been constituted under the chairmanship of Development Commissioner, Bihar. Under the State Level Menstrual Hygiene Management Programme, four-day residential training has been given to the Chief Master Trainers of all concerned departments. In the first phase, funds have been sent to all District Magistrates for installation of sanitary pad vending machines and incinerators at middle and high schools for girls located in the urban areas of all districts of Bihar.

8. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

The main objective of the scheme is to improve the health and nutritional status of pregnant/lactating women and to reduce complications during pregnancy. Under PMMVY, a cash incentive is provided as a partial compensation for the wage loss so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first child. Under this component, free meals during pregnancy and six months after childbirth are provided through local Anganwadi workers envisaged to meet the nutritional standards. In case of the first child, the amount of Rs.5000 is given in two instalments and for the second child, the benefit of Rs.6000 is provided, subject to the condition that the second child is a girl child, in one instalment after the birth. However, for availing benefits for the second child, registration during pregnancy is mandatory.

9. Poorak Poshahar

The programme is being implemented in 38 districts of the state through 1,14,718 Anganwadi centers (including mini). There is a provision to provide supplementary nutrition to all normal/malnourished/severely malnourished children aged between 6 months and 6 years and all pregnant and lactating women. Currently, the rate fixed is Rs. 8 per child per day, for extremely malnourished child, it is Rs. 12 per day, and for pregnant/lactating mother it is Rs. 9.50 per day. The nutritional supplements are distributed by the monitoring committee.

10. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

Under this scheme, widows in the age group of 40-79 years from BPL families are given Rs. 400 per month as pension, of which Rs. 300 is given by the Central Government and Rs. 100 by the State. The pensioners of this scheme after the age of 80 years are transferred to the Indira Gandhi Old Age Pension Scheme.

11. Laxmibai Social Security Pension Scheme

Under this scheme, widows aged 18 years or above whose annual income is Rs. 60,000 or who belong to BPL families but are not covered under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme are given a pension of Rs. 400 per month. The total cost under this scheme is borne by the state government.

12. Old Age Home (Sahara)

Under the Bihar Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2012, old

age homes are operated in five districts of the state, namely Patna, Purnea, Rohtas, Bhagalpur and West Champaran, which are being run through non-government voluntary organizations. The residential capacity of these old age homes is 300, in which 212 elderly people are residing. Through the assistance of Building Construction Department, a 100-bedded old age home has been constructed in Gulzarbagh, Patna and an old age home has also been constructed in Gaya.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department

1. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Scholarship Scheme

Students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are provided various facilities from school level to college level through various scholarship schemes. The rates of scholarships are as follows:

- Monthly for class 1-4: Rs. 50
- Monthly for class 5-6 – Rs. 100
- Monthly for class 7-10 – Rs. 150
- Hostel accommodation per month for class 1-10 – Rs. 250

2. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Medhavritti Yojana

Those students of Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities who appear for class-X examination from Bihar School Examination Board and pass the exam in the first division are given Rs. 10,000 and those who pass the board exam in the second division are given Rs. 8000 as an incentive amount. Similarly, in class-XII, students belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe who pass their examination in first division are given Rs. 15000 and those who pass in second division are given Rs. 10000 respectively.

3. Awasiya Vidyalaya (Residential Schools)

The department runs 66 residential schools for Scheduled Caste students and 21 residential schools for Scheduled Tribe students, with a capacity of 25,600 Scheduled Caste and 7720 Scheduled Tribe students. The state government provides funds for the daily needs of the students, basic needs like study material, food, clothing, medicine, etc. It has been decided to upgrade all the residential schools to 10+2 level, out of which currently 26 residential schools are being operated at +2 level and from 2024-25, 19 more residential schools will be operated at +2 level. Thus, a total of 36 residential schools are currently being run for girls belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

4. Chhatrawas (Hostel)

The department runs 101 hostels for Scheduled Caste and 15 hostels for Scheduled Tribe students are being rebuilt. Under residential facilities, students in the hostel are provided with cot, mattress, RO water, towel, bedsheet, blanket, pillow, mosquito net, study table, eating and cooking utensils, etc. At present, there are 6 hostels for SC girl students and 1 hostel for ST girl students.

5. Prak Pariksha Prashikshan Kendra (Pre-Examination Training Centre)

At present, 10 pre-examination training centers for SC/ST are being run in various districts like Patna, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Saran, Bhojpur, Saharsa, Purnea, and Munger. There is a provision to give training to about 2400 candidates for various examinations at these centres. Besides, a Student Guidance Center is being run at Chandragupta Management Institute, Patna, which is maintained by the State Government. At this centre, there is a provision to give training to 60 students every year for the preparation of CAT, etc. Under this programme, trainees will be able to get the facility of enrollment in various major management institutes of the country. In these centres, training is imparted to boys and girls.

6. Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Civil Seva Protsahan Yojana

Under this scheme, a lump sum amount of Rs 50,000/- (Fifty thousand rupees) is given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who pass the preliminary competitive examination conducted by BPSC for further preparation. Similarly, there is a provision of giving a lump sum benefit of Rs. 1,00,000/- (Rs. one lakh) to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who pass the Civil Services (Preliminary) Competitive Examination conducted by the UPSC. Both men and women are covered under this scheme.

7. Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Chhatrawas Anudan Yojana

Under this scheme, approval has been given for Scheduled Caste/Scheduled Tribe students studying to get the benefit of hostel grant at the rate of Rs. 1000 per month per student. Per month, 15 kilograms of food grains (9 kg rice and 6 kg wheat) are given to the students living in the hostels run by the department.

8. Khadyann Apurti Yojana

Per month, 15 kilograms of food grains (9 kg rice and 6 kg wheat) are given to the students living in the hostels run by the department. Presently 170 Scheduled Caste and 48 Scheduled Tribe girl students are being benefited from this scheme.

9. Assistance under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

This scheme is being operated to provide assistance to those victims of atrocities who belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Under this scheme, a relief amount is also provided to women.

10. Pradhan Mantri Scheduled Caste Abhyudaya Yojana

Under this scheme, a maximum grant of Rs. 50,000 is provided for the economic upliftment of Scheduled Caste men and women.

11. Mahadalit Vikas (Development of Mahadalits)

Bihar Mahadalit Development Mission has been formed under the Society Registration Act, 1860 for the development of the Mahadalit community. The plan for their economic

upliftment and development of infrastructure was approved through Bihar Mahadalit Development Mission. In the total sanctioned posts of 9820 Vikas Mitras in various districts of the state, participation of 50% women has been ensured. Under the Dashrath Manjhi Skill Development Scheme, there is a provision to provide training to young men and women from Mahadalit families in various trades through selected institutions for skill development. A special school-cum-hostel is run for women. This is implemented by Nari Gunjan, an NGO in Patna and Gaya, where 150 girls each are given non-traditional education along with traditional education. Under the special school-cum-hostel scheme, 150 Mahadalit girl students are being given the benefit of the scheme against the target of 150 in Patna and 100 Mahadalit girl students are being given the benefit of the scheme against the target of 100 in Gaya. With the help of Bihar Mahadalit Development Mission and Mahila Vikas Nigam, Patna, three Kishori and one adolescent group were formed through each Vikas Mitra in all the districts. The identified Vikas Mitras are also trained with the help of Mahila Vikas Nigam to form adolescent groups in their Panchayat/ward.

Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department

1. Mukhyamantri BC and EBC Pre-Matric Chhatravritti Yojana

In the new guidelines of the Government of India, where only the students of class 9 and 10 are covered under the PM-YASASVI scheme, the approval has been given to provide scholarship to the students studying in class I to X from 2022-23 under Mukhyamantri Backward Class and Extremely Backward Class Pre-Matric Scholarship Scheme where almost 99 percent of the amount is being spent under the state scheme itself.

2. Mukhyamantri BC and EBC Praveshekottar Chhatravritti Yojana

Under the state scheme, to provide scholarships to the students of backward class and extremely backward class for higher education and technical education, especially vocational courses, approval has been given for post-admission scholarships.

3. Mukhyamantri EBC Medhavritti Yojana

Under the scheme, a lump sum stipend of Rs. 10,000 per student is given to the extremely backward class students who pass the secondary school (class-X) examination conducted by the Bihar School Examination Board, Patna, with first division.

4. Mukhyamantri BC Medhavritti Yojana

Under the scheme, those backward class students who have passed the secondary school (class-X) examination conducted by the Bihar School Examination Board, Patna with the first division and whose annual family income is up to Rs. 1,50,000 or less will be given a lump sum amount of Rs. 10,000 per student as a stipend. This amount is given by the Education Department to the girl students of the backward class.

5. Other Backward Class (OBC) Kanya Awasiya +2 Uchch Vidyalaya

In addition to the total 12 OBC Girls Residential +2 High Schools currently operating in 11 districts, one OBC Girls Residential +2 High School will be operated in the remaining 27

districts of the state and the work has been started from 2023-24. For a total of 39 Other Backward Class Girls Residential +2 High Schools, 1365 posts of various categories have been created and the appointment process is under progress. Administrative approval has been given for the construction of a total of 39 Other Backward Class Girls Residential +2 High Schools in all 38 districts and the construction work is under process

6. Jananayak Karpoori Thakur Chhatrawas Yojana

Under Jananayak Karpoori Thakur Hostel Scheme, approval has been given for the construction of one hostel each in all the districts. Out of which, hostels are already operational in 36 districts and construction work is going on in the remaining 2 districts, which will be completed in the next financial year. In these hostels, along with free accommodation, Rs. 1000 per month per student is provided under the Mukhyamantri Hostel Grant Scheme and 15 kilograms of food grains are provided per month under the Hostel Food Scheme (Chatrawas Khadayan Yojana).

7. Mukhyamantri EBC Civil Seva Protsahan Yojana

Under this scheme, the candidates who have passed the preliminary test (PT) conducted by the Bihar Public Service Commission are given the scholarship at the rate of Rs. 50,000/- per candidate. Similarly, the candidates who passed the PT examination conducted by the Union Public Service Commission are given Rs 1,00,000/- per candidate. Expanding the above scheme, in addition to the examinations already included, approval has been given to provide incentive amounts as per prescribed rate to the extremely backward class candidates of the state who pass various competitions (preliminary) organized by Union Public Service Commission, New Delhi, Central Staff Selection Commission, various State Public Service Commissions, various Banking Services Recruitment Boards/IBPS and various Railway Recruitment Boards.

8. Prak Pariksha Prashikshan Yojana (Pre-Examination Training Scheme):

Under the Pre-Examination Training Scheme, as per the eligibility conditions, the annual income limit has been increased from Rs. 1 lakh to Rs. 3 lakh and currently centers are being operated in 37 districts in the state. Approval has been given for setting up smart classes in all the centers at the rate of Rs. 2.5 lakh per centre. Students studying in the said centers are provided Rs. 3000 for purchasing study material for the preparation of competitive exams.

9. Mukhyamantri Vyavsayik Pathyakram Margdarshan evam Utpreeran Yojana

Under the scheme, to increase the number of BC and EBC candidates in higher educational posts and related employment are provided free guidance for preparation for vocational courses like management, law, etc.

Minority Welfare Department

1. Mukhyamantri Vidyarthi Protsahan Yojana

Under this scheme, to continue their studies, minority students who have passed the matriculation examination from the Bihar School Examination Board with first division are

given Rs. 10,000 as an educational incentive. Also, Muslim girl students who have passed the intermediate examination from 2014 with first division are given an amount of Rs. 15,000 each.

2. Alpasankhyak Muslim Parityakta/Talakshuda Mahila Sahayata Yojana

To strengthen the economic condition of Muslim abandoned/divorced women, the state government started this scheme from 2006-07, intending to make them self-reliant by providing financial assistance. Under this scheme, a lump sum amount is given to every abandoned/divorced woman. From 2017-18, the financial assistance provided has been increased from Rs. 10,000 to Rs. 25000. In 2022-23, Rs. 36.51 crore was distributed among 14,604 Muslim abandoned/divorced women under this Assistance Scheme. A total of Rs. 1.11 crore was distributed among 445 Muslim abandoned/divorced women in 2023-24.

3. Minority Hostel Scheme

Keeping in mind the girl students studying from minority community, the state government has started the Minority Hostel Scheme. Under the Minority Hostel Scheme, till now 51 boys and girls'hostels have been constructed and are running and 02 hostels are under construction.

4. Mukhyamantri Shramshakti Yojana

This scheme was started from 2008-09 for self-employment and employment of minority youth. The objective of this scheme is to provide training and special assistance to the young men and women of the minority community for employment.

5. State Coaching Scheme

To increase the representation of minority community students in jobs of Bihar Public Service Commission and other technical and professional competitions, a Coaching scheme for the preparation of competitive examinations has been started by the state government from 2006-07. Presently, the Coaching programme is being run in the Patna and Darbhanga districts.

6. Mukhyamantri Minority Employment Loan Scheme

To help the unemployed minority young men and women of Bihar, whose family annual income does not exceed Rs. 4 lakh, a loan amount maximum up to Rs. 5 lakh is provided through State Minority Financial Corporation Limited at 5 percent annual simple interest rate for self-employment under the Good Governance Programme.

7. Mukhyamantri Alpasankhyak Kalyan Chhatrawas Anudan/Khadyan Yojana

The scheme was started in 2018-19. Under this scheme, to promote higher education and increase the rate of higher education among students residing in minority welfare hostels, a grant of Rs. 1,000 per month is given to minority students. Also, 15 kilograms of foodgrains are provided per month free of cost.

Education Department

1. Participation of women in the employment of city/panchayat/zilla council teachers

A provision of 35 percent reservation has been made for women candidates in local bodies, municipalities, panchayats, blocks, and district councils in the employment of teachers in primary, secondary and higher education. This has increased the prestige/respect of women in society and their participation has brought them into income-generating leadership. This has given equal rights to women as men. It is proving to be a milestone in the direction of development.

2. Mukhyamantri Balika Poshak Yojana

The Bihar government launched this scheme to encourage girls' education. This scheme is for girls studying at primary, secondary and higher secondary levels. Under this scheme, there is a provision to give Rs. 600 to girl students of class 1 to 2, Rs. 700 for girl students of class 3 to 5 and Rs. 1000 for girl students of class 6 to 8 for purchasing school dresses. Under Bihar Shatabdi Mukhyamantri Balika Poshak Yojana, the girl students of class 9 to 12 are given Rs. 1500 per student to purchase school uniforms.

3. Mukhyamantri Balika Cycle Yojana

The state government has taken steps to improve the condition of families and communities and take them out of the vicious cycle of poverty. The Mukhyamantri Balika Cycle Yojana was started in June 2007 to strengthen the role of women. This scheme has played an important role in changing the picture of villages. Teenager girls had to leave their studies midway despite their wishes to complete their education, such students studying in class-IX are provided with Rs. 3000 per girl to purchase a bicycle. This instills confidence in girls from remote areas also to get admission to the secondary level. This scheme has proved to be a revolutionary step in the education of women.

4. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Samagra Shiksha Abhiyan)

Bihar government has decided to cover every Panchayat with providing Secondary/Higher Secondary Schools. For this, the middle schools are upgraded through this centrally sponsored scheme and brought into this category. Under this scheme, high-quality education will be provided to children in the age group of 14 to 18 years. To eliminate social, economic and gender disparities and to improve the qualitative development of students, this scheme aims to appoint and train teachers while improving the curriculum for development. The implementation of the said scheme has increased the number of students at the secondary level in schools. Along with education, the safety of girls in the girls' hostel is also the aim of this scheme.

5. Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakarm

Through this scheme, all girls above 12 years of age enrolled in schools are provided reproductive health education. General and specific information regarding menstrual health and management is provided under the scheme. Also, to ensure cleanliness during the

menstrual cycle, teachers are trained to impart knowledge regarding the use of sanitary napkins and their disposal as per need. Regarding this, Rs. 300 is provided to the girl students per year for purchasing sanitary napkins. This scheme of Bihar government has removed conservatism and inertia from the minds of girls and hesitation regarding menstruation has been removed to a great extent.

6. Bihar Bal Bhawan 'Kilkari' Yojana

Bal Bhawan “Kilkari” has been running since 2008 for the creative development of children. In this scheme, children aged 8-16 years are being given free training in 25 types of activities. Children are strengthened mentally so that there is no discrimination between boys and girls. Kilkari has become an ambitious scheme to bring girls into the mainstream of society.

7. Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana

Under this scheme, girl students from all categories (General/Backward/Minority/Extremely Backward/Scheduled Caste/Scheduled Tribes) who have passed class-X examination conducted by the Bihar School Examination Board with first division are given Rs. 10,000 per student in their accounts. Also, girl students of all categories who have passed Intermediate are given Rs. 25,000 and girl students who have passed graduation are given Rs. 50,000 as an incentive.

8. Balika Chhatravritti Yojana

Under this scheme, pre-matric scholarship is given to students studying in State Government/Government-aided/Project (Upgraded) under Scheme/Project Higher Secondary School/Granted Approved Minority Higher Secondary/subsidized and approved non-government/madrasas/Sanskrit and non-financed secondary schools. Under this, on completion of minimum 75 percent attendance, girl students of the General category studying in class 1 to 4 are getting Rs. 50 per month, class 5 to 6 students are getting Rs. 100 per month, and students of class 7 to 10 are getting Rs. 150 per month. Through this scheme, the participation of girl students in education has increased significantly.

9. Midday Meal Scheme (PM Poshan)

Under this scheme, a mid-day meal is arranged in schools for children from class 1 to 6. This scheme has played an important role in maintaining social harmony in schools. The enrollment rate of girl students has increased significantly through this initiative.

10. Enrollment of children from disadvantaged groups in private schools under the Right to Education Act

Under the Right to Education Act, recognized private schools have to enroll 25 percent of the children from weak and disadvantaged groups. The government is committed to this and is providing grants to such schools. Boys and girls from weaker and disadvantaged sections of society are benefited from this scheme.

11. Karate Training

Karate training has been arranged for girls for self-defence in government/government-aided/minority/primary schools of the state. Through this scheme, physical, mental and social level is enhanced and the inferiority complex among girls goes away. Through this training, girls can protect themselves from molesters.

12. Tarang (Sub Junior Sports Meet)

“Tarang” is working to promote sports among junior children in primary education. It is making a significant contribution to the mental development of the students belonging to the deprived section of society. Bihar government provides grants for organizing “Tarang” programme.

13. Praudh Shiksha (Adult Education)

To increase the literacy rate, the government is promoting adult education. Adult women are taught to become literate and Mahapariksha is organized every year through this scheme to test their literacy. This has increased female literacy. Apart from this, the India Literacy Mission is also a successful programme which has increased the female literacy rate.

14. Samagra Shiksha Abhiyan

Under the Right to Education Act, free education has been made mandatory for students aged 6 to 14 years. Samagra Shiksha Abhiyan has an important role in implementing it. Through this scheme, efforts are made to make schools the model schools, increase basic facilities and make every school toilet-equipped.

15. Rajkiya Mahila Prashikshan Mahavidyalaya

The state government is making a lot of efforts to increase women's education. Separate schools and colleges are being established for women in the state today. This step of the government makes girls self-reliant.

16. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (Kasturba Gandhi Residential School)

The main objective of Kasturba Gandhi Residential Girls School is to provide primary education to girls belonging to the deprived groups of the society like scheduled caste/scheduled tribe/backward class and minority community. Under this scheme, girls can now also study in a school away from their home.

17. ICT Project

Arrangement of computer training in secondary schools of the state through the Integrated Computer Training Project is being done. In this project, there is a provision to provide free computer education to the boys/girls of the state. Through this, on one hand, the feeling of equality is developing among girls and on the other hand, employment opportunities are being created.

18. Government Women's College

Government Women's College was established in Gulzarbagh and Gardnibagh in Patna by the state government for the higher education of the girls of the state.

19. Unnayan Yojana

Through this programme, facility of online study, smart classes and other technical facilities will be provided to the students.

20. Mukhyamantri Bihar Darshan Yojana

Under this scheme, government/government-aided/non-government aided (including minority) secondary school receive Rs. 20,000 for an educational tour of students. The objective of this scheme is to increase the balance between academic, practical and mental knowledge of the students. By visiting mythological, historical and geographical places, the self-confidence and knowledge of students is increasing.

21. Bihar Student Credit Card Scheme

Under the Saat Nishchay Programme 'Aarthik Haal, Yuva ka Bal', the students of the state get loan up to a maximum of Rs. 4 lakh for higher education. Under this scheme, Bihar State Education Finance Corporation has been established to provide education loans to students at 4 percent annual interest for students and only 1 percent interest for girl students and the disabled. In 2023-24, till September 2023, Rs. 170.53 crore was sanctioned for 6044 applications made by girls.

Health Department

1. Janani awam Bal Suraksha Yojana

To bring about the desired reduction in maternal and child mortality, provision for incentive amount to promote institutional delivery has been made under Janani evam Bal Suraksha Yojana. This scheme started in Bihar in July 2006.

2. Incentive amount given on every institutional delivery

In rural areas, Rs. 1400 is given to every pregnant woman after delivery and Rs. 600 to Asha (applicable from April 1, 2013), and in urban areas, Rs. 1000 is given to female beneficiaries and Rs. 400 to Asha/Anganwadi workers.

3. Female sterilization

Under the Family Planning Programme, permanent measures of family planning, the facility of female sterilization is available for two days a week in Primary Health Centers and every day in District Level Hospital and First Referral Unit (FRU). In Bihar, under Mission Parivar Vikas, an incentive amount of Rs. 2000 is given to the beneficiary and an incentive amount of Rs. 300 is given to the motivator for female sterilization.

For post-natal sterilization of women, an incentive amount of Rs. 3000 is given to the beneficiary and an incentive amount of Rs. 400 is given to the motivator.

For the sterilization of women after abortion, an incentive amount of Rs. 2000 is given to the beneficiary and an incentive amount of Rs. 300 is given to the motivator.

4. IUCD (Copper-T)

This is a temporary method that can be used for a long period. IUCD 380A is effective for ten

years and IUCD 375 is effective for five years. Copper-T service is being provided free of cost in additional primary health centres.

5. Prasavoparant (PPIUCD)

Within 48 hours of IUCD insertion, an amount of Rs. 300 is being given to the beneficiary as work compensation. To motivate the beneficiaries and to bring them to health institution for insertion of IUCD, Rs.150 per case is given to Asha (urban and rural) after the insertion of IUCD. For PPIUCD insertion, Rs. 150 per case is being paid as an incentive to the service provider(MO/SN/ANM/LHV) for insertion of IUCD.

6. Abortion (PAIUCD)

As per the rules, after abortion, within 12 days, an amount of Rs. 300 is given as work compensation to the beneficiary immediately after the insertion of PAIUCD. After the insertion of PAIUCD, Rs. 150 per case is being paid as an incentive to motivator Asha (urban and rural) and Rs. 150 per case is paid as an incentive to the service provider(MO/SN/ANM/LHV) for installation of PAIUCD.

7. Contraceptive Injection (Antara)

It is an intramuscular hormonal contraceptive. This is a temporary remedy, as an inoculation (injection) which remains effective for three months. For long-term protection, an injection is required every three months. An incentive amount of Rs. 100 per needle is given to the beneficiary for getting an intravenous injection. Asha is given Rs. 100 per injection to motivate the beneficiary.

8. Mamta Programme

In this, women from Scheduled Castes, especially Ravidas group, are appointed mainly to provide care and other facilities to pregnant women and newborn babies. Under this programme, an incentive amount of Rs. 300 per delivery is distributed among the Mantas.

9. ASHA Programme

Under this programme, women are selected as accredited social health workers. Generally, in a population of one thousand or in one Anganwadi center, one woman works as an ASHA worker. They are paid incentives under NHM as wages.

Rural Development Department

1. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) (Rural)

To provide assistance for construction of permanent houses with basic facilities to all the homeless and families living in kutchha and dilapidated houses in rural areas, PMAY (Rural) is implemented from 2016-17 by reorganizing Indira Awas Yojana. Under the scheme, eligible beneficiaries are given Rs. 1.20 lakh per beneficiary in general districts and an assistance amount of Rs 1.30 lakh per beneficiary in 11 (eleven) Integrated Action Plan (IAP) districts of the state, which are - Arwal, Aurangabad, Gaya, Jamui, Jehanabad, Kaimur, Munger, Nawada, West Champaran, Rohtas and Sitamarhi. The amount is provided

in three installments and is directly transferred from the state-level nodal account to the bank accounts of the beneficiaries through the e-FMS system.

2. Mukhyamantri Grameen Awas Yojana

This state-sponsored scheme is operational from 2018-19. Under this scheme, the families of SC, ST and EBC whose houses were built under various housing schemes before January 01, 1996, and are currently dilapidated and who are already availing the benefits of the housing scheme, are provided with assistance. Under this, people who are not eligible for the PMAY (Rural) are provided assistance for the construction of houses. Apart from this, eligible families of 5 blocks, namely Bochaha, Kanti, Meenapur, Motipur and Mushahari of Muzaffarpur District who are highly affected by Acute Encephalitis Syndrome (AES) and are left out of the waiting list of the PMAY (Rural), are provided assistance for the construction of houses as per the availability of funds for all the houseless deserving families of the state. Under this scheme, Rs. 1.20 lakh per beneficiary is given for the construction of houses in general districts and Rs 1.30 lakh per beneficiary is provided in three instalments in 11(eleven) Integrated Action Plan (IAP) districts of the state. The assistance amount is being transferred directly from the state-level nodal account to the bank accounts of the beneficiaries. A total of Rs. 31682.55 lakh has been spent on the scheme since 2018-19. In 2023-24, a total expenditure of Rs. 11104.95 lakh has been made so far. Also, till January 2024, approval has been given for the construction of 34,735 houses, of which 24,155 have been constructed by the beneficiaries.

3. Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayta Yojana

Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayta Yojana is operational in the state from 2018-19. Landless people and the families who are displaced due to removal of encroachments and are unable to get residential land through the Department of Revenue and Land Reforms during the Jal-Jeevan-Hariyali Abhiyan are provided financial assistance to purchase residential land under Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayta Yojana. Also, the families without land for residence including the waiting list of PMAY-Rural are provided financial assistance by the state-supported scheme. In 2023-24, the amount of assistance given to the beneficiaries for purchasing land has been increased from Rs. 60 thousand to a maximum of Rs. 1 lakh on the basis of the Local Assessment Register (LDR). Under this scheme, till now, assistance amount has been transferred to 4070 beneficiaries at the rate of Rs. 60 thousand per beneficiary, thus a total expenditure of Rs. 2442.00 lakh has been incurred.

4. Mukhyamantri Grameen Awas Sahayta Yojana

This state-sponsored scheme is operational from 2020-21. Under the Mukhyamantri Grameen Awas Sahayta Yojana, Rs. 50 thousand is provided to the families of SC, ST and EBC whose houses are in incomplete condition and who got the benefit of housing under Indira Awas Yojana before April 1, 2010. Under this scheme, against the physical target of 38,279 set for 2023-24, a total of 16,353 beneficiaries have got approval for the construction of houses till January 16, 2024. Out of these, house construction has been completed by 4192 beneficiaries. So far in 2023-24, a total of Rs. 3536.90 lakh has been spent on the scheme.

5. Lohiya Swachh Bihar Abhiyan (LSBA)

LSBA was launched by consolidating the centrally sponsored Swachh Bharat Mission (Rural) and the state-funded 'Lohiya Swachhta Yojana' to achieve the goal of 'Shauchalay Nirman- Ghar ka Samaan under Saat Nishchay-1'. The scheme facilitates the availability of toilets and its continuous use in the rural areas of the state. Identified eligible families (all SC and ST families, small and marginal farmers, landless labourers, disabled people and women-headed families) get an incentive amount of Rs. 12,000 for the construction of toilets. Also, the category-I families left out of the Swachh Bharat Mission (Rural) are covered under LSBA. In the second phase of LSBA, under Saat Nishchay-2, a resolution of 'Clean Village - Prosperous Village' was taken. To achieve this goal, the state government approved the operation of the LSBA-Second Phase in September, 2021. Under this, it is targeted to make all the Gram Panchayats of the state "ODF-Plus" through solid and liquid waste management in a phased manner while maintaining the sustainability of freedom from open defecation. Also, under LSBA-II phase, it is being ensured that all families have access to individual toilets. Under the second phase of LSBA, 13 lakh 55 thousand toilets have been constructed, of which, in 2023-24, 6 lakh 36 thousand (till January 16, 2024) beneficiaries have constructed their individual toilets themselves. Additionally, Community Sanitation Complexes are constructed to provide access of toilets to landless families, especially SC/ST families and nomadic population. Already, 9543 Community Sanitation Complexes have been constructed in rural areas since 2019-20.

6. Jeevika - Bihar Rural Livelihood Promotion Society

Bihar Rural Livelihood Promotion Society (Jeevika), an ambitious project of the Government of Bihar, is working for the development, empowerment of women and eradication of rural poverty in Bihar. Under this, continuous work is being done on financial support, account management and other points for a livelihood by creating institutional organizations for women from poor families.

6 (a) Social Inclusion

Till now, a total of 10.47 lakh self-help groups (SHGs) have been formed. It has also been decided by the government that self-help groups will be formed through Jeevika in urban areas.

6 (b) Financial Inclusion

Till now, a total amount of Rs. 36153 crore has been made available as a loan by Jeevika by coordinating with various banks and providing linkage to self-help groups. The bank aims to provide loans of approximately Rs. 10 thousand crore in 2024-25. To provide financial facilities in rural areas, about 254 customer service centres have been opened by Jeevika with the help of various banks in 2023-24. Till now, a total of 5211 Bank Sakhis has been trained and customer service centers have been opened. Jeevika Didis aim to open about 2000 new customer service centres in 2024-25.

6 (c) Livelihood Promotion

In the agricultural sector too, continuous work is being done in coordination with the

Agriculture Department towards providing economic empowerment, self-reliance and self-employment of women. So far, new agricultural techniques have been adopted by 25.94 lakh women farmers. The target is to cover 52 lakh women farmers by 2024-25. Till date, 483 custom hiring centres are being operated by cluster unions in coordination with the Agriculture Department. Under the Integrated Poultry Development and Integrated Goat and Sheep Development Schemes with the help of the Animal and Fisheries Resources Department, 5.62 lakh families have been linked to poultry and goat rearing.

With the help of the National Dairy Development Board, 'Kaushiki Milk Producer Company' has been established in the Kosi division, under which 804 milk collection centres have been opened so far. The Seemanchal Goat Producer Company has been established in Araria. A total of 19,273 families have been connected by this company.

Also, 701 producer groups and 6 producer companies have been formed for the implementation of non-agricultural activities. Moreover, 2.44 lakh families associated with self-help groups under non-agricultural activity, have been linked to entrepreneurship development, additional income generation and employment generation. The target is to connect 5 lakh families with entrepreneurship development in 2024-25. Likewise, 140 Rural Retail Marts are being operated at the rural level to supply quality goods at reasonable rates to small entrepreneurs, especially women associated with grocery shops.

Under the Chief Minister Entrepreneur Scheme, a bag cluster has been developed in Muzaffarpur by selecting 40 members as entrepreneurs.

6 (d) Social Development

In 2023-24, "Jeevika Didi Adhikar Kendra" was established in 171 blocks to protect women from gender discrimination and related violence and to provide them access to government schemes. Under which, Rs. 8.50 crore has been transferred so far.

Under the Disaster Risk Reduction Programme, 36 lakh self-help group members of Jeevika have been provided training for prevention from natural disasters. Under the Jal-Jeevan-Hariyali Mission, a total of 469 public ponds have been allotted for fish farming in Jeevika Gram organizations.

Satat Jeevikoparjan Yojana (Sustainable Livelihood Scheme)

The State Government is taking up livelihood promotion and capacity building of extremely poor families directly or indirectly involved in the production and sale of liquor and toddy and targeted extremely poor families belonging to SC, ST and other communities. Under this scheme, community organizations provide investment assistance of Rs. 1,00,000 to Rs. 2,00,000 per family for the creation of integrated assets. A total of 1,84,524 extremely poor families have been selected so far to connect them with suitable activities based on livelihood and income, which includes 45,994 extremely poor families related to toddy and country liquor, 99,281 extremely poor families of SC/ST communities and 39,249 extremely poor families of other communities. In 2024-25, the target is to transfer integrated assets of a maximum of Rs. 2 lakh per family to the selected families for livelihood enhancement.

MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme)

Under the MNREGA scheme, there is a provision to provide 100 days of unskilled employment to all willing adult members of rural families, so that the poor and unemployed families living in rural areas get the maximum benefit and social security and migration can be stopped. Under this scheme, employment has been provided to 31,01,540 women in 2022-23. In the current financial year, Rs. 3878.46 lakh were spent on unskilled labour and Rs. 5.90 lakh were spent on material items (including administrative expenses) and about 538 assets have been created.

Revenue and Land Reforms Department

1. Abhiyan Basera Karyakarm

This was implemented from 2014-15 for landless families/individuals residing in rural areas of the state. Under this programme, land/plot is made available for habitation at the rate of 05 decimal per family to landless families of eligible categories like SC/ST/BC (Schedule-V and Schedule-III) residing in the state. Under this programme, the form is given to the eligible category of landless families on the basis of survey done by Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act (B.P.P.H.T.), 1949. After this, to provide land to the remaining landless families, the surplus land is acquired from Gairmajarua Malik/Gairmajarua Aam/land ceiling. Also, to provide housing settlement in clusters (20 families), the eligible category of homeless families, are provided 100 decimal at the rate of 05 decimal land per family and 20 decimal additional land in addition to the homestead land. Provision has been made to provide land for internal roads and community buildings.

Industry Department

1. Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana

In order to promote entrepreneurship/self-employment among the women of the state, in continuation of the Mukhyamantri SC/ST/EBC Entrepreneur Scheme, Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana under Saat Nischay-2 has been implemented from 2021-22. Under this scheme, 50 percent of the total project cost (per unit) up to a maximum of Rs. 10.00 lakh will be sanctioned as an interest-free loan to women setting up industries and it is repaid after one year of payment of the last instalment under the scheme. The recovery is made by Bihar Start-up Fund Trust in 84 equal instalments. The remaining 50 percent amount of the scheme will be approved as a grant. The total project cost will be 50:50 loan and grant. Apart from this, Rs. 25,000 per unit is spent on training of all the beneficiaries and assistance to the project monitoring committee. This scheme is implemented by the Bihar Start-up Fund Trust. Under this scheme in 2024-25, out of the total budget provision of Rs. 25,000 lakh, 100 percent, i.e. only Rs. 25,000 lakh is proposed to be spent on training, loans and subsidies of women entrepreneurs. Between 2021-22 and 2023-24, Rs. 451.35 crore has been distributed among 7596 beneficiaries.

2. Development of Handloom Sector

Commonly Facility Centres are being established for handloom weavers and dyers, in which

cutting, weaving, dyeing, etc. facilities are made available to women weavers. Regarding this, fairs/festivals/seminars are organized at state and national levels and efforts are being made to ensure the participation of women.

3. Entrepreneurship Development Scheme

With the aim of providing employment/self-employment to young men/women under the skill development programme, training is imparted in various disciplines by the Directorate.

Public Health and Engineering Department

1. Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana

Against the target of providing 'tap water' to a total of 84.46 lakh families of 56,447 wards under 'Har Ghar Nal ka Jal' Nishchay, work has been completed in 55,949 wards till November 15, 2023 and water is being supplied to 83.24 lakh families.

Approval has been given to provide 'tap water' to the beneficiary families by expanding the 1118 piped water supply schemes in non-quality affected areas of the state. The, 'tap water' is being provided to 11.28 lakh families of all 8148 wards of the covered area through pre-approved schemes.

In the state, the groundwater quality is affected in 30,2077 rural wards. There is arsenic in the groundwater of 4709 wards, fluoride in the groundwater of 3789 wards and iron in the groundwater of 21709 wards above the prescribed permissible limits. In these wards, water purification plants have been installed under the Mukhyamantri Grameen Peyjal Nishchay Yojana (Quality Affected Areas) and treated water is supplied in the affected wards.

Transport Department

1. Exemption in vehicle taxes for women

If a three-wheeler, taxi, motor cab, maxi cab is registered in the name of a woman herself who drives the vehicle or any other woman having a commercial driving license issued by the Transport Department; in that case, she gets 100 percent exemption in vehicle tax.

Gender Budget 2024-25

Table 5: Department-wise Statement

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2022-23 (Gender Budget Actual)	2023-24 (Gender Budget BE)	2023-24 (Gender Budget RE)	2024-25 (BE)	2024-25 (Gender Budget BE)
1	Agriculture Department	59007.41	83458.30	99424.13	284020.07	85204.81
3	Building Construction Department	22028.23	25970.00	26550.26	129853.08	63921.20
8	Art, Culture & Youth Department	1399.42	5708.28	5739.30	5990.83	1797.25
11	BC & EBC Welfare Department	77652.74	84924.90	84842.47	164714.57	84840.16
16	Panchayati Raj Department	19373.27	23585.99	25435.53	72083.04	36041.46
18	Food & Consumer Protection Department	0.00	0.00	0.00	86184.00	40937.38
19	Environment, Forest & Climate Change Department	6110.04	6896.24	7376.79	19149.00	7256.20
20	Health Department	202783.22	274998.50	344450.10	594277.62	188035.54
21	Education Department	1313959.04	1257263.83	1779441.07	3106304.86	1300499.84
22	Home Department	36.21	1419.72	1419.72	715.00	715.00
23	Industry Department	42059.50	46242.70	49663.30	110201.00	59080.40
26	Labour Resources Department	8442.44	12355.88	12521.46	50353.96	21853.64
30	Minority Welfare Department	6858.70	20660.00	20660.00	42600.00	23440.00
33	General Administration Department	0.00	0.00	0.00	103281.53	36148.47
36	Public Health Engineering Department	49023.94	58429.50	76308.18	144765.00	65144.25
40	Revenue & Land Reform Department	38.50	1900.00	1900.00	186484.34	57345.26
42	Rural Development Department	1591659.22	1149096.17	1130989.87	1359599.00	997357.57
43	Science, Technology & Technical Education Department	14340.68	17169.60	108.43	100092.77	35102.23
44	SC & ST Welfare Department	54806.84	61315.60	67956.81	169819.52	75374.88
46	Tourism Department	5332.28	12250.00	12250.00	26200.00	13100.00
47	Transport Department	0.00	0.00	0.00	14710.77	4641.46
48	Urban Development & Housing Department	50470.55	106117.43	152998.94	601591.99	238583.37
51	Social Welfare Department	661062.01	545108.09	565067.93	714399.78	460790.94
52	Sports Department	0.00	0.00	0.00	17579.77	6152.92
TOTAL		4186444.24	3794870.73	4465104.29	8104971.50	3903364.23

Table 6: Department-wise Gender Budget F.Y 2024-25

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	Budget Provision (Identified Budget Head)	100% Amount Allotted for Women	Minimum 30% Amount Allotted for Women	Total Gender Budget
1	Agriculture Department	284020.07	0.00	85204.81	85204.81
3	Building Construction Department	129853.08	0.00	63921.20	63921.20
8	Art, Culture & Youth Department	5990.83	0.00	1797.25	1797.25
11	BC & EBC Welfare Department	164714.57	5941.56	78898.60	84840.16
16	Panchayati Raj Department	72083.04	0.00	36041.46	36041.46
18	Food & Consumer Protection Department	86184.00	0.00	40937.38	40937.38
19	Environment, Forest & Climate Change Department	19149.00	0.00	7256.20	7256.20
20	Health Department	594277.62	10856.88	177178.66	188035.54
21	Education Department	3106304.86	75554.11	1224945.73	1300499.84
22	Home Department	715.00	715.00	0.00	715.00
23	Industry Department	110201.00	25000.00	34080.40	59080.40
26	Labour Resources Department	50353.96	2853.46	19000.18	21853.64
30	Minority Welfare Department	42600.00	200.00	23240.00	23440.00
33	General Administration Department	103281.53	0.00	36148.47	36148.47
36	Public Health Engineering Department	144765.00	0.00	65144.25	65144.25
40	Revenue & Land Reform Department	186484.34	2000.00	55345.26	57345.26
42	Rural Development Department	1359599.00	455350.00	542007.57	997357.57
43	Science, Technology & Technical Education Department	100092.77	107.34	34994.89	35102.23
44	SC & ST Welfare Department	169819.52	0.00	75374.88	75374.88
46	Tourism Department	26200.00	0.00	13100.00	13100.00
47	Transport Department	14710.77	0.00	4641.46	4641.46
48	Urban Development & Housing Department	601591.99	0.00	238583.37	238583.37
51	Social Welfare Department	714399.78	106795.49	353995.45	460790.94
52	Sports Department	17579.77	0.00	6152.92	6152.92
TOTAL		8104971.50	685373.84	3217990.39	3903364.23

Gender Budget 2024-25 Department-wise Statement

Table 7: Establishment and Committed Expenditure

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2022-23 (Gender Budget Actual)	2023-24 (Gender Budget BE)	2023-24 (Gender Budget RE)	2024-25 (BE)	2024-25 (Gender Budget BE)
3	Building Construction Department	0.00	0.00	0.00	29113.26	11648.28
8	Art, Culture & Youth Department	389.91	459.78	490.80	2145.83	643.75
11	BC & EBC Welfare Department	1938.42	6377.82	6395.82	7061.57	6392.06
16	Panchayati Raj Department	6615.15	10050.00	10050.00	67628.08	33814.02
20	Health Department	7514.11	16060.49	17572.49	19264.54	12839.95
21	Education Department	279637.37	350253.59	497913.15	1131928.86	466363.24
22	Home Department	36.21	60.00	60.00	50.00	50.00
33	General Administration Department	0.00	0.00	0.00	85881.53	30058.47
40	Revenue & Land Reform Department	0.00	0.00	0.00	145510.37	43653.07
43	Science, Technology & Technical Education Department	13431.53	16369.60	108.43	58847.77	20666.48
44	SC & ST Welfare Department	5816.41	6668.20	6639.81	25606.34	10242.51
47	Transport Department	0.00	0.00	0.00	14710.77	4641.46
51	Social Welfare Department	677.78	1200.80	1200.80	1937.95	1937.95
52	Sports Department	0.00	0.00	0.00	2579.77	902.92
TOTAL		316056.89	407500.28	540431.30	1592266.64	643854.16

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

Gender Budget 2024-25 Department-wise Statement

Table 8: Scheme (State Scheme/Central Scheme)

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2022-23 (Gender Budget Actual)	2023-24 (Gender Budget BE)	2023-24 (Gender Budget RE)	2024-25 (BE)	2024-25 (Gender Budget BE)
1	Agriculture Department	59007.41	83458.3	99424.13	284020.07	85204.81
3	Building Construction Department	22028.23	25970.00	26550.26	100739.82	52272.92
8	Art, Culture & Youth Department	1009.51	5248.50	5248.50	3845.00	1153.50
11	BC & EBC Welfare Department	75714.32	78547.08	78446.65	157653.00	78448.10
16	Panchayati Raj Department	12758.12	13535.99	15385.53	4454.96	2227.44
18	Food & Consumer Protection Department	0.00	0.00	0.00	86184.00	40937.38
19	Environment, Forest & Climate Change Department	6110.04	6896.24	7376.79	19149.00	7256.20
20	Health Department	195269.11	258938.01	326877.61	575013.08	175195.59
21	Education Department	1034321.67	907010.24	1281527.92	1974376.00	834136.60
22	Home Department	0.00	1359.72	1359.72	665.00	665.00
23	Industry Department	42059.50	46242.70	49663.30	110201.00	59080.40
26	Labour Resources Department	8442.44	12355.88	12521.46	50353.96	21853.64
30	Minority Welfare Department	6858.7	20660.00	20660.00	42600.00	23440.00
33	General Administration Department	0	0.00	0.00	17400.00	6090.00
36	Public Health Engineering Department	49023.94	58429.50	76308.18	144765.00	65144.25
40	Revenue & Land Reform Department	38.50	1900.00	1900.00	40973.97	13692.19
42	Rural Development Department	1591659.22	1149096.17	1130989.87	1359599.00	997357.57
43	Science, Technology & Technical Education Department	909.15	800.00	0.00	41245.00	14435.75
44	SC & ST Welfare Department	48990.43	54647.40	61317.00	144213.18	65132.37
46	Tourism Department	5332.28	12250.00	12250.00	26200.00	13100.00
47	Transport Department	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Urban Development & Housing Department	50470.55	106117.43	152998.94	601591.99	238583.37
51	Social Welfare Department	660384.23	543907.29	563867.13	712461.83	458852.99
52	Sports Department	0.00	0.00	0.00	15000.00	5250.00
TOTAL		3870387.35	3387370.45	3924672.99	6512704.86	3259510.07

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

Gender Budget 2024-25 Department-wise Statement

Table 9: Class-A- 100% for Women

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2022-23 (Gender Budget Actual)	2023-24 (Gender Budget BE)	2023-24 (Gender Budget RE)	2024-25 (BE)	2024-25 (Gender Budget BE)
11	BC & EBC Welfare Department	1602.46	6047.80	6065.80	5941.56	5941.56
20	Health Department	93523.25	133714.02	149714.02	199356.88	10856.88
21	Education Department	261141.87	79277.30	212323.30	75554.11	75554.11
22	Home Department	36.21	1419.72	1419.72	715.00	715.00
23	Industry Department	25000.00	25000.00	15463.00	25000.00	25000.00
26	Labour Resources Department	1485.29	2250.00	2384.00	2853.46	2853.46
30	Minority Welfare Department	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
40	Revenue & Land Reform Department	38.50	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00
42	Rural Development Department	1285947.06	691714.00	592083.57	455350.00	455350.00
43	Science, Technology & Technical Education Department	14340.68	17169.60	108.43	107.34	107.34
51	Social Welfare Department	131458.72	94944.65	130999.95	106795.49	106795.49
TOTAL		1814774.04	1053637.09	1112661.79	873873.84	685373.84

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.

Gender Budget 2024-25 Department-wise Statement

Table 10: Class-B- 30% for Women

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2022-23 (Gender Budget Actual)	2023-24 (Gender Budget BE)	2023-24 (Gender Budget RE)	2024-25 (Total BE)	2024-25 (Gender Budget BE)
1	Agriculture Department	59007.41	83458.30	99424.13	284020.07	85204.81
3	Building Construction Department	22028.23	25970.00	26550.26	129853.08	63921.20
8	Art, Culture & Youth Department	1399.42	5708.28	5739.30	5990.83	1797.25
11	BC & EBC Welfare Department	76050.28	78877.10	78776.67	158773.01	78898.60
16	Panchayati Raj Department	19373.27	23585.99	25435.53	72083.04	36041.46
18	Food & Consumer Protection Department	0.00	0.00	0.00	86184.00	40937.38
19	Environment, Forest & Climate Change Department	6110.04	6896.24	7376.79	19149.00	7256.20
20	Health Department	109259.97	141284.48	194736.08	394920.74	177178.66
21	Education Department	1052817.17	1177986.53	1567117.77	3030750.75	1224945.73
23	Industry Department	17059.50	21242.70	34200.30	85201.00	34080.40
26	Labour Resources Department	6957.15	10105.88	10137.46	47500.50	19000.18
30	Minority Welfare Department	6658.70	20460.00	20460.00	42400.00	23240.00
33	General Administration Department	0.00	0.00	0.00	103281.53	36148.47
36	Public Health Engineering Department	49023.94	58429.50	76308.18	144765.00	65144.25
40	Revenue & Land Reform Department	0.00	0.00	0.00	184484.34	55345.26
42	Rural Development Department	305712.16	457382.17	538906.30	904249.00	542007.57
43	Science, Technology & Technical Education Department	0.00	0.00	0.00	99985.43	34994.89
44	SC & ST Welfare Department	54806.84	61315.60	67956.81	169819.52	75374.88
46	Tourism Department	5332.28	12250.00	12250.00	26200.00	13100.00
47	Transport Department	0.00	0.00	0.00	14710.77	4641.46
48	Urban Development & Housing Department	50470.55	106117.43	152998.94	601591.99	238583.37
51	Social Welfare Department	529603.29	450163.44	434067.98	607604.29	353995.45
52	Sports Department	0.00	0.00	0.00	17579.77	6152.92
TOTAL		2371670.20	2741233.64	3352442.50	7231097.66	3217990.39

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget.



जेन्डर बजट

2024-25

बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेंडर बजटिंग: अवलोकन

जेंडर बजट सरकार की नीतियों में जेंडर प्राथमिकताओं का विश्लेषण का एक सशक्त माध्यम है। जेंडर बजट एक ऐसा अभिकरण है, जो महिला एवं बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकता है। सरकार के लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीयदायित्वों में शामिल कर महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का यह एक उपकरण है। यह बजट समाज में महिला एवं पुरुषों के बीच के अंतराल को कम करने का एक साधन है।

जेंडर बजट कोई पृथक बजट नहीं है। यह मुख्य बजट से जेंडर आधारित कार्यक्रमों का विभक्तिकरण तथा लैंगिक वचनबद्धताको बजट के रूप में प्रस्तुत करता है। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण हेतु क्रियान्वित किये जानेवाले विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन को दर्शाता है। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के सापेक्ष समुचित हिस्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार के पारंपरिक विभागों जैसे— शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम संसाधन आदि तक सीमित न रखते हुए अन्य विभागों एवं क्षेत्रों में भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बजट बनाने का प्रयास किया गया है।

जेंडर बजटिंग का उद्देश्य

1. मुख्य बजट के लिंग आधारित परिणामों को ज्ञात करने हेतु बजट का विभक्तीकरण,
2. लैंगिक वचनबद्धता को बजटीय वचनबद्धता में परिवर्तित करना,
3. स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार अपने बजट का कितना अंश देती है, का आकलन करना,
4. सुचारु एवं सकारात्मक बजटीय प्रबंधन द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाना।

जेंडर बजट की पृष्ठभूमि

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 1979 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन से संबंधित सम्मेलन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसे 'महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक' के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 1981 में लागू किया गया। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर चार विश्व सम्मेलन आयोजित किये जो 1975 में मेक्सिको सिटी, 1980 में कोपेनहेगन, 1985 में नैरोबी तथा 1995 में बीजिंग में हुये। वर्ष 1995 में बीजिंग में हुए विश्व सम्मेलन लैंगिक समानता के वैश्विक एजेंडे के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। बीजिंग सम्मेलन के दस्तावेज को महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता का प्रमुख दस्तावेज माना जाता है। इस अवधारणा को लैंगिक समानता की दिशा में एक अभिनव राजकोषीय उपकरण के रूप में माना जाता है। अब तक, 80 से अधिक

देशों ने जेंडर बजटिंग को अपनाया है। सर्वप्रथम, 1984 में ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश था, जिसने लिंग-उत्तरदायित्व बजटिंग की पहल की। बाद में, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस ने 1995 में इसका अनुसरण किया। इसे बाद, कई देशों ने राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर यह पहल की है।

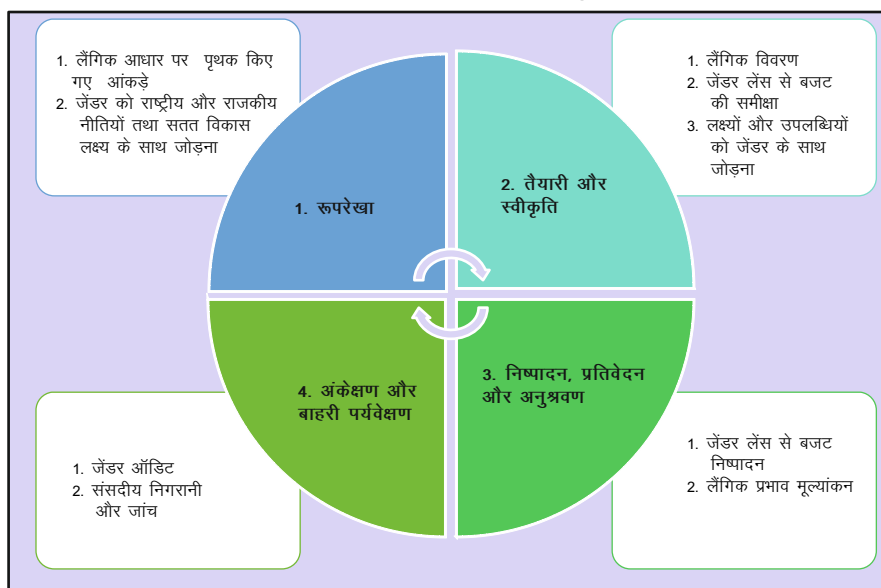
भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला सशक्तीकरण को एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। महिला घटक योजना के साथ इसे नवी योजना में आगे बढ़ाया गया तथा महिलाओं के कार्यक्रमों हेतु राशि की व्यवस्था चिन्हित मंत्रालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया ताकि वे महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए धनराशि प्रवाह की जानकारी दें सकें। बाद में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण के जरिए योजना प्रक्रिया में लैंगिक समानता के प्रमुख सूचकों की पहचान की गई।

भारत सरकार द्वारा 2005-06 में पहली बार जेंडर बजट को केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाया गया। बाद में 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे अपनी राजकोषीय तंत्र में अपनाया। वर्ष 2008-09 से बिहार में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत सरकार की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को विश्लेषणात्मक रूप से वर्गीकृत करते हुए, महिलाओं की आवश्यकता अनुरूप विश्लेषण किया जाता है।

जेंडर बजट निर्माण की योजना में निम्नांकित कार्य शामिल हैं :

- (क) पर्याप्त संसाधनों का आवंटन तथा महिला-संवेदी कार्यक्रमों का सूत्रीकरण और क्रियान्वयन। इससे महिलाओं के लिए नीतिगत प्रतिबद्धताओं और आवंटनों के बीच के अंतरको कम करने में मदद मिलती है।
- (ख) सार्वजनिक व्यय और नीतियों में महिला हितों को मुख्य धारा में लाना।
- (ग) सार्वजनिक व्ययों और कार्यक्रमों तथा नीतियों का जेंडर ऑडिट कराना।

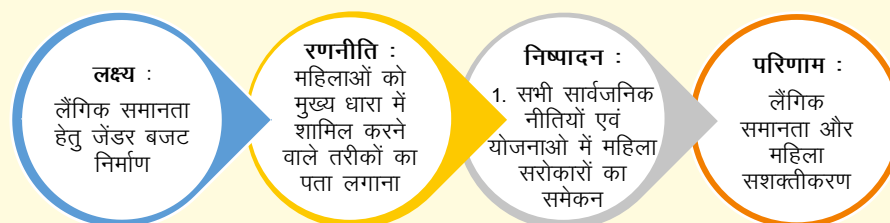
चित्र-1 : जेडर बजट: समग्र दृष्टिकोण



बिहार में जेंडर बजटिंग

जेंडर बजटिंग महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का सशक्त अभिकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ राज्य की प्रत्येक महिला तक पहुंचे, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी क्षेत्रों में। यह नीति एवं कार्यक्रमों के सूत्रीकरण तथा उसकी समीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करने की सतत प्रक्रिया है। महिलाओं की कुल आबादी में आधा हिस्सा है, अतः स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, आजीविका और संपत्ति के स्वामित्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। महिलाओं के इन्हीं आवश्यकताओं को वित्त पोषण द्वारा पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की। वर्ष 2024–25 के जेंडर बजट दस्तावेज में पूर्व में हुए व्यय तथा आगामी वर्ष (2024–25) में महिलाओं पर होने वाले व्यय की विवरणी प्रस्तुत करता है।

चित्र-2 : जेंडर बजट निर्माण के जरिए लैंगिक समानता

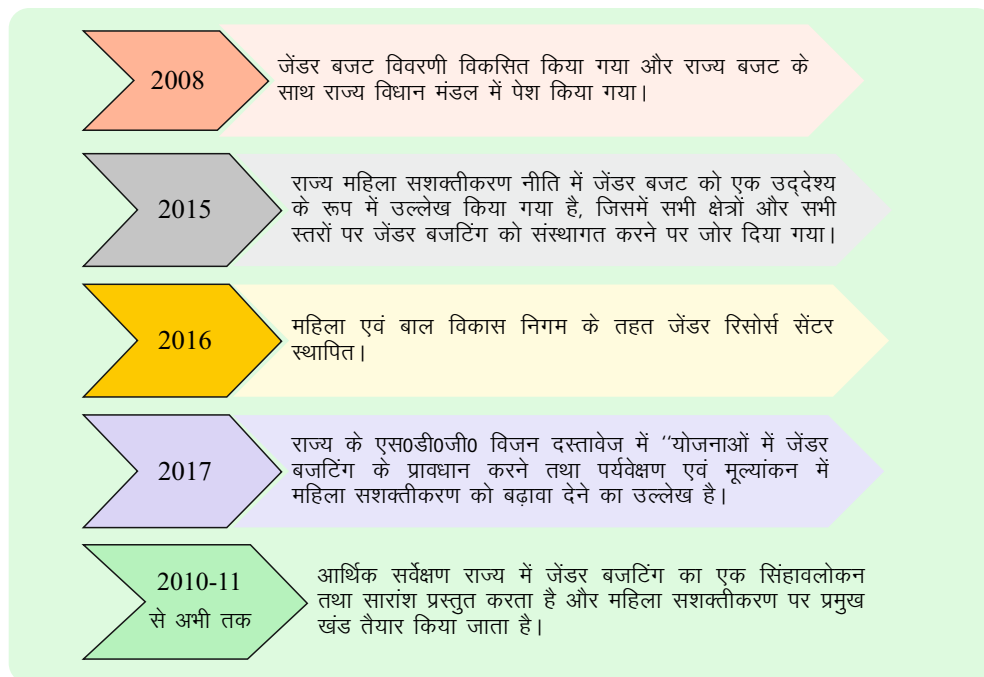


जेंडर बजट राज्य के वित्तीय आवंटन पर लैंगिक नजरिए से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा जेंडर दृष्टिकोण से की जाती है। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय, वर्तमान वर्ष के संशोधित व्यय अनुमान तथा आगामी वर्ष के अनुमानित व्यय को जेंडर लेंस से देखा जाता है। इस दस्तावेज के कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं :

1. विभिन्न विभागों के सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना जो महिलाओं के विकास में मदद करे।
2. विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं पर हुए व्यय प्रतिशत का विश्लेषण करना, ताकि महिलाओं के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्य एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन द्वारा महिलाओं को मुख्यधारा में लाया जा सके।
3. राज्य के महिलाओं पर आवंटित राशि को राज्य के कुल बजट तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में जाँच करना।

4. जेंडर बजट को परिणाम बजट से जोड़ना।
5. महिलाओं के लिए बजटीय प्राथमिकताओं के आधार पर आधारित विभिन्न रणनीतियों की रचना करना।

चित्र-3 : बिहार में जेंडर बजट की प्रगति



तालिका 1 : जेंडर बजट का वर्गीकरण

श्रेणी ए	महिलाओं एवं बालिकाओं पर 100 प्रतिशत व्यय	वैसी योजनाएं और कार्यक्रम जिनका पूरा आ वंटन महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए है।
श्रेणी बी	महिलाओं एवं बालिकाओं पर 30 प्रतिशत और उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम व्यय	वैसी योजनाएं और कार्यक्रम जिनके कुछ घटक महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए हैं जो कि 30-99 प्रतिशत के बीच हैं।

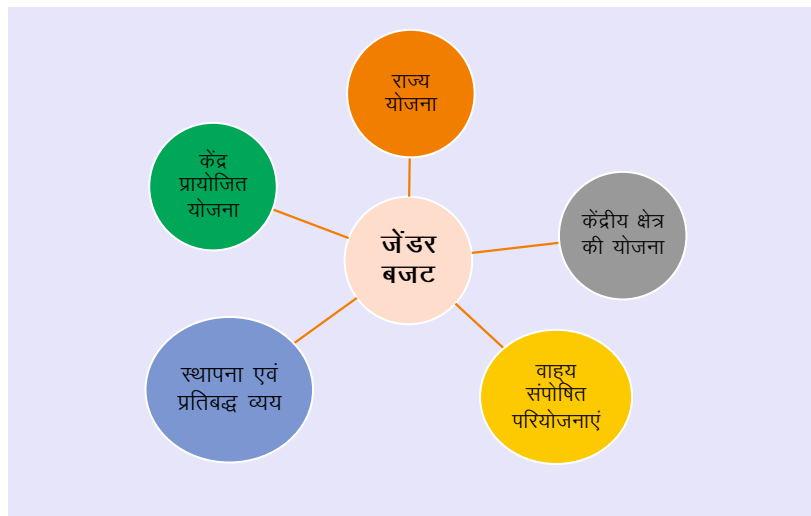
जेंडर बजट का विश्लेषण तीन भागों में किया गया है :

- **वास्तविक व्यय (एई)** : विभागों द्वारा 2022-23 में महिलाओं पर किया गया वास्तविक व्यय।
- **संशोधित व्यय (आरई)** : वर्ष 2023-24 के लिए मध्यावधि समीक्षा के बाद व्यय का अनुमान।
- **बजट अनुमान (बीई)** : संभावित व्यय के रुझान और पूर्ववर्ती बजट प्रस्तुति की प्राप्तियों के आधार पर 2024-25 के लिए पूर्वानुमान।

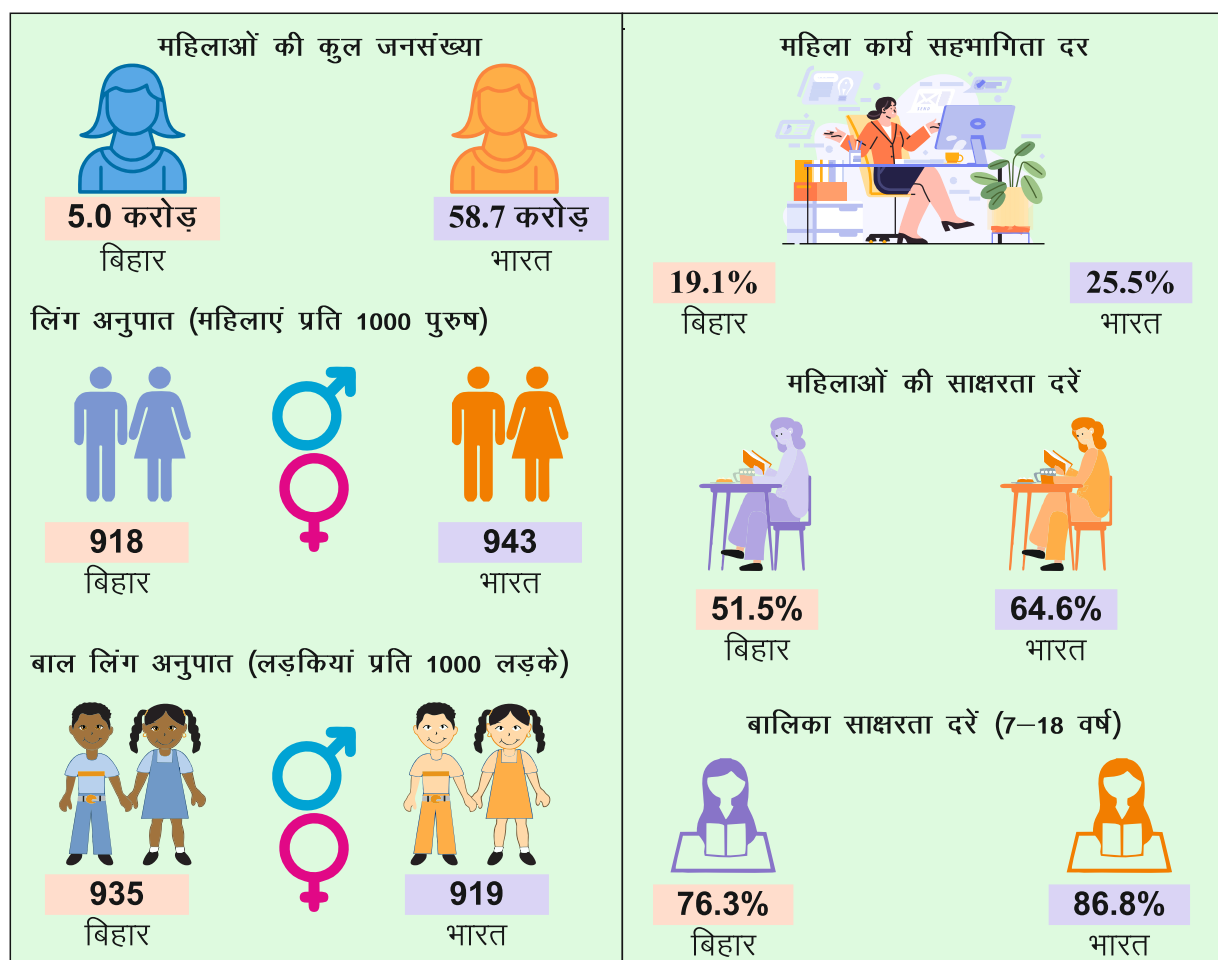
महिलाओं को लक्षित विशिष्ट योजनाएं: ऐसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान हैं।

महिला-समर्थित योजनाएं : ऐसी योजनाएं, जिनमें न्यूनतम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के लिए हैं। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिनमें महिलाओं या लड़कियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। योजना के उद्देश्य, आउटपुट-सह-परिणाम के आधार पर महिलाओं और लड़कियों को लाभ के मूल्यांकन का मापक एवं विश्लेषण जेंडर बजटिंग है, जो पथ प्रदर्शक के रूप में जेंडर समानता को और सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है।

चित्र-4 : जेंडर बजट में योजनाओं के प्रकार



चित्र-5 : भारत और बिहार के लिए तुलनात्मक सूचक



तालिका 2 : पुरुषों और महिलाओं के लिए तुलनात्मक सूचक

क. सं.	सूचक	बिहार		भारत		स्रोत
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	कुल जनसंख्या (करोड़) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	जनगणना 2011
2	लिंग अनुपात (सभी उम्र) (2011)	1000	918	1000	943	
3	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919	
4	कार्य सहभागिता दर(2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	साक्षरता दर(2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	साक्षरता दर(7-18 वर्ष) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

उक्त तालिका में बिहार और भारत में महिलाओं की स्थिति दर्शायी गई है। बाल लिंग अनुपात के मामले में बिहार का अनुपात 935 है जो संपूर्ण भारत के 919 से बेहतर है। परन्तु सभी उम्र समूहों के लिए लिंग अनुपात (918), कार्य सहभागिता दर (19.1) आदि कुछ अन्य सूचकों के मामले में महिलाएं अभी भी पीछे हैं। राज्य स्तर पर इसमें सुधार हेतु कई पहल किए गए हैं। हालांकि इसमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

तालिका 3 : बिहार में महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक सूचक

क्र. सं.	सूचक	2019-20	2015-16	वृद्धि/कमी	स्रोत
शिक्षा संबंधी सूचक					
1	साक्षरता (%)	55.0	49.6	5.4	NFHS
2	10 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
स्वास्थ्य संबंधी सूचक					
3	संस्थागत प्रसव (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	सामान्य से कम देह भार सूचकांक (15-49 वर्ष)(%)	25.6	30.4	-4.8	NFHS
5	15-49 वर्ष की रक्ताल्पता-ग्रस्त महिलाएं (%)	63.5	60.3	3.2	NFHS
सशक्तीकरण संबंधी सूचक					
6	घरेलू फैसलों में आम तौर पर हिस्सा लेने वाली वर्तमान में विवाहित महिलाएं (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	खुद से चलाने वाली बैंक या बचत खाता वाली महिलाएं (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
8	अपने पास रखकर खुद मोबाइल का उपयोग करने वाली महिलाएं (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

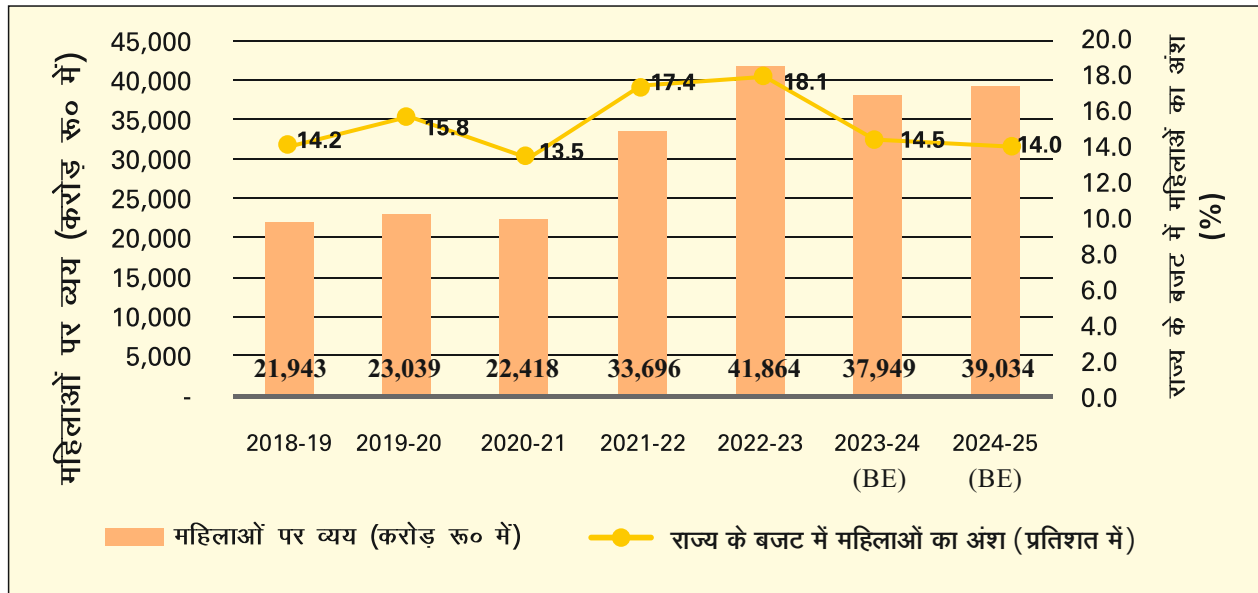
टिप्पणी : – राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

उपरोक्त सूचक बताते हैं कि इन दो अवधियों, 2015-16 और 2019-20 के बीच, बिहार में महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सशक्तीकरण के संकेतक— महिलायें जिनका अपना बचत खाता है, में 50.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। अतः बिहार में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रारंभ हुए जेंडर बजटिंग का प्रतिफल अब दृष्टिगोचर होनेवाला है।

तालिका 4 : जेंडर बजट : महिलाओं के लिए व्यय

विवरण	2018-19 (वास्तविक व्यय)	2019-20 (वास्तविक व्यय)	2020-21 (वास्तविक व्यय)	2021-22 (वास्तविक व्यय)	2022-23 (वास्तविक व्यय)	2023-24 (बजट अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
राज्य बजट परिव्यय	154655	146097	165696	193123	231904	261885	278726
महिलाओं के लिए व्यय (जेंडर बजट)	21943	23039	22418	33696	41864	37949	39034
बिहार के राज्य बजट में महिलाओं का हिस्सा (%)	14.19	15.77	13.53	17.45	18.05	14.49	14.00
चिन्हित विभागों का कुल बजट	88080	84310	90269	112571	130030	139358	81050
सूचनादाता विभागों में महिलाओं का हिस्सा (%)	24.91	27.33	24.83	29.93	32.20	27.23	48.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)	530363	617153	618628	675448	751396	858928	976514
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिलाओं का हिस्सा (%)	4.14	3.73	3.62	4.99	5.57	4.42	4.00

चित्र-6 : राज्य बजट में महिलाओं का हिस्सा



महिला विकास के प्रयास

समाज में महिलाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। किसी समाज का समग्र विकास महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करता है। प्रगतिशील एवं उन्नत समाज में महिलाओं का निरंतर विकास स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। महिलाओं का सशक्तीकरण तभी संभव है, जब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर मिले और वे समाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित कर सकें। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 के 'लक्ष्य-5' के तहत गरीबी, असमानता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसी चुनौतियों पर काम करना और उनका समाधान करना वैश्विक सफलता का मुख्य लक्ष्य है। विगत वर्षों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं निम्नलिखित हैं :

‘आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार’ विजन के तहत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। वहीं, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, फलस्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान एवं सक्रियता बढ़ी है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, बालिका औपचारिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हर घर बिजली योजना, राज्य महिला रोजगार नीति 2015, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना (जिसके तहत महिला हेल्पलाइन योजना, अल्पावास गृह, सामाजिक जागरूकता, सर्वसुविधा केंद्र योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के जरिए महिला/बालिका सशक्तीकरण होता है) इत्यादि जैसे योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं।

इस संबंध में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास और हासिल उपलब्धियां नीचे वर्णित हैं :

1. सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

- राज्य के सभी सेवाओं/संवर्गों में होनेवाली सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान है।
- महिला आरक्षण नीति के तहत अप्रैल 2023 से अभी तक सभी स्थायी सरकारी नौकरियों में नियुक्त कुल 2,28,256 सरकारी सेवकों में से महिलाओं की संख्या 1,08,192 है। यह कुल स्थायी नियुक्ति का 47.40 प्रतिशत है, जो 35 प्रतिशत के आरक्षित हिस्से से 12.40 प्रतिशत अंक अधिक है।

- पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिहाज से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
- राज्य में कानून व्यवस्था संभालनेका मुख्य दायित्व पुलिस बल का होता है। वर्ष 2021–22 से 2022–23 के बीच राज्य के आरक्षी बलों में 46 महिला पुलिस अधिकारियों, 1661 महिला आरक्षी उप–निरीक्षकों और 8128 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई।

2. शिक्षा में लड़कियों/महिलाओं के लिए आरक्षण और प्रोत्साहन

- छात्राओं को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संस्थानों में डिग्री और उससे उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों की कुल सीट में से 33 प्रतिशत (एक तिहाई) लड़कियों/महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- उच्च शिक्षा में महिलाओं को प्रोत्साहन हेतु इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर पर उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रु. प्रति छात्र दिए जाते हैं, जिससे 12,42,259 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। इसी प्रकार, स्नातक/समकक्ष पाठ्यक्रमों के लिए अविवाहित छात्राओं को 50,000 रु. प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं, जिससे 1,61,513 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं।
- 'अवसर बढ़े आगे पढ़े' के तहत वर्तमान में 6 बी.एससी. नर्सिंग महाविद्यालयों, 16 जीएनएम (सामान्य नर्सिंग एवं प्रसूतिविद्या) संस्थानों, 21 पारा–मेडिकल संस्थानों, 4 फार्मसी महाविद्यालयों, 19 पॉलीटेक्निक संस्थानों, 23 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 30 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 50 एएनएम (सहायक नर्स एवं प्रसूतिविद्या) संस्थानों तथा 58 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन निर्माण का काम पूरा हो गया है।
- इसके अलावा, 10 बी.एससी. नर्सिंग महाविद्यालयों, 7 जीएनएम संस्थानों, 7 पारा–चिकित्सा संस्थानों, 1 फार्मसी महाविद्यालय, 8 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 1 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन निर्माणाधीन हैं।
- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत 2022–23 में 49.9 लाख के लक्ष्य की तुलना में 49.4 लाख छात्राएं योजना से लाभान्वित हुईं। वहीं, योजना के तहत 387.41 करोड़ रु. के लक्ष्य के मुकाबले 383.79 करोड़ रु. वितरित किए गए जो लक्ष्य के 99 प्रतिशत से भी अधिक है।

3. महिला उद्यमिता

- महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना –मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना–के तहत 2021–22 से 2023–24 के बीच चुने गए 7596 लाभार्थियों के बीच कुल 451.35 करोड़ रु. वितरित किए गए।

- 33 उत्पादक कंपनियों के निबंधन के साथ महिला किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनके उत्पादों को संग्रहित तथा बाजार से संपर्कित किया जा रहा है। ये कंपनियां महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही हैं।
- वर्ष 2024–25 तक उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय सृजन और रोजगार सृजन के लिए 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यमी के बतौर 40 सदस्यों को चुना गया है और मुजफ्फरपुर में एक बैग क्लस्टर विकसित किया गया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप विनिर्माण में प्रशिक्षण पाने के बाद सौर ऊर्जा सामग्रियों की दूकान चला रही हैं। इस उद्यम से कुल 372 दीदियां जुड़ी हुई हैं। इस उद्यम को चलाने के लिए गया जिले में जे-वायर्स कंपनी स्थापित की गई है।
- पटना नगर निगम की मलिनबस्तियों में रहने वाली महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छांगिनी परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं को उद्यमिता के जरिए स्वरोजगार का अवसर दिया जा रहा है। इससे महिलाओं की क्षमता बढ़ती है और उनका समग्र विकास होता है। स्वच्छांगिनी परियोजना की ऐसी महिलाओं को 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया।

4. आजीविका प्रोत्साहन (जीविका)

- बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना “जीविका” राज्य में महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है। जीविका द्वारा अभी तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं और 1 लाख 30 हजार परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं। वर्ष 2024–25 में लगभग 1.03 लाख नए समूह गठित किए जाने का लक्ष्य है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जीविका द्वारा शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। वहां लगभग एक लाख नए समूहों के गठित होने से लगभग 20 लाख परिवार उनसे जुड़ेंगे। वर्ष 2024–25 में आजीविका प्रोत्साहन के लिए नवगठित स्वयं सहायता समूहों को लगभग 150 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- महिलाओं द्वारा जैविक खेती के लिए 85 फसलों का चुनाव करके संकुल विकसित किए जाएंगे।
- वर्ष 2024–25 तक पशुपालन के तहत 10 लाख परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य है।
- राज्य में कृषि विभाग के राज्य बागवानी मिशन की सहायता से स्वयं सहायता समूहों से

जुड़ी 11,789 महिलाएं मधुमक्खी पालन कर रही हैं। अभी तक 2724.7 मेट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है।

- बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 2024–25 में लगभग 10 हजार करोड़ रु. का ऋण देने का लक्ष्य है। जीविका दीदियों द्वारा 2024–25 में लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। साथ ही, 2024–25 में 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों और 52 लाख महिला किसानों के बीमा आच्छादन का लक्ष्य है।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 82 अस्पतालों, 81 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों तथा 29 अन्य संस्थानों में दीदी की रसोई की इकाइयां चलाई जा रही हैं। अभी तक जीविका दीदी की रसोई की कुल 194 इकाइयां चलाई जा रही हैं। वर्ष 2024–25 में दीदी की रसोई की 50 और इकाइयां शुरू करने का लक्ष्य है।
- राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के प्रशिक्षुओं के लिए वर्दियां सिलने के लिए जीविका दीदी का सिलाईघर शुरू किया गया है। अभी कोइलवर और गोरौल में जीविका दीदी के सिलाईघर चल रहे हैं जिनमें 700 जीविका दीदियां काम कर रही हैं।
- ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर जीविका दीदियों ने दीदी की नर्सरी की 789 इकाइयां विकसित की हैं। इनमें से 403 पौधशालाएं मनरेगा के तहत और 310 पौधशालाएं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत विकसित की गई हैं। अभी तक 3.39 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं।
- ग्रामीण परिवारों के बच्चों को पढ़ाई पूरी करने में उचित सहयोग और कैरियर निर्माण के बारे में सही सलाह देने के लिए राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में चिन्हित संकुलों में 'जीविका पुस्तकालय' शुरू किए गए हैं।
- कौशल विकास के तहत काम करते हुए जीविका युवक–युवतियों को मांग आधारित खुदरा व्यवसाय, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटो, बिजली आदि के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। अभी तक लगभग 3.33 लाख युवक–युवतियों को प्रशिक्षित और नियोजित या स्वनियोजित कराया गया है। वर्ष 2024–25 में 35 हजार युवक–युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
- जीविका ने दिल्ली और बंगलोर में बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र स्थापित किए हैं।

5. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन

- बिहार लोक सेवा आयोग और केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रारंभिक चरण (पीटी) में उत्तीर्ण महिला प्रत्याशियों को प्रोत्साहित करने और मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए क्रमशः 50,000 रु. और 1,00,000 रु. एकमुश्त दिए जाते हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम ने अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 1405 और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लिए 80 महिला प्रत्याशियों को लाभान्वित किया है। इस योजना के तहत अभी तक निगम द्वारा कुल 7 करोड़ 82 लाख 50 हजार रु. का भुगतान किया गया है।

6. प्रशिक्षण और सहयोग

- महिला एवं बाल विकास निगम मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के सेवा क्षेत्र प्रशिक्षण के तहत महिलाओं और किशोरियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है जिसका लक्ष्य कुशल/व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उनका क्षमता विकास करना है। प्रशिक्षण के बाद तैनाती और स्वरोजगार का भी प्रावधान है। सेवा क्षेत्र के तहत महिलाओं को कार्यक्षेत्र में विशेष अनुभव और योग्यता वाले प्रशिक्षण संस्थानों/संस्थानों द्वारा गृहव्यवस्था, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर और विक्रय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचीबद्ध संस्थानों द्वारा मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। निगम द्वारा अभी तक 623 बैचों के जरिए 16,021 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
- जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के पुनर्वास के लिए सामाजिक पुनर्वास कोष गठित किया गया है। जिला कार्यालयों के जरिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 15,000 रु. का अनुदान दिया जाता है। इस कोष से अभी तक 1283 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- परिवार और समाज में उत्पीड़ित हो रही महिलाओं और किशोरियों की समस्याओं के समाधान के लिए पुनर्वास होने तक उन्हें प्रशिक्षण सहित अल्पकालिक आश्रय देने के लिए अल्पावास गृह चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2022–23 में निबंधित 8002 मामलों में से लगभग 87 प्रतिशत (6952) का निपटारा कर दिया गया है। वहीं, 2023–24 में सितंबर तक 90 प्रतिशत मामले हल कर दिए गए हैं।

7. अन्य पहलें

- बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के लिए विशेष पोषण योजना।
- महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रम/योजनाएं।
- महिलाओं और बच्चों के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण से संबंधित सभी अधिनियमों को लागू करना।

महिला और बालिकाओं के लिए चलने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं

जेंडर बजट दस्तावेज महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए प्रावधानों को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से महिला कल्याण और विशेष रूप से महिला सशक्तीकरण के लिए है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा महिला-केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऐसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं। महिला विकास निगम और बिहार सरकार के अन्य प्रासंगिक विभाग आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से वंचित अन्य समुदायों की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विवरणीनिम्नांकित है :-

समाज कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारको विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000 रु. तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000 का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजनान्तर्गत 10043.25 लाख रु0 के बजट उपबंध के विरुद्ध 6384.03 लाख रु0 व्यय कर 1,27,308 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

2. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

राज्य सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन बालिका भ्रूणहत्या रोकने, जन्म के निबंधन को प्रोत्साहित करने, लड़कियों का टीकाकरण पूरा करने, लिंग अनुपात बढ़ाने, बालिका मृत्यु दर घटाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने और कुल प्रजनन में कमी लाने के उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के तहत लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन दिया जाता है। लड़की के जन्म पर उसके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्यक्ष लाभान्तरण के जरिए 2000 रु. दिए जाते हैं। फिर उसके एक साल पूरा होने और आधार निबंधन हो जाने पर उसके माता-पिता/अभिभावक के खाते में 1000 रु. दिए जाते हैं। लेकिन यह लाभ परिवार की पहली दो लड़कियों तक के लिए ही सीमित है। वर्ष 2023-24 में इससे कुल 2,87,613 लड़कियां लाभान्वित हुई हैं।



3. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

महिलाओं और किशोरियों के समेकित विकास एवं सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना संचालित है।

3.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले महिला अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा की बेहतर तैयारी करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा सिविल सेवा में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए उनके सशक्तीकरण के उद्देश्य से 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि' प्रदान की जाती है। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में वैसे सभी अभिवंचित महिला अभ्यर्थी के उत्तीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमशः 50,000 रु. और 1,00,000 रु. की 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि' देय है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं एवं 68वीं संयुक्त परीक्षा में प्रारंभिक जांच-परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 1198 एवं 207 महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें 108 महिला अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुई है।

3.2 सर्वसुविधा केंद्र-सह-महिला हेल्पलाइन

सभी 38 जिलों में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपना परिवार टूटने से बचाने में मदद के लिए परामर्श दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता, कानूनी सहायता आदि उपलब्ध कराई जाती है। सभी जिलों में जिला दंडाधिकारियों की देखरेख में महिला हेल्पलाइन 181 स्थापित किए गए हैं जो चौबीसो घंटे काम करते हैं। वर्ष 2023-24 में महिला हेल्पलाइन-सह वन स्टॉप सेंटर में पंजीकृत केसों की संख्या 2075 एवं निष्पादित केसों की कुल संख्या 1950 है।

3.3 अल्पावास गृह

घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, दहेज या अन्य कारणों से परिवार और समाज में उत्पीड़ित हो रही महिलाओं और किशोरियों को समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता दी जाती है और उनका कौशल विकास और क्षमता निर्माण किया जाता है। अल्पावास गृहों का संचालन पुनर्वास पूरा होने तक उन्हें अल्पावधि आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अल्पावास गृहों में निबंधित अधिवासियों की कुल संख्या 294 और पुनर्वासित अधिवासियों की कुल संख्या 308 है।

3.4 विशेष महिला कोषांग

पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और प्राथमिकी दर्ज करने के वास्ते महिलाओं और किशोरियों को परामर्श तथा सहायता देने के लिए पटना जिले के 23 पुलिस थानों में विशेष महिला कोषांग स्थापित किए गए हैं। निगम ने हर कोषांग में एक परामर्शदाता की नियुक्ति

की है। महिला एवं बाल विकास निगम और टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआइएसएस) के सहयोग से राज्य के 6 जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में भी विशेष महिला कोषांग काम कर रहे हैं।

3.5 सामाजिक पुनर्वास कोष

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए “सामाजिक पुनर्वास कोष” नामक कोष स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना घरेलू हिंसा, सामाजिक और अपराधिक हिंसा, अवैध मानव व्यापार, डायन बताने आदि के कारण उत्पीड़ित महिलाओं और उनके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के चिकित्सीय, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए की गई है। इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों को दो समूहों में बांटा गया है – स्रोत और गंतव्य। उत्पीड़ित महिला या किशोरी को जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम 15,000 रु. तक अनुदान देने का प्रावधान है। कोष के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 तक कुल 1236 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

4. सेवा प्रक्षेत्र प्रशिक्षण

बीपीएल तबके की महिलाओं की हैसियत बढ़ाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद के लिए उन्हें आवश्यक कौशलों से लैश करने के लिए सेवा प्रक्षेत्र प्रशिक्षण की 2017 में शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा, सौंदर्य एवं तंदुरुस्ती, पर्यटन एवं आतिथ्य, इलक्ट्रॉनिक्स आदि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। उन्हें स्वास्थ्य देखरेख, खुदरा आदि क्षेत्रों में रोजगार पाने लायक और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के साथ सूचीबद्ध संस्थानों के जरिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 648 बच्चों के 702 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

5. पालना घर

कामकाजी माता-पिता अपने काम के दौरान अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पलना घर में छोड़ सकते हैं। पलना घर में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। कामकाजी महिलाओं के छः महीने से पांच वर्ष तक के बच्चों की उचित देखरेख के लिए मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत पलना घर का प्रावधान किया गया है।

अभी चार स्थानों पर पलना घर चल रहे हैं :

- समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- कारा विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना।
- नया सचिवालय, विकास भवन, पटना।
- सरदार पटेल भवन, पटना।

6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका आरंभ बालिका भ्रूणहत्या रोकने और लिंग अनुपात संतुलित

करने के लिए वैशाली जिले से हुआ है। अभी बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता का यह महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके तहत लड़कियों के जन्म पर बधाई संदेश भेजे जाते हैं। बिहार में विशेष पहल के बतौर 'घर का नाम बेटा के नाम' का आरंभ किया गया था जिसके राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम नवाचार के रूप में सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत जिलाधिकारी की देखरेख में जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यबल गठित किया जाता है।

7. **माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम**

माहवारी संबंधी सेहतमंद व्यवहारों के महत्व और विधियों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के मकसद से किशोरियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है। इसके उचित क्रियान्वयन और बेहतर अनुश्रवण के लिए राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय कार्यबल गठित किया गया है। राज्य-स्तरीय माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सभी विभागों के मुख्य प्रवीण प्रशिक्षकों को चार-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में स्थित बालिका मध्य और उच्च विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें और इनसिनरेटर लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को धनराशि भेजी गई है।

8. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती / शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना और गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं में कमी लाना है। योजना के तहत मजदूरी के नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ताकि पहले बच्चे के जन्म के पहले और बाद में महिलाएं पर्याप्त आराम कर सकें। इस घटक के तहत पोषण संबंधी मानकों को पूरा करने की बात सोचकर गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के छः महीने बाद तक स्थानीय आंगनवाड़ी सेविकाओं के जरिए मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पहले बच्चे के मामले में दो किशतों में 5000 रु. दिए जाते हैं। वहीं, दूसरे बच्चे के मामले में लड़की का जन्म होने की स्थिति में एक ही किशत में 6000 रु. दिए जाते हैं। हालांकि दूसरे बच्चे के लिए लाभ पाने के लिए गर्भावस्था के दौरान निबंधन कराना जरूरी होता है।

9. **पूरक पोषाहार**

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में लघु आंगनवाड़ी केंद्रों सहित कुल 1,14,718 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। उनमें 6 महीने से 6 वर्ष तक उम्र के सभी सामान्य / कुपोषित / गंभीर कुपोषित बच्चों और सभी गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार देने का प्रावधान है। अभी उसके लिए तय दर सामान्य बच्चे के लिए 8 रु. प्रतिदिन, गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए 12 रु. प्रतिदिन और गर्भवती / शिशुवती महिलाओं के लिए 9.50 रु. प्रतिदिन है। पूरक पोषाहारों का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है।

10. **इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना**

इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की 40 से 79 वर्ष तक उम्र की विधवाओं को 400 रु. प्रति माह

की दर से पेंशन दिया जाता है जिसमें से 300 रु. केंद्र सरकार द्वारा और 100 रु. राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। पेंशनधारियों की उम्र 80 वर्ष हो जाने पर उन्हें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर दिया जाता है।

11. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

इस योजना के तहत बीपीएल या 60,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की 18 वर्ष या अधिक उम्र वाली विधवाओं को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन में नहीं शामिल हो पाने तक 400 रु. प्रति माह पेंशन दिया जाता है। इस योजना के तहत शत-प्रतिशत व्यय का वहन राज्य सरकार करती है।

12. वृद्धावास (सहारा)

बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण नियमावली, 2012 के तहत राज्य के पांच जिलों — पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर और पश्चिम चंपारण — में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वृद्धावास संचालित किए जा रहे हैं। पांचों वृद्धावासों की कुल आवासीय क्षमता 300 है जिनमें 212 बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। भवन निर्माण विभाग की सहायता से पटना के गुलजारबाग में 100 शय्या वाला वृद्धावास बनाया गया है। गया में भी वृद्धावास बनाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के जरिए विद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :

- कक्षा 1 से 4 के लिए 50 रु. मासिक
- कक्षा 5 से 6 के लिए 100 रु. मासिक
- कक्षा 7 से 10 के लिए 150 रु. मासिक
- छात्रावास में रहने पर कक्षा 1 से 10 के लिए 250 रु. मासिक

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित कक्षा 10 की परीक्षा में शामिल होकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रु. की और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 8000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों को कक्षा 12 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रु. की और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

3. आवासीय विद्यालय

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 21 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 25,600 और 7720 विद्यार्थियों की है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री, भोजन, वस्त्र, दवा आदि बुनियादी दैनिक जरूरतों के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। सभी आवासीय विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। अभी 26 आवासीय विद्यालय +2 स्तर पर चल रहे हैं और 2024-25 में 19 और विद्यालयों को +2 तक पर चलाया जाएगा। इस प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए अभी कुल 36 आवासीय विद्यालय चल रहे हैं।

4. छात्रावास

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 101 और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 15 छात्रावासों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आवासीय सुविधाओं के तहत विद्यार्थियों को चारपाई, गद्दे, तौलिया / गमछा, बेडशीट, कंबल, तकिया, मच्छरदानी, अध्ययन मेज, भोजन और खाना पकाने के बर्तन, आरओ का पानी आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए एक छात्रावास हैं।

5. प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र

अभी पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर जैसे विभिन्न जिलों में 10 प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों में विभिन्न परीक्षाओं के लिए लगभग 2400 प्रत्याशियों को कोचिंग दी जाती है। साथ ही, पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्र चल रहा है। इस केंद्र में हर साल कैट आदि की तैयारी के लिए 60 विद्यार्थियों को कोचिंग देने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षु देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में नामांकन की सुविधा पा सकेंगे। इन केंद्रों में लड़कें और लड़कियों, दोनों को कोचिंग दी जाती है।

6. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक जांच-परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आगे तैयारी करने के लिए 50,000 रु. की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक जांच-परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 1,00,000 रु. की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पुरुष और महिला, दोनों प्रत्याशी शामिल हैं।

7. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना

इस योजना के तहत पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 1000

रु. छात्रावास अनुदान प्रति विद्यार्थी प्रति माह का लाभ देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह 15 कि०ग्रा० की दर से खाद्यान्न (9 कि०ग्रा० चावल एवं 6 कि०ग्रा० गेहूँ) आपूर्ति की जाती है।

8. खाद्यान्न आपूर्ति योजना

छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को विभाग द्वारा हर महीने 15 किलोग्राम अनाज (9 किग्रा चावल और 6 किग्रा गेहूँ) की आपूर्ति की जाती है। इस योजना से अभी अनुसूचित जाति की 170 और अनुसूचित जनजाति के 48 छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं।

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सहायता

इस योजना को उत्पीड़न के शिकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता देने के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को राहत राशि भी दी जाती है।

10. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पुरुषों और महिलाओं सहित को आर्थिक उन्नति के लिए अधिकतम 50,000 रु. तक का अनुदान दिया जाता है।

11. महादलित विकास

बिहार महादलित विकास मिशन का गठन संस्था निबंधन अधिनियम 1860 के तहत महादलित समुदाय के कल्याण के लिए किया गया था। उनकी आर्थिक उन्नति और अवसंरचना विकास के लिए योजनाएं बिहार महादलित विकास मिशन के जरिए स्वीकृत होती हैं। राज्य में विकास मित्र के 9820 स्वीकृत पद हैं जिनमें महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वहीं, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवारों की युवक-युवतियों को चुनिंदा संस्थानों द्वारा कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। महिलाओं के लिए विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठन नारी गुंजन द्वारा पटना और गया में इसका क्रियान्वयन हो रहा है जहां 150-150 लड़कियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ अपारंपरिक शिक्षा भी दी जाती है। विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास योजना के तहत पटना में 150 के लक्ष्य में से 150 और गया में 100 के लक्ष्य में से 100 महादलित लड़कियों को योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार महादलित विकास मिशन और महिला विकास निगम, पटना की सहायता से सभी जिलों में विकास मित्रों की सहायता से तीन किशोरी और एक किशोर समूह गठित किए हैं। चिन्हित विकास मित्रों को महिला विकास निगम के जरिए अपने पंचायत/वार्ड में भी किशोर/किशोरी समूह गठित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार के नए दिशानिर्देश में प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी ही

शामिल हैं इसलिए 2022–23 से कक्षा 1 से 10 तक में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रवेशिका–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है जहां लगभग 99 प्रतिशत रकम राज्य योजना के तहत ही खर्च की जा रही है।

2. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

राज्य योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, खास कर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

3. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 10) की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 10,000 रु. का एकमुश्त वजीफा दिया जाता है।

4. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 10) की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रु. तक हो, प्रति विद्यार्थी 10,000 रु. का एकमुश्त वजीफा दिया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा यह रकम पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को दी जाती है।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय

राज्य के 11 जिलों में चल रहे कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के अलावा शेष 27 जिलों में भी एक-एक आवासीय कन्या +2 उच्च विद्यालय खोले जाएंगे जिन पर 2023–24 में काम शुरू हो गया है। कुल 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1365 पद सृजित किए गए हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। सभी 38 जिलों में 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के लिए भवन निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत सभी जिलों में एक-एक छात्रावास के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 36 जिलों में छात्रावास काम कर रहे हैं और शेष दो जिलों में निर्माण कार्य जारी है जो अगले वित्तवर्ष में पूरा हो जाएगा। इन छात्रावासों में रहने की मुफ्त सुविधा के अलावा मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत हर विद्यार्थी को 1000 रु. और छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत 15 किलोग्राम खाद्यान्न भी दिया जाता है।

7. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रारंभिक जांच-परीक्षा (पीटी) में

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रु. की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक जांच-परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 1,00,000 रु. दिए जाते हैं। इस योजना का विस्तार करके पहले से शामिल परीक्षाओं के अलावा केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं विभिन्न बैंकिंग सेवा नियुक्ति पर्षदों/ बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और रेलवे नियुक्ति बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं की प्राथमिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निर्दिष्ट दर पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

8. प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण योजना

प्राक्-परीक्षाप्रशिक्षण योजना के तहत पात्रता की शर्तों के अनुसार, वार्षिक आय की सीमा वर्तमान एक लाख रु. से बढ़ाकर तीन लाख रु. कर दी गई है और इसके केंद्र राज्य के 37 जिलों में चल रहे हैं। सभी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के लिए प्रति केंद्र 2.5 लाख रु. की दर से स्वीकृति प्रदान की गई है। कथित केंद्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए 3000 रु. दिए जाते हैं।

9. मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना

इस योजना के तहत उच्च शैक्षिक पदों पर और संबंधित रोजगारों में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रबंधन, कानून आदि विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तैयारी करने के लिए मुफ्त मार्गदर्शन दिया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक (कक्षा 10) की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रति विद्यार्थी 10,000 रु. का शैक्षिक प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही, 2014 से इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली मुसलमान छात्राओं में से प्रत्येक छात्राओं को 15,000 रु. दिए जाते हैं।

2. अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना

परित्यक्ता/तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 2006-07 से ही यह योजना चला रही है जिसका मकसद वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत हर परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एकमुश्त रकम दी जाती है। वर्ष 2017-18 में इस रकम को 10,000 रु. से बढ़ाकर 25,000 रु. कर दिया गया। इस सहायता योजना के तहत 2022-23 में 14,604 मुसलमान परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के बीच कुल 36.51 करोड़ रु. वितरित किए गए थे। वहीं, 2023-24 में 445 मुसलमान परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के बीच कुल 1.11 करोड़ रु. वितरित किए गए।

3. अल्पसंख्यक छात्रावास योजना

अल्पसंख्यक समुदाय की पढ़ने वाली छात्राओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रावास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अभी तक निर्मित कुल 51 बालक और बालिका छात्रावास चल रहे हैं जबकि शेष दो छात्रावास निर्माणाधीन हैं।

4. मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना

इस योजना की शुरुआत 2008-09 में अल्पसंख्यक युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके रोजगार के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवक-युवतियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण और विशेष सहायता देना है।

5. राज्य कोचिंग योजना

बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य तकनीकी तथा पेशेवर प्रतिस्पर्धाओं के जरिए मिलने वाली नौकरियों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिहाज से उनकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था 2006-07 में शुरू हुई थी। अभी पटना और दरभंगा जिलों में कोचिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

6. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

राज्य के ऐसे बेरोजगार युवक-युवतियों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रु. से अधिक नहीं हो, सुशासन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार के लिए राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड के जरिए 5 प्रतिशत वार्षिक सामान्य ब्याज दर पर 5 लाख रु. तक का ऋण दिया जाता है।

7. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान/खाद्यान्न योजना

इस योजना का आरंभ 2018-19 में हुआ था। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा की दर बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1000 रु. का अनुदान दिया जाता है। साथ ही उन्हें हर महीने 15 किलोग्राम खाद्यान्न भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

शिक्षा विभाग

1. नगर/पंचायत/जिला परिषद के शिक्षकों के रोजगार में महिलाओं की भागीदारी

स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं, प्रखंडों, और जिला परिषदों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नौकरी में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और उनकी भागीदारी ने उनको आय सृजन के नेतृत्व में ला खड़ा किया है। इससे महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिला है। यह विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो रही है।

2. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

बिहार सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। यह

योजना प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। इस योजना के तहत स्कूली पोशाक के लिए कक्षा 1 और 2 की लड़कियों को 600 रु., कक्षा 3 से 5 तक की लड़कियों के लिए 700 रु. और कक्षा 6 से 8 तक की लड़कियों के लिए 1000 रु. देने का प्रावधान है। वहीं, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों को स्कूली पोशाक खरीदने के लिए 1500 रु. दिए जाते हैं।

3. **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना**

राज्य सरकार ने परिवारों और समुदायों की दशा सुधारने और उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर लाने के लिए कदम उठाए हैं। महिलाओं की भूमिका मजबूत करने के लिए जून 2007 में मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना की शुरुआत की गई थी। इसने गांवों की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पढ़ने की इच्छा रहने के बावजूद किशोरियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। कक्षा 9 की ऐसी लड़कियों को साईकिल खरीदने के लिए 3000 रु. दिए जाते हैं। इससे माध्यमिक स्तर पर नामांकन कराने के लिए सुदूर क्षेत्रों की लड़कियों में भी आत्मविश्वास पैदा हुआ है। यह योजना महिला शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुई है।

4. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा अभियान)**

बिहार सरकार ने हर पंचायत में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करके इस श्रेणी में लाया गया है। इस योजना के तहत 14 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक विषमताओं की समाप्ति और विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण विकास में सुधार के लिए इस योजना का लक्ष्य विकास के लिए पाठ्यचर्या में सुधार करते हुए शिक्षकों को नियुक्त और प्रशिक्षित करना है। कथित योजना के क्रियान्वयन से विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा के साथ-साथ बालिका छात्रावासों में सुरक्षा भी इस योजना का लक्ष्य है।

5. **मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम के जरिए विद्यालयों में नामांकित 12 वर्ष से अधिक उम्र की सभी लड़कियों को प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। योजना के तहत उन्हें माहवारी संबंधी स्वास्थ्य और प्रबंधन के बारे में भी सामान्य और विशेष जानकारी दी जाती है। साथ ही, मासिक चक्र के दौरान सफाई सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को जरूरत के अनुसार सैनिटरी पैड के उपयोग और निपटान के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इस संबंध में सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए किशोरियों को प्रति वर्ष 300 रु. दिए जाते हैं। बिहार सरकार की इस योजना से लड़कियों में मासिक चक्र के बारे में मौजूद भ्रांतियां और जड़ता दूर हुई है और हिचकिचाहट काफी हद तक समाप्त हुई है।

6. **बिहार बाल भवन किलकारी योजना**

बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए बाल भवन “किलकारी” योजना 2008 से ही चल रही है। इस योजना में 8 से 16 वर्ष तक उम्र के बच्चों को 25 प्रकार की गतिविधियों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता

है। बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है ताकि लड़कों और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो। किलकारी लड़कियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना साबित हुई है।

7. **मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना**

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति – किसी भी तबके की छात्रा के खाते में 10,000 रु. भेज दिए जाते हैं। साथ ही, सभी तबकों की छात्राओं को की इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रु. और स्नातक में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रु. दिए जाते हैं।

8. **मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना**

इस योजना के तहत राज्य सरकार/ सरकारी सहायता-प्राप्त/ योजना के तहत प्रोन्नत परियोजना/परियोजना उच्च माध्यमिक/स्वीकृति-प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक/ अनुदान-प्राप्त और स्वीकृत गैर-सरकारी विद्यालयों/मदरसों/संस्कृत विद्यालयों और वित्तपोषण-रहित माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वाली सामान्य तबके की कक्षा 1 से 4 तक की छात्राओं को 50 रु., कक्षा 5 और 6 की छात्राओं को 100 रु. और कक्षा 7 से 10 तक की छात्राओं को 150 रु. मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के जरिए शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी काफी बढ़ी है।

9. **मध्याह्न भोजन योजना (पी0एम0 पोषण)**

इस योजना के तहत कक्षा 1 से 6 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। विद्यालयों में सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल के जरिए छात्राओं की नामांकन दर भी काफी बढ़ी है।

10. **शिक्षाधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट विद्यालयों में वंचित समूहों के बच्चों का नामांकन**

शिक्षाधिकार अधिनियम के तहत मान्यता-प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों को 25 प्रतिशत नामांकन कमजोर और वंचित समुदाय के बच्चों के बीच से करना होता है। सरकार इसके प्रति कृतसंकल्प है और ऐसे विद्यालयों को अनुदान दे रही है। समाज के कमजोर और वंचित तबकों के लड़के-लड़कियों को इस योजना से लाभ हो रहा है।

11. **कराटे का प्रशिक्षण**

राज्य के सरकारी/सरकारी सहायता-प्राप्त/अल्पसंख्यक/प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के जरिए लड़कियों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर बढ़ता है और हीनता-बोध दूर होता है। इस प्रशिक्षण के जरिए लड़कियां खुद को छेड़छाड़ करने वालों से बचा सकती हैं।

12. तरंग (सब-जूनियर खेल संगम)

तरंग प्राथमिक शिक्षा में जूनियर बच्चों के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। समाज के वंचित तबकों के विद्यार्थियों के मानसिक विकास में यह महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। बिहार सरकार तरंग कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है।

13. प्रौढ़ शिक्षा

साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के जरिए प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनने के लिए पढ़ाया जाता है और उनकी साक्षरता की जांच के लिए हर साल महापरीक्षा आयोजित की जाती है। इससे महिला साक्षरता बढ़ी है। इसके अलावा, भारतीय साक्षरता मिशन भी सफल कार्यक्रम है जिसने महिला साक्षरता दर बढ़ाई है।

14. समग्र शिक्षा अभियान

शिक्षाधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। इसके क्रियान्वयन में समग्र शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के जरिए विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और हर विद्यालय में शौचालय उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं।

15. राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय

राज्य सरकार महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। राज्य में अभी महिलाओं के लिए अलग विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार के इस कदम से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं।

16. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे वंचित समुदायों की लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देना है। इस योजना के तहत लड़कियां अब घर से दूर रहकर भी पढ़ाई कर सकती हैं।

17. समेकित कंप्यूटर प्रशिक्षण परियोजना

राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था समेकित कंप्यूटर प्रशिक्षण परियोजना के जरिए की जाती है। इस परियोजना के तहत राज्य के लड़के-लड़कियों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके जरिए एक ओर लड़कियों के बीच समानता की भावना विकसित होती है तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

18. राजकीय महिला महाविद्यालय

राज्य में लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पटना के गुलजारबाग और गर्दनीबाग में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी।

19. **उन्नयन कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन, स्मार्ट कक्षा और अन्य तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

20. **मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना**

इस योजना के तहत सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त और अल्पसंख्यक सहित गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा के लिए 20,000 रु. दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों का शैक्षणिक, व्यवहारिक और मानसिक ज्ञान बढ़ाना है। पौराणिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थलों की यात्रा करके विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ रहा है।

21. **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना**

सात निश्चय कार्यक्रम के 'आर्थिक हल युवाओं का बल' घटक के तहत राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम चार लाख रु. तक का ऋण मिलता है। इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना छात्रों को 4 प्रतिशत और छात्राओं तथा निःशक्त विद्यार्थियों को महज 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई है। वर्ष 2023-24 में सितंबर तक लड़कियों के 6044 आवेदनों के लिए 170.53 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग

1. **जननी एवं बाल सुरक्षा योजना**

मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में इच्छित कमी लाने के लिहाज से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह योजना बिहार में जुलाई 2006 से चल रही है।

2. **हर संस्थागत प्रसव के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि**

1 अप्रैल 2013 से प्रसव के बाद हर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूता महिला को 1400 रु. और आशा को 600 रु. दिए जाते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में महिला लाभार्थियों को 1000 रु. और आशा / आंगनवाड़ी सेविका को 400 रु. दिए जाते हैं।

3. **महिला वंध्याकरण**

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन के स्थायी उपाय महिला वंध्याकरण की सुविधा हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सप्ताह में दो दिन और हर जिला अस्पताल और प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) में प्रतिदिन उपलब्ध है। बिहार में परिवार विकास मिशन के तहत महिला वंध्याकरण के लिए लाभार्थी महिला को 2000 रु. और प्रेरक को 300 रु. की प्रोत्साहन राशि मिलती है।

महिलाओं के प्रसवोत्तर वंध्याकरण पर लाभार्थी को 3000 रु. और प्रेरक को 400 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वहीं, गर्भपात के बाद महिला वंध्याकरण के लिए लाभार्थी महिला को 2000 रु. और प्रेरक को 300 रु. की प्रोत्साहन राशि मिलती है।

4. आइयूसीडी (कॉपर-टी)

यह गर्भनिरोध का अस्थायी तरीका है जिसका उपयोग लंबी अवधि के लिए किया जा सकता है। आइयूसीडी 380ए 10 वर्षों के लिए और आइयूसीडी 375 पांच वर्षों के लिए प्रभावी है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कॉपर-टी लगाने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।

5. प्रसवोपरान्त आइयूसीडी (पीपीआइयूसीडी)

आइयूसीडी लगाने के 48 घंटे के अंदर लाभार्थी को काम संबंधी क्षतिपूर्ति के रूप में 300 रु. दिए जा रहे हैं। आइयूसीडी लगवाने के लिए लाभार्थी को स्वास्थ्य संस्थान में आने के लिए प्रेरित करने के लिए शहरी और ग्रामीण आशा को प्रत्येक आइयूसीडी लगाने के बाद 150 रु. दिए जाते हैं। वहीं पीपीआइयूसीडी लगाने के लिए सेवा प्रदाता (चिकित्सा अधिकारी/ स्टाफ नर्स/ एलएचवी) को प्रत्येक आइयूसीडी लगाने के बाद 150 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

6. गर्भपात के बाद आइयूसीडी (पीएआइयूसीडी)

नियमावली के अनुसार, गर्भपात के तत्काल बाद आइयूसीडी लगवाने पर 12 दिनों के अंदर लाभार्थी को काम संबंधी क्षतिपूर्ति के रूप में 300 रु. दिए जा रहे हैं। ऐसे हर मामले में प्रेरक रही शहरी या ग्रामीण आशा को प्रत्येक आइयूसीडी लगाने के बाद 150 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं, पीएआइयूसीडी लगाने के लिए सेवा प्रदाता (चिकित्सा अधिकारी/ स्टाफ नर्स/ एलएचवी) को प्रत्येक आइयूसीडी लगाने के बाद 150 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

7. गर्भनिरोधक सुई (अंतरा)

यह मांस के अंदर दिया जाने वाला हॉर्मोन आधारित गर्भनिरोधक है। यह अस्थायी उपाय है जो सुई लगाने के बाद तीन महीनों तक प्रभावी रहता है। दीर्घकालिक बचाव के लिए हर तीन महीने पर सुई लगवाने की जरूरत पड़ती है। नस में सुई लगवाने के लिए लाभार्थी को 100 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं लाभार्थी को प्रेरित करने के लिए आशा को भी 100 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

8. ममता कार्यक्रम

इसमें अनुसूचित जाति, खास कर रविदास समूह की गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखरेख करने और अन्य सुविधाएं देने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत ममता लोगों के बीच हर प्रसव पर 300 रु. का वितरण किया जाता है।

9. आशा कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी (आशा) के बतौर चुना जाता है। आम तौर पर हर एक हजार की आबादी पर या एक आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र में एक महिला

आशा के बतौर काम करती है। उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

ग्रामीण विकास विभाग

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी)

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गृहविहीन और कच्चे तथा जीर्णशीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्थायी घर के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना को पुनर्व्यवस्थित करके 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को राज्य के सामान्य जिलों में प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रु. और समेकित कार्ययोजना (आइएपी) वाले 11 जिलों में 1.30 लाख रु. दिए जा रहे हैं। ये 11 जिले अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी हैं। रकम तीन किशतों में दी जाती है और राज्य-स्तरीय नोडल लेखे से ई-एफएमएस प्रणाली के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

यह राज्य प्रायोजित योजना 2018-19 से चल रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के जिन परिवारों के आवास विभिन्न योजनाओं के तहत 1 जनवरी 1996 के पहले बने थे लेकिन अभी जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं और जो आवास योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस योजना के तहत के तहत सहायता दी जाती है। इसके तहत उनलोगों को मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, मुजफ्फरपुर के पांच प्रखंडों — बोचहां, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर और मुसहरी — में तीव्र एनसेफलाइटिस सिंड्रोम (ईएस) से पीड़ित लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची से बाहर रह गए लोगों को भी राज्य में पात्र गृहविहीन परिवारों के लिए धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए राज्य के सामान्य जिलों में प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रु. और समेकित कार्ययोजना वाले 11 जिलों में 1.30 लाख रु. दिए जाते हैं। रकम राज्य-स्तरीय नोडल लेखे से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है। योजना पर 2018-19 से अब तक कुल 31,682.55 लाख रु. खर्च किए गए हैं। वहीं, वर्तमान वित्तवर्ष 2023-24 में 1,11,04.95 लाख रु. व्यय किए गए हैं। साथ ही, जनवरी 2024 तक 34,735 मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है जिनमें से 24,155 मकान लाभार्थियों द्वारा बनवाए गए हैं।

3. मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना

मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना राज्य में 2018-19 से लागू है। भूमिहीन परिवारों और अतिक्रमण हटाने के कारण विस्थापित लेकिन जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार अभियान के जरिए आवासीय जमीन नहीं पा सकने वाले परिवारों को इस योजना के तहत बासगीत जमीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास

योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची से बाहर रह गए भूमिहीन परिवारों को भी इस राज्य-समर्थित योजना से वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तवर्ष 2023-24 में स्थानीय मूल्यांकन पंजी (एलडीआर) के आधार पर जमीन खरीदने के लिए लाभार्थियों को दी जाने वाली अधिकतम राशि 60 हजार रु. से बढ़ाकर 1 लाख रु. कर दी गई है। इस योजना के तहत अभी तक 60 हजार रु. की दर से 4070 लाभार्थियों को सहायता राशि अंतरित की गई है जिस पर कुल 2442.00 लाख रु. का व्यय हुआ है।

4. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

यह राज्य प्रायोजित योजना राज्य में 2020-21 से चल रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को 50,000 रु. उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें 1 अप्रिल 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ मिला था लेकिन मकान अधूरे रह गए थे। योजना के तहत 2023-24 के लिए 38,279 का भौतिक लक्ष्य तय किया गया था जबकि 16 जनवरी 2024 तक 16,353 लाभार्थियों के लिए मकानों के निर्माण को स्वीकृति मिली थी। उनमें से 4192 लाभार्थियों के मकान बन चुके हैं। वर्ष 2023-24 में अभी तक योजना पर 3536.90 लाख रु. खर्च हुए हैं।

5. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए)

सात निश्चय-1 के तहत शौचालय निर्माण घर का सम्मान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का आरंभ केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और राज्य द्वारा वित्तपोषित लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित करके किया गया था। योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की उपलब्धता और उनके लगातार उपयोग में सहायता की जाती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों, लघु और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और महिला प्रधान परिवारों) को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से लाभान्वित नहीं हो पाए श्रेणी 1 के परिवार भी इसके तहत आच्छादित हैं। सात निश्चय-2 के तहत अभियान के दूसरे चरण में 'स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव' का निश्चय किया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का दूसरा चरण शुरू करने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृति दी। इसके तहत चरणबद्ध ढंग से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए खुले में शौच से मुक्ति की निरंतरता बनाए रखकर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस बनाना है। साथ ही, अभियान के दूसरे चरण में सभी परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दूसरे चरण में कुल 13 लाख 55 हजार शौचालयों का निर्माण हुआ जिनमें से 2023-24 में (16 जनवरी 2024 तक) 6 लाख 36 हजार लाभार्थियों द्वारा अपने व्यक्तिगत शौचालयों का खुद निर्माण कराया गया है। साथ ही, भूमिहीन परिवारों, खास कर अजा/अजजा परिवारों और भ्रमणशील आबादी को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वच्छता संकुलों का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2019-20 से अब तक 9543 सामुदायिक स्वच्छता संकुलों का निर्माण कराया गया है।

6. जीविका – बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति

बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति अर्थात जीविका बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो राज्य में विकास, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए काम कर रही है। इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए संस्थागत संगठनों का निर्माण करके आजीविका के लिए वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन और अन्य बिंदुओं पर कार्य किए जा रहे हैं।

6(क) सामाजिक समावेश

अभी तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का निर्माण किया गया है। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जीविका के जरिए शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाएगा।

6(ख) वित्तीय समावेश

जीविका द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ समन्वय करके और स्वयं सहायता समूहों को उनके साथ जोड़कर अभी तक कुल 36,153 करोड़ रु. के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। बैंकों द्वारा वित्तवर्ष 2024–25 में लगभग 10 हजार करोड़ रु. का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं देने के लिए जीविका द्वारा विभिन्न बैंकों के सहयोग से 2023–24 में 254 ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए हैं। अभी तक कुल 5211 बैंक सखियों को प्रशिक्षित किया गया है और ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए हैं। जीविका दीदियों का लक्ष्य 2024–25 में लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है।

6 (ग) आजीविका को प्रोत्साहन

महिलाओं के सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय करके कृषि क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है। अभी तक 25.94 लाख महिला किसानों द्वारा कृषि की नई तकनीकें अपनाई गई हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 52 लाख महिला किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। अभी तक कृषि विभाग के समन्वय से संकुल संघों द्वारा 483 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले गए हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से समेकित पॉल्ट्री विकास और समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 5.62 लाख परिवारों को मुर्गी पालन और बकरी पालन से जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय गव्य विकास पर्यद की सहायता से कोशी प्रमंडल में कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित की गई है जिसके तहत अभी तक 804 दूध संग्रहण केंद्र खोले गए हैं। वहीं, अररिया में सीमांचल गोट प्रोड्यूसर कंपनी खोली गई है। इस कंपनी के साथ कुल 19,273 परिवार जुड़े हुए हैं।

साथ ही, कृषीतर क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए 701 उत्पादक समूह और 6 उत्पादक कंपनियां गठित की गई हैं। वहीं, कृषीतर क्रियाकलापों के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 2.44 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय सृजन और रोजगार सृजन के साथ जोड़ा गया है। वर्ष 2024–25 में 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास के साथ जोड़ने का लक्ष्य है। इसी प्रकार, लघु उद्यमियों, खास कर किराना दूकानों के साथ जुड़ी महिलाओं को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए ग्रामीण स्तर पर 140 ग्रामीण खुदरा बाजार चलाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास योजना के तहत 40 सदस्यों को उद्यमियों के बतौर चुनकर मुजफ्फरपुर में बैग संकुल विकसित किया गया है।

6 (घ) सामाजिक विकास

महिलाओं को लैंगिक भेदभाव और संबंधित हिंसा से बचाने और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 171 प्रखंडों में जीविका दीदी अधिकार केंद्र स्थापित किए गए। इसके तहत अभी तक 8.50 करोड़ रु. अंतरित किए गए हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत जीविका के 36 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत मछली पालन के लिए जीविका के ग्राम संगठनों को कुल 469 सार्वजनिक तालाब आबंटित किए गए हैं।

7. सतत जीविकोपार्जन योजना

राज्य सरकार शराब और ताड़ी बनाने/उतारने और बेचने में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगे अति गरीब परिवारों और अजा, अजजा तथा अन्य समुदायों के अति निर्धन परिवारों के लिए आजीविका को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण का काम कर रही है। इस योजना के तहत सामुदायिक संगठन समेकित परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 1 लाख रु. से 2 लाख रु. तक प्रति परिवार निवेश सहायता प्रदान करते हैं। आजीविका और आय के आधार पर उपयुक्त क्रियाकलापों के साथ जोड़ने के लिए अभी तक कुल 1,84,524 अति निर्धन परिवारों को चुना गया है। इनमें से 45,994 परिवार ताड़ी और देशी शराब के काम से जुड़े हुए थे जबकि 99,281 अति निर्धन परिवार अजा/अजजा समुदायों के और 39,249 अति निर्धन परिवार अन्य समुदायों के हैं। आजीविका में वृद्धि के लिए 2024–25 में प्रति परिवार अधिकतम 2 लाख रु. की समेकित परिसंपत्तियां अंतरित करने का लक्ष्य है।

8. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के सभी इच्छुक वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार परिवारों को अधिकाधिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा मिले तथा प्रवास को रोका जा सके। इस योजना के तहत 2022–23 में 31,01,540 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वहीं, वर्तमान वित्तवर्ष में अकुशल श्रम पर 3878.46 लाख रु. और प्रशासनिक व्यय सहित सामग्रियों पर 5.90 लाख रु. व्यय किए गए और लगभग 538 परिसंपत्तियां सृजित की गईं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. अभियान बसेरा कार्यक्रम

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों/व्यक्तियों के लिए इसका क्रियान्वयन 2014–15 से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में रह रहे अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग

(अनुसूची-5 और अनुसूची-3) जैसी पात्र श्रेणियों के भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए प्रति परिवार 5 डिसिमल की दर से जमीन/ भूखंड उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत भूमिहीन परिवारों की पात्र श्रेणी के लिए बिहार विशेष सुविधा-प्राप्त व्यक्ति गृहस्थल भूधारण अधिनियम (बीपीपीपीएचटी), 1949 के तहत किए गए सर्वेक्षण के आधार पर पर्चे दिए जाते हैं। इसके बाद शेष परिवारों को जमीन देने के लिए गैरमजरुआ मालिक/ गैरमजरुआ आम/ भूमि हदबंदी से अधिशेष जमीन अधिग्रहित की जाती है। साथ ही, एक जगह बसाने के लिए 20 परिवारों के संकुल को 5 डिसिमल प्रति परिवार की दर से 100 डिसिमल बासगीत जमीन के अतिरिक्त भी 20 डिसिमल जमीन दी जाती है। आंतरिक रास्ता और सामुदायिक भवन के लिए भी जमीन देने का प्रावधान है।

उद्योग विभाग

1. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

राज्य की महिलाओं में उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अजा/अजजा/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमिता योजना की निरंतरता में 2021-22 से सात निश्चय-2 के तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए कुल परियोजना व्यय की 50 प्रतिशत रकम ब्याज-मुक्त ऋण के बतौर दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रु. प्रति इकाई है। ऋण की अंतिम किश्त मिलने के एक साल बाद से ऋण की वसूली शुरू होती है। बिहार स्टार्ट-अप कोष न्यास द्वारा ऋण को 84 समान किश्तों में वसूला जाता है। शेष 50 प्रतिशत रकम अनुदान के बतौर स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार कुल परियोजना व्यय में आधा ऋण होता है और आधा अनुदान। इसके अलावा, सभी लाभार्थियों के प्रशिक्षण और परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा उनकी सहायता पर भी प्रति इकाई 25,000 रु. खर्च किए जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टार्ट-अप कोष न्यास द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2024-25 में 25,000 लाख रु. के कुल बजट प्रावधान का 100 प्रतिशत अर्थात् 25,000 लाख रु. महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण, ऋण और सब्सिडी पर व्यय करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच कुल 451.35 करोड़ रु. का वितरण 7596 लाभार्थियों के बीच किया गया है।

2. हैंडलूम क्षेत्र का विकास

हथकरघा बुनकरों और रंगाई करने वालों के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना की जा रही है जिसमें महिलाओं के लिए कढ़ाई, बुनाई, रंगाई आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संबंध में राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर मेले/ उत्सव/ संगोष्ठी आदि आयोजित किए जाते हैं और उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3. उद्यमिता विकास योजना

युवक-युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य से निदेशालय द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

1. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना

‘हर घर नल का जल’ निश्चय के तहत 56,447 वार्डों में कुल 84.46 लाख परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। 15 नवंबर 2023 तक उसमें से 55,949 वार्डों में काम पूरा हो गया है और 83.24 लाख परिवारों को पानी की आपूर्ति की जा रही है।

राज्य के गैर-गुणवत्ता-प्रभावित क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति की 1118 योजनाओं का विस्तार करके लाभार्थी परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, सभी 8148 वार्डों के 11.28 लाख परिवारों को पूर्व-स्वीकृत योजनाओं के जरिए नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की तुलना में 8138 वार्डों के 11.20 लाख परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य में 30,2077 ग्रामीण वार्डों में भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है। 4709 वार्डों में भूजल में आर्सेनिक, 3789 वार्डों में फ्लोराइड और 21,709 वार्डों में आयरन निर्दिष्ट स्वीकार्य सीमा से अधिक है। इन वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के तहत जल शोधन संयंत्र लगाए गए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में उपचारित पानी की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन विभाग

1. महिलाओं के लिए वाहन करों में छूट

अगर किसी महिला के नाम पर कोई तिपहिया, टैक्सी, मोटर कैब या मैक्सी कैब निबंधित किया जाता है जिसे वह या कोई अन्य महिला चलाती है जिसे परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया हो, तो उसे वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाती है।

जेन्डर बजट 2024-25
तालिका 5: विभागवार विवरणी

(राशि लाख रू० में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2022-23 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेन्डर बजट अनुमान)	2023-24 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (कुल बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	59007.41	83458.30	99424.13	284020.07	85204.81
3	भवन निर्माण विभाग	22028.23	25970.00	26550.26	129853.08	63921.20
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1399.42	5708.28	5739.30	5990.83	1797.25
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	77652.74	84924.90	84842.47	164714.57	84840.16
16	पंचायती राज विभाग	19373.27	23585.99	25435.53	72083.04	36041.46
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0.00	0.00	0.00	86184.00	40937.38
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	6110.04	6896.24	7376.79	19149.00	7256.20
20	स्वास्थ्य विभाग	202783.22	274998.50	344450.10	594277.62	188035.54
21	शिक्षा विभाग	1313959.04	1257263.83	1779441.07	3106304.86	1300499.84
22	गृह विभाग	36.21	1419.72	1419.72	715.00	715.00
23	उद्योग विभाग	42059.50	46242.70	49663.30	110201.00	59080.40
26	श्रम संसाधन विभाग	8442.44	12355.88	12521.46	50353.96	21853.64
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	6858.70	20660.00	20660.00	42600.00	23440.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	0.00	0.00	103281.53	36148.47
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	49023.94	58429.50	76308.18	144765.00	65144.25
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	38.50	1900.00	1900.00	186484.34	57345.26
42	ग्रामीण विकास विभाग	1591659.22	1149096.17	1130989.87	1359599.00	997357.57
43	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	14340.68	17169.60	108.43	100092.77	35102.23
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	54806.84	61315.60	67956.81	169819.52	75374.88
46	पर्यटन विभाग	5332.28	12250.00	12250.00	26200.00	13100.00
47	परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00	14710.77	4641.46
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	50470.55	106117.43	152998.94	601591.99	238583.37
51	समाज कल्याण विभाग	661062.01	545108.09	565067.93	714399.78	460790.94
52	खेल विभाग	0.00	0.00	0.00	17579.77	6152.92
कुल		4186444.24	3794870.73	4465104.29	8104971.50	3903364.23

जेन्डर बजट 2024-25

तालिका- 6 : वर्ष 2024-25 के जेंडर बजट के अंतर्गत विभागवार प्रावधानित राशि

(राशि लाख रू० में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	बजट उपबंध	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि	महिलाओं के लिए कम-से-कम 30 प्रतिशत कर्णांकित राशि	कुल जेंडर बजट
1	कृषि विभाग	284020.07	0.00	85204.81	85204.81
3	भवन निर्माण विभाग	129853.08	0.00	63921.20	63921.20
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	5990.83	0.00	1797.25	1797.25
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	164714.57	5941.56	78898.60	84840.16
16	पंचायती राज विभाग	72083.04	0.00	36041.46	36041.46
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	86184.00	0.00	40937.38	40937.38
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	19149.00	0.00	7256.20	7256.20
20	स्वास्थ्य विभाग	594277.62	10856.88	177178.66	188035.54
21	शिक्षा विभाग	3106304.86	75554.11	1224945.73	1300499.84
22	गृह विभाग	715.00	715.00	0.00	715.00
23	उद्योग विभाग	110201.00	25000.00	34080.40	59080.40
26	श्रम संसाधन विभाग	50353.96	2853.46	19000.18	21853.64
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	42600.00	200.00	23240.00	23440.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	103281.53	0.00	36148.47	36148.47
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	144765.00	0.00	65144.25	65144.25
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	186484.34	2000.00	55345.26	57345.26
42	ग्रामीण विकास विभाग	1359599.00	455350.00	542007.57	997357.57
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	100092.77	107.34	34994.89	35102.23
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	169819.52	0.00	75374.88	75374.88
46	पर्यटन विभाग	26200.00	0.00	13100.00	13100.00
47	परिवहन विभाग	14710.77	0.00	4641.46	4641.46
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	601591.99	0.00	238583.37	238583.37
51	समाज कल्याण विभाग	714399.78	106795.49	353995.45	460790.94
52	खेल विभाग	17579.77	0.00	6152.92	6152.92
योग		8104971.50	685373.84	3217990.39	3903364.23

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2024-25 विभागवार विवरणी

तालिका 7 : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख रु0 में)

मांग सं०	विभाग का नाम	2022-23 (वास्तविकी जेन्डर)	2023-24 (जेन्डर बजट अनुमान)	2023-24 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2024-25 (कुल बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)
03	भवन निर्माण विभाग	0.00	0.00	0.00	29113.26	11648.28
08	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	389.91	459.78	490.80	2145.83	643.75
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ावर्ग कल्याण विभाग	1938.42	6377.82	6395.82	7061.57	6392.06
16	पंचायती राज विभाग	6615.15	10050.00	10050.00	67628.08	33814.02
20	स्वास्थ्य विभाग	7514.11	16060.49	17572.49	19264.54	12839.95
21	शिक्षा विभाग	279637.37	350253.59	497913.15	1131928.86	466363.24
22	गृह विभाग	36.21	60.00	60.00	50.00	50.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	0.00	0.00	85881.53	30058.47
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.00	0.00	0.00	145510.37	43653.07
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	13431.53	16369.60	108.43	58847.77	20666.48
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	5816.41	6668.20	6639.81	25606.34	10242.51
47	परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00	14710.77	4641.46
51	समाज कल्याण विभाग	677.78	1200.80	1200.80	1937.95	1937.95
52	खेल विभाग	0.00	0.00	0.00	2579.77	902.92
कुल योग		316056.89	407500.28	540431.30	1592266.64	643854.16

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2024-25 विभागवार विवरणी
तालिका 8 : स्कीम (राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम)

(राशि लाख रु० में)

मांग सं०	विभाग का नाम	2022-23 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेन्डर बजट अनुमान)	2023-24 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (कुल बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)
01	कृषि विभाग	59007.41	83458.3	99424.13	284020.07	85204.81
03	भवन निर्माण विभाग	22028.23	25970.00	26550.26	100739.82	52272.92
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1009.51	5248.50	5248.50	3845.00	1153.50
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	75714.32	78547.08	78446.65	157653.00	78448.10
16	पंचायती राज विभाग	12758.12	13535.99	15385.53	4454.96	2227.44
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0.00	0.00	0.00	86184.00	40937.38
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	6110.04	6896.24	7376.79	19149.00	7256.20
20	स्वास्थ्य विभाग	195269.11	258938.01	326877.61	575013.08	175195.59
21	शिक्षा विभाग	1034321.67	907010.24	1281527.92	1974376.00	834136.60
22	गृह विभाग	0.00	1359.72	1359.72	665.00	665.00
23	उद्योग विभाग	42059.50	46242.70	49663.30	110201.00	59080.40
26	श्रम संसाधन विभाग	8442.44	12355.88	12521.46	50353.96	21853.64
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	6858.7	20660.00	20660.00	42600.00	23440.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	0.00	0.00	17400.00	6090.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	49023.94	58429.50	76308.18	144765.00	65144.25
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	38.50	1900.00	1900.00	40973.97	13692.19
42	ग्रामीण विकास विभाग	1591659.22	1149096.17	1130989.87	1359599.00	997357.57
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	909.15	800.00	0.00	41245.00	14435.75
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	48990.43	54647.40	61317.00	144213.18	65132.37
46	पर्यटन विभाग	5332.28	12250.00	12250.00	26200.00	13100.00
47	परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	50470.55	106117.43	152998.94	601591.99	238583.37
51	समाज कल्याण विभाग	660384.23	543907.29	563867.13	712461.83	458852.99
52	खेल विभाग	0.00	0.00	0.00	15000.00	5250.00
कुल योग		3870387.35	3387370.45	3924672.99	6512704.86	3259510.07

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2024-25 विभागवार विवरणी
तालिका-9 : श्रेणी-ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रु0 में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2022-23 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेन्डर बजट अनुमान)	2023-24 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (कुल बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1602.46	6047.80	6065.80	5941.56	5941.56
20	स्वास्थ्य विभाग	93523.25	133714.02	149714.02	199356.88	10856.88
21	शिक्षा विभाग	261141.87	79277.30	212323.30	75554.11	75554.11
22	गृह विभाग	36.21	1419.72	1419.72	715.00	715.00
23	उद्योग विभाग	25000.00	25000.00	15463.00	25000.00	25000.00
26	श्रम संसाधन विभाग	1485.29	2250.00	2384.00	2853.46	2853.46
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	38.50	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	1285947.06	691714.00	592083.57	455350.00	455350.00
43	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	14340.68	17169.60	108.43	107.34	107.34
51	समाज कल्याण विभाग	131458.72	94944.65	130999.95	106795.49	106795.49
योग		1814774.04	1053637.09	1112661.79	873873.84	685373.84

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2024-25 विभागवार विवरणी

तालिका-10 : श्रेणी-बी – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख ₹0 में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2022-23 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेन्डर बजट अनुमान)	2023-24 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (कुल बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	59007.41	83458.30	99424.13	284020.07	85204.81
3	भवन निर्माण विभाग	22028.23	25970.00	26550.26	129853.08	63921.20
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1399.42	5708.28	5739.30	5990.83	1797.25
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	76050.28	78877.10	78776.67	158773.01	78898.60
16	पंचायती राज विभाग	19373.27	23585.99	25435.53	72083.04	36041.46
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0.00	0.00	0.00	86184.00	40937.38
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	6110.04	6896.24	7376.79	19149.00	7256.20
20	स्वास्थ्य विभाग	109259.97	141284.48	194736.08	394920.74	177178.66
21	शिक्षा विभाग	1052817.17	1177986.53	1567117.77	3030750.75	1224945.73
23	उद्योग विभाग	17059.50	21242.70	34200.30	85201.00	34080.40
26	श्रम संसाधन विभाग	6957.15	10105.88	10137.46	47500.50	19000.18
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	6658.70	20460.00	20460.00	42400.00	23240.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	0.00	0.00	103281.53	36148.47
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	49023.94	58429.50	76308.18	144765.00	65144.25
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.00	0.00	0.00	184484.34	55345.26
42	ग्रामीण विकास विभाग	305712.16	457382.17	538906.30	904249.00	542007.57
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	0.00	0.00	0.00	99985.43	34994.89
44	अनु0 जाति अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	54806.84	61315.60	67956.81	169819.52	75374.88
46	पर्यटन विभाग	5332.28	12250.00	12250.00	26200.00	13100.00
47	परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00	14710.77	4641.46
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	50470.55	106117.43	152998.94	601591.99	238583.37
51	समाज कल्याण विभाग	529603.29	450163.44	434067.98	607604.29	353995.45
52	खेल विभाग	0.00	0.00	0.00	17579.77	6152.92
योग		2371670.20	2741233.64	3352442.50	7231097.66	3217990.39

अनुसूची
जेंडर बजट- 2024-25
श्रेणी 'ए' – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रू0 में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770010 पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	1602.46	6047.80	6065.80	5941.56	5941.56
कुल योग	1602.46	6047.80	6065.80	5941.56	5941.56
मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210051050011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	270.37	312.97	312.97	283.57	283.57
20-2210051050012 प्रशिक्षण नर्स	4852.48	11401.05	12901.05	8273.31	8273.31
20-2210061010114 आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन	121.42	1000.00	5000.00	1100.00	1100.00
20-2211001030102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	0.00	500.00	2500.00	500.00	500.00
20-4210031050112 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	3850.00	2500.00	6000.00	700.00	700.00
20-2211000030206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	835.19	8000.00	8000.00	28000.00	0.00
20-2211000030306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	282.56	1500.00	1500.00	7000.00	0.00
20-2211001010205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	66785.55	97000.00	97000.00	109000.00	0.00
20-2211001010305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	16525.68	11500.00	16500.00	44500.00	0.00
कुल योग	93523.25	133714.02	149714.02	199356.88	10856.88

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031030003 राजकीय महिला महाविद्यालय	1184.62	1275.30	1275.30	1554.11	1554.11
21-2202011090102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना- प्रारंभिक शिक्षा	6970.52	5000.00	8600.00	1500.00	1500.00
21-2202021070107 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना- माध्यमिक शिक्षा	20813.54	3500.00	12599.00	3500.00	3500.00
21-2202027890104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (एस0सी0)- माध्यमिक शिक्षा	1859.54	1000.00	1801.00	1000.00	1000.00
21-2202031070104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना - उच्चतर शिक्षा	4676.77	500.00	2500.00	500.00	500.00
21-2202021070106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना-माध्यमिक शिक्षा	16293.34	3500.00	10000.00	3500.00	3500.00
21-2202021070108 अन्य विद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202027890102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (एस0सी0)-माध्यमिक शिक्षा	4135.07	1500.00	4000.00	1500.00	1500.00
21-2202021090109 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम-माध्यमिक शिक्षा	8792.09	2500.00	8046.00	2500.00	2500.00
21-2202031070108 मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202031070109 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202021070110 मुख्यमंत्री (इंटरमिडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना - सात निश्चय - 2	130269.50	40000.00	103000.00	40000.00	40000.00
21-2202031070110 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	65000.00	20000.00	60000.00	20000.00	20000.00
21-2202020040102 हुनर	1000.00	500.00	500.00	0.00	0.00
21-2204001010103 मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग					
21-4202012030106 राजकीय महिला महाविद्यालय	146.88	1.00	1.00	0.00	0.00
कुल योग	261141.87	79277.30	212323.30	75554.11	75554.11
मांग सं0-22 गृह विभाग					
22-2235602000016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान	36.21	60.00	60.00	50.00	50.00
22-2055000030401 महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राइम की रोगथाम (सीसीपीडब्लूसी)	0.00	1359.72	1359.72	665.00	665.00
कुल योग	36.21	1419.72	1419.72	715.00	715.00
मांग सं0-23 उद्योग विभाग					
23-2851001020109 महिला उद्यमी योजना	12810.00	12810.00	7920.50	12810.00	12810.00
23-6851001020103 महिला उद्यमी योजना	12190.00	12190.00	7542.50	12190.00	12190.00
कुल योग	25000.00	25000.00	15463.00	25000.00	25000.00
मांग सं0-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230030030112 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230031010101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1438.95	2200.00	2334.00	2803.46	2803.46
26-2230031010102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	46.34	50.00	50.00	50.00	50.00
कुल योग	1485.29	2250.00	2384.00	2853.46	2853.46

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2250001010101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप राशि उपलब्ध कराने हेतु	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
कुल योग	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
मांग सं0-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-4047000500107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क़य	6.75	200.00	200.00	300.00	300.00
40-4047007890106 अनु० जाति के गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क़य	31.75	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
40-4047007960101 अनु० जनजाति के गृह विहिनों के लिए वास भूमि का क़य	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
कुल योग	38.50	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2216031020101 मुख्यमंत्री वास स्थल क़य सहायता योजना	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00
42-2216037890104 मुख्यमंत्री वास स्थल क़य सहायता योजना— अनु० जाति	0.00	500.00	500.00	40.00	40.00
42-2216037960103 मुख्यमंत्री वास स्थल क़य सहायता योजना— अनु० जनजाति	0.00	100.00	100.00	10.00	10.00
42-2216031050106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2216031050107 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	975.00	2000.00	10831.48	6000.00	6000.00
42-2216037890105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना— अनु० जाति	2600.00	5000.00	27078.71	10000.00	10000.00
42-2216037960104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना— अनु० जनजाति	650.00	1000.00	5415.74	4000.00	4000.00
42-2216031050202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	433437.96	418814.00	418814.00	139460.00	139460.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2216037890202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)- अनु0 जाति	279506.12	150000.00	1 50000	220200.00	220200.00
42-2216037960202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)- अनु0 जनजाति	36777.09	100.00	100.00	7340.00	7340.00
42-2216031050302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)	289685.41	109800.00	109703.95	50700.00	50700.00
42-2216037890302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)- अनु0 जाति	186337.42	100.00	100.00	13000.00	13000.00
42-2216037960302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)- अनु0 जनजाति	24518.06	100.00	100.00	1300.00	1300.00
42-2216037890103 मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2515001020517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना - विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	21840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2515007890510 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना - विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	9048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2515007960517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना - विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2216031050108 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	65.00	1000.00	4784.92	1000.00	1000.00
42-2216037890106 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	130.00	2500.00	11962.31	1500.00	1500.00
42-2216037960105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	65.00	500.00	2392.46	500.00	500.00
42-2501061010207 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00
42-2501061010307 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501067890206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
42-2501067890306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
42-2501067960206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
42-2501067960306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
कुल योग	1285947.06	691714.00	592083.57	455350.00	455350.00
मांग सं0-43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग					
43-2203001030001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	87.76	108.43	108.43	107.34	107.34
43-2203001050001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	13343.77	16261.17	0.00	0	0
43-2203001050106 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	909.15	800.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	14340.68	17169.60	108.43	107.34	107.34
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021030003 बिहार राज्य महिला आयोग	0.00	518.60	518.60	751.71	751.71
51-2235021040001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय-गृह	177.78	182.20	182.20	186.24	186.24
51-2235028000002 अन्तर्जातीय विवाह	500.00	500.00	500.00	1000.00	1000.00
51-2235021020116 परवरिश	800.00	1500.00	1500.00	1600.00	1600.00
51-2235021010111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	2.72	18.00	18.00	18.00	18.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021020224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	904.93	2257.00	2257.00	3149.16	3149.16
51-2235021020226 राष्ट्रीय केच स्कीम	107.36	15.00	15.00	14.63	14.63
51-2235021020324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	692.26	192.41	679.91	787.30	787.30
51-2235021020326 राष्ट्रीय केच स्कीम	5.43	9.76	9.76	9.76	9.76
51-2235021030105 महिला विकास निगम सहायक अनुदान	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235021030109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	9798.47	7793.25	7793.25	6750.00	6750.00
51-2235021030110 नारी शक्ति योजना	1221.00	4520.00	4520.00	4000.00	4000.00
51-2235021030111 कन्या सुरक्षा योजना	6700.70	10500.00	10500.00	10000.00	10000.00
51-2235021030219 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	600.00	1.00	1.00	0.01	0.01
51-2235021030225 मातृत्व लाभ योजना	1047.74	1884.00	18687.31	18531.80	18531.80
51-2235021030319 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	300.00	0.01	0.01	0.01	0.01
51-2235021030325 मातृत्व लाभ योजना	7768.73	3256.20	13758.21	2588.65	2588.65
51-2235027890107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	2015.40	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
51-2235027890108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	924.00	1500.00	1500.00	1000.00	1000.00
51-2235027890109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	5469.30	1500.00	1500.00	2000.00	2000.00
51-2235027890312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	18.79	64.13	226.63	262.43	262.43
51-2235027890313 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	100.00	0.01	0.01	0.01	0.01

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235027960123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	143.80	250.00	250.00	250.00	250.00
51-2235031010103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	343.32	70.00	70.00	70.00	70.00
51-2235031010203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	17500.00	17960.00	18840.00	16753.00	16753.00
51-2235031010303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	10771.73	3000.00	3000.00	2000.00	2000.00
51-2235037890102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	101.94	30.00	30.00	30.00	30.00
51-2235037890202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6034.49	5640.00	5640.00	6663.00	6663.00
51-2235037890302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	2833.64	1000.00	1000.00	1200.00	1200.00
51-2235601020105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	42574.69	14000.00	18700.00	11600.00	11600.00
51-2235607890102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	11500.50	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
51-2235021030230 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेन्टर	0.00	1294.94	1537.25	1440.55	1440.55
51-2235021030231 मिशन शक्ति (संबल) बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ	0.00	790.01	1290.01	1290.01	1290.01
51-2235021030232 मिशन शक्ति (संबल) महिला हेल्पलाईन	0.00	76.63	325.15	162.57	162.57
51-2235021030233 मिशन शक्ति (संबल) नारी अदालत	0.00	632.14	632.14	0.02	0.02
51-2235021030234 मिशन शक्ति (सामार्थ) शक्ति सदन	0.00	1212.49	1212.49	0.02	0.02
51-2235021030235 मिशन शक्ति (सामार्थ) सखी निवास	0.00	353.11	353.11	0.02	0.02
51-2235021030236 मिशन शक्ति (सामार्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पोर्टमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	1565.28	743.19	198.90	198.90
51-2235021030237 मिशन शक्ति (सामार्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पोर्टमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	0.00	693.12	693.12	759.24	759.24

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-4235021030201 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेंटर	0.00	665.28	1589.65	1589.65	1589.65
51-2235021030330 मिशन शक्ति (सामार्थ) शक्ति सदन	0.00	0.02	808.33	0.02	0.02
51-2235021030331 मिशन शक्ति (सामार्थ) सखी निवास	0.00	0.02	235.40	0.02	0.02
51-2235021030332 मिशन शक्ति (सामार्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	0.02	116.46	132.60	132.60
51-2235021030333 मिशन शक्ति (सामार्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	0.00	0.02	266.76	506.16	506.16
कुल योग	131458.72	94944.65	130999.95	106795.49	106795.49
महा योग	1814774.04	1053637.09	1112661.79	873873.84	685373.84

जेंडर बजट- 2024-25
श्रेणी 'बी' – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत के कम

(राशि लाख रू० में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-01 कृषि विभाग					
01-2401000010214 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	59.00	63.04	471.43	141.42
01-2401000010314 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	39.00	41.92	110.44	33.13
01-2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	518.39	1792.00	1911.68	3886.21	1165.86
01-2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	255.30	1061.00	1001.92	893.27	267.98
01-2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	4234.39	3065.00	3422.08	15240.98	4572.29
01-2401001030218 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	0.00	264.00	532.16	687.84	206.35
01-2401001030318 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	0.00	126.00	336.96	160.09	48.02
01-2401001040106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	1867.50	2617.00	2820.48	9034.40	2710.32
01-2401001040205 परम्परागत कृषि विकास योजना	25.68	0.00	660.16	982.24	294.67
01-2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना	17.04	0.00	440.32	228.23	68.46
01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	3396.65	1510.00	3109.44	5499.20	1649.76
01-2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	42.20	0.00	149.12	295.01	88.50
01-2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	14.13	0.00	99.52	68.53	20.55
01-2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	245.00	26.14	0.00	0.00
01-2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.03	134.00	143.04	0.00	0.00
01-2401001090103 बाढ़, सुखाड़ की अपातकालीन योजना	3121.54	2358.00	5030.40	14140.80	4242.24

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-०१ कृषि विभाग					
01-2401001090106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	4897.85	10173.00	13927.36	38942.20	11682.66
01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०केबी०वाई०) (ए०सी०ए०)	52.96	9379.00	6345.92	7025.93	2107.77
01-2401001090217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	937.93	1698.00	1810.88	7268.64	2180.59
01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	236.55	0.00	1414.72	2653.43	796.02
01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०केबी०वाई०) (ए०सी०ए०)	40.98	3384.00	1486.40	1532.64	459.79
01-2401001090317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	248.69	849.00	905.60	1691.94	507.58
01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	157.54	0.00	943.36	616.44	184.93
01-2401001130105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	2448.48	3065.00	3518.72	10212.80	3063.84
01-2401001130217 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	348.20	0.00	972.48	5002.60	1500.78
01-2401001130317 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	235.77	0.00	648.32	1170.58	351.17
01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	3315.49	6607.00	7048.00	23568.00	7070.40
01-2401001190224 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	249.00	1415.00	1509.12	2979.63	893.88
01-2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	166.02	589.00	628.80	691.99	207.59
01-2401007890106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	856.12	2589.00	3766.40	9845.00	2953.50
01-2401007890117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	810.89	780.00	868.16	3879.00	1163.70
01-2401007890120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल	359.32	780.00	895.36	2600.00	780.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-01 कृषि विभाग					
01-2401007890125 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	577.46	600.00	1280.00	3600.00	1080.00
01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	300.76	384.00	729.60	1400.00	420.00
01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	638.84	1682.00	1794.56	6000.00	1800.00
01-2401007890147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	360.00	666.00	717.76	2300.00	690.00
01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	541.86	2400.00	1648.64	1686.43	505.92
01-2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	62.00	66.56	0.00	0.00
01-2401007890235 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	48.00	360.00	384.00	753.71	226.11
01-2401007890236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	72.55	432.00	460.80	1849.08	554.72
01-2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	74.86	456.00	486.40	1071.26	321.37
01-2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	5.79	0.00	2697.60	7463.00	2238.90
01-2401007890239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	45.60	0.00	360.00	673.31	201.99
01-2401007890240 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	15.00	16.00	120.00	36.00
01-2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना	4.63	0.00	168.00	249.88	74.96
01-2401007890245 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	74.21	0.00	247.36	1272.61	381.78
01-2401007890249 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	67.00	135.36	174.65	52.39
01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	14.36	1242.00	784.32	491.57	147.47
01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	43.12	270.00	255.04	259.74	77.92

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-01 कृषि विभाग					
01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	34.00	36.48	0.00	0.00
01-2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	31.87	150.00	160.00	175.29	52.58
01-2401007890336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	136.75	216.00	230.40	426.92	128.07
01-2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	4.29	0.00	19.20	17.37	5.21
01-2401007890339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	30.45	0.00	240.00	156.69	47.00
01-2401007890340 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	10.00	10.56	27.00	8.10
01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	3.08	0.00	112.00	58.12	17.43
01-2401007890345 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	49.59	0.00	165.12	287.39	86.21
01-2401007890349 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	32.00	85.76	40.35	12.10
01-2401007960134 इन्टेंसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	25.50	181.00	291.20	712.80	213.84
01-2401007960140 बीज उत्पादन कार्यक्रम	49.38	55.00	60.80	279.35	83.80
01-2401007960143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाईजेशन	19.21	55.00	62.72	187.20	56.16
01-2401007960147 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	35.99	42.00	89.60	259.20	77.76
01-2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	16.26	27.00	49.60	100.80	30.24
01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	39.92	118.00	125.76	432.00	129.60
01-2401007960169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	22.50	47.00	50.24	165.60	49.68
01-2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	0.16	221.00	170.56	126.39	37.91

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-01 कृषि विभाग					
01-240100796256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00
01-2401007960257 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	3.00	25.00	26.88	54.16	16.24
01-2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.34	0.00	1.92	5.36	1.61
01-2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3.00	32.00	33.92	71.92	21.57
01-2401007960260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	5.96	30.00	32.32	132.28	39.68
01-2401007960261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	2.85	0.00	25.28	48.26	14.47
01-2401007960262 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	1.00	1.28	8.57	2.57
01-2401007960263 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	0.00	11.84	17.88	5.36
01-2401007960267 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेक्नाईजेशन	38.40	0.00	17.28	91.04	27.31
01-2401007960271 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	5.00	9.60	12.51	3.75
01-2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	0.07	66.00	32.32	29.41	8.82
01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	2.00	2.56	0.00	0.00
01-2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	2.05	10.00	11.20	12.94	3.88
01-2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.23	0.00	1.28	1.25	0.38
01-2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2.01	19.00	17.92	16.72	5.01
01-2401007960360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	3.89	15.00	16.00	30.84	9.25
01-2401007960361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	1.76	0.00	16.96	11.22	3.36

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-01 कृषि विभाग					
01-2401007960362 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	1.00	0.64	2.00	0.60
01-2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	0.00	8.00	4.15	1.24
01-2401007960367 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेक्नाईजेशन	23.98	0.00	11.52	21.15	6.34
01-2401007960371 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	2.00	6.08	2.91	0.87
01-2401001090122 सात निश्चय-2	2490.00	707.00	75.45	2356.80	707.04
01-2401007890152 सात निश्चय-2	480.00	180.00	192.00	600.00	180.00
01-2401007960174 सात निश्चय-2	25.58	13.00	13.44	43.20	12.96
01-2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	1014.68	1415.00	1509.12	4716.60	1414.08
01-2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	2414.20	1868.00	1992.64	9806.76	2942.02
01-2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	1609.02	588.00	626.56	2278.30	683.49
01-2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	196.31	360.00	384.00	1200.00	360.00
01-2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	465.26	475.00	507.20	2482.24	744.67
01-2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	310.88	150.00	159.36	577.76	173.32
01-2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	11.68	25.00	26.88	86.40	25.92
01-2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	29.73	33.00	35.52	178.28	53.48
01-2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	19.93	10.00	11.20	41.44	12.43
01-2415010040107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	214.68	283.00	325.76	1178.40	353.52

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-01 कृषि विभाग					
01-2415012770101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	124.43	0.00	0.00	235.71	70.71
01-2415012770108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	2347.82	3065.00	2825.60	18245.53	5473.65
01-2415017890103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	447.66	780.00	723.20	4645.00	1393.50
01-2415017890105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	8.27	0.00	0.00	60.00	18.00
01-2415017890107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	34.93	72.00	82.88	300.00	90.00
01-2415017960104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	28.16	55.00	50.56	334.47	100.34
01-2415017960105 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	0.53	5.00	5.44	21.60	6.48
01-2415017960108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.52	0.00	0.00	4.29	1.28
01-2415012770112 कौशल विकास मिशन	0.00	283.00	112.64	942.72	282.81
01-2415017890108 कौशल विकास मिशन	0.00	72.00	21.76	240.00	72.00
01-2415017960109 कौशल विकास मिशन	0.00	5.00	128.00	17.28	5.18
01-2435601010101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	236.00	251.52	2435.36	730.60
01-2435607890101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	60.00	64.00	620.00	186.00
01-2435607960101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	4.00	4.48	44.54	13.39
01-3475001060101 माप एवं तौल का मानकीकरण	71.96	100.00	121.60	361.35	108.40
01-3475007890103 माप एवं तौल का मानकीकरण	9.49	26.00	34.56	92.00	27.60
01-3475007960103 माप एवं तौल का मानकीकरण	0.20	2.00	2.24	6.65	1.99
01-4401000510101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	1381.07	596.00	635.20	2356.80	707.04
01-4401007890101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	266.23	150.00	160.64	600.00	180.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-01 कृषि विभाग					
01-4401007960101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	16.64	11.00	11.20	43.20	12.96
01-2401001090124 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
01-2401007890153 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	33.11	90.00	90.00	400.00	120.00
01-2401007960175 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	2.07	6.30	6.30	28.80	8.64
01-4401000510103 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	10576.86	4716.00	5030.40	15712.00	4713.60
01-4401007890105 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	2038.91	1200.00	1280.00	4000.00	1200.00
01-4401007960103 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	127.43	84.00	89.60	288.00	86.40
01-2401000010103 एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	601.00	652.80	0.00	0.00
01-2401007890124 एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	153.00	166.08	0.00	0.00
01-2401007960145 एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	11.00	11.52	0.00	0.00
01-2415020040201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना	0.00	0.00	0.00	1063.07	318.92
01-2415020040301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना	0.00	0.00	0.00	246.91	74.07
01-2415027890201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना	0.00	0.00	0.00	270.09	81.02
01-2415027890301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना	0.00	0.00	0.00	62.91	18.87
01-2415027960201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना	0.00	0.00	0.00	19.34	5.80
01-2415027960301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना	0.00	0.00	0.00	4.50	1.35
कुल योग	59007.41	83458.30	99424.13	284020.07	85204.81

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-03 भवन निर्माण विभाग					
03-4059010510119 कृषि कार्यालय भवन	88.11	0.00	370.86	0.00	0.00
03-4059017890101 अनु० जाति के लिए भवन	5596.73	9000.00	9000.00	34149.00	13659.60
03-4059017890102 कृषि कार्यालय भवन	7.67	0.00	102.00	0.00	0.00
03-4059017960104 अनु० जनजाति के लिए भवन	4369.16	450.00	450.00	1690.82	676.32
03-4059017960105 कृषि कार्यालय भवन	0.47	0.00	7.40	0.00	0.00
03-4059800510118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	11413.21	16000.00	16000.00	30000.00	24000.00
03-2059800530101 पिछड़े वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.00	100.00	200.00	200.00	100.00
03-4225800510103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	440.57	360.00	360.00	1200.00	480.00
03-4235021040101 वृद्धाश्रम	112.31	60.00	60.00	100.00	40.00
03-2052000900020 भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	405.06	162.02
03-2059800010001 निर्देशन	0.00	0.00	0.00	2817.79	1127.11
03-2059800080004 निष्पादन	0.00	0.00	0.00	24969.22	9987.68
03-2059800010011 उद्यान स्थापना	0.00	0.00	0.00	921.19	368.47
03-4059600510106 स्टेडियम तथा खेल संरचना	0.00	0.00	0.00	33000.00	13200.00
03-2059010530102 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जीर्णोद्धार	0.00	0.00	0.00	200.00	60.00
03-4059600510114 डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन	0.00	0.00	0.00	200.00	60.00
कुल योग	22028.23	25970.00	26550.26	129853.08	63921.20

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग					
08-2204001040001 खेलकूद	327.98	385.16	385.16	0.00	0.00
08-2205000010001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	61.93	74.62	105.64	2145.83	643.75
08-2204001040102 खेलकूद	648.67	4095.00	4095.00	0.00	0.00
08-2205001020101 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	360.84	1153.50	1153.50	3845.00	1153.50
कुल योग	1399.42	5708.28	5739.30	5990.83	1797.25
मांग सं0-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770001 स्थापना एवं प्रतिअद्ध व्यय	12.50	12.50	12.50	25.00	12.50
11-2225032770002 छात्रावासों का संधारण	323.46	317.52	317.52	1095.01	492.00
11-2225031970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	5773.34	5200.00	5200.00	10400.00	5200.00
11-2225031980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	9498.35	9950.00	9950.00	19900.00	9950.00
11-2225032770101 शिक्षा	52858.91	54974.14	54974.11	110604.00	55302.00
11-2225032770212 अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	6.00	6.00	15.00	6.00
11-2225032770214 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1332.60	1883.00	1883.00	0.01	0.00
11-2225032770215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	4515.83	3876.88	3876.88	11999.99	5639.00
11-2225032770312 अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	2.00	2.00	5.00	2.00
11-2225032770314 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1735.29	1942.50	1842.50	2489.00	1247.00
11-4225032770101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	0.00	2.00	2.00	500.00	200.00
11-4225032770202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	620.50	620.10	1170.00	620.10

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-4225032770302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	90.06	90.06	570.00	228.00
कुल योग	76050.28	78877.10	78776.67	158773.01	78898.60
मांग सं0-16 पंचायती राज विभाग					
16-2515001980010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	6615.15	10050.00	10050.00	20100.01	10050.00
16-2015001010001 राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज	0.00	0.00	0.00	531.91	265.95
16-3451000900028 पंचायती राज विभाग	0.00	0.00	0.00	411.37	205.68
16-2515000010003 जिला पंचायत की स्थापना	0.00	0.00	0.00	44566.53	22283.26
16-2515000030001 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	0.00	0.00	0.00	318.26	159.13
16-2015001010001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	0.00	0.00	0.00	1700.00	850.00
16-2515001960106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	169.13	175.00	205.97	0.01	0.00
16-2515001970103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	855.86	900.00	1059.29	0.01	0.00
16-2515001980105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	3939.38	4150.00	4884.51	0.01	0.00
16-2515001980106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	4684.68	4150.00	4884.51	0.01	0.00
16-2515007890103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	807.84	850.00	1000.00	0.01	0.00
16-2515007890104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	907.97	850.00	1000.44	0.01	0.00
16-2515007890105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	175.08	185.00	217.74	0.01	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-16 पंचायती राज विभाग					
16-2515007890106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	0.00	40.00	47.08	0.01	0.00
16-2515000010102 जिला पंचायत की स्थापना	1218.18	2235.99	2085.99	4454.88	2227.44
कुल योग	19373.27	23585.99	25435.53	72083.04	36041.46
मांग सं0-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
18-2408011010201 एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	0.00	0.00	0.00	45600.00	21660.00
18-2408017890201 एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	0.00	0.00	0.00	8300.00	3942.50
18-2408017960201 एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	0.00	0.00	0.00	1100.00	522.50
18-3456001020306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	0.00	0.00	0.00	6599.00	3134.52
18-3456001020307 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	0.00	0.00	0.00	15583.00	7401.92
18-3456007890302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	0.00	0.00	0.00	6000.00	2850.00
18-3456007890303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	0.00	0.00	0.00	2719.00	1291.52
18-3456007960302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	0.00	0.00	0.00	183.00	86.92

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
18-3456007960303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राष्ट्रीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	0.00	0.00	0.00	100.00	47.50
कुल योग	0.00	0.00	0.00	86184.00	40937.38
मांग सं0-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
19-2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास अनुसूचित जाति	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406017960103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (जनजातिय क्षेत्र-उपयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406018000101 नहर तट फार्म	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
19-2406017890102 नहर तट फार्म (अनु0 जा0)	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406018000105 पथ तट फार्म	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406017890103 पथ तट फार्म (अनु0 जा0)	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406011010111 जल-जीवन-हरियाली	2547.60	3600.00	4000.00	10000.00	4000.00
19-4406010700102 भवन	726.08	1050.00	1400.00	3586.98	1434.79
19-4406010700101 सड़क और पुल	1897.20	150.00	200.00	500.00	200.00
19-2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	187.49	150.00	300.00	1000.00	400.00
19-2406021100324 बाघ परियोजना	75.83	115.63	45.49	0.00	0.00
19-2406021100326 गज परियोजना	3.97	25.38	1.44	0.00	0.00
19-2406021100323 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	0.00	223.20	223.20	250.00	75.00
19-2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	0.00	0.00	30.00	9.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	28.56	122.37	122.37	214.80	64.44
19-2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन	1.52	0.00	0.00	25.00	10.00
19-2406047890301 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406047960301 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	0.00	0.00	233.00	93.20
19-2406021100224 बाघ परियोजना	90.44	346.94	45.49	0.00	0.00
19-2406021100226 गज परियोजना	5.97	75.62	1.70	0.00	0.00
19-2406021100223 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	0.00	669.90	669.90	1554.70	267.97
19-2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	0.00	0.00	550.00	220.00
19-2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	11.89	367.20	367.20	817.00	326.80
19-2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	37.50	15.00
19-2406047890201 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406047960201 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	0.00	0.00	350.00	140.00
कुल योग	6110.04	6896.24	7376.79	19149.00	7256.20
मांग सं0-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2211001010001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	2211.72	3343.69	3355.69	9431.77	3772.71
20-2211001030001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	179.54	1002.78	1002.78	1275.89	510.36
20-2210012000209 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	21748.00	33390.40	33390.00	94676.00	42604.20

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210012000309 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7610.60	2000.00	9880.00	5000.00	2250.00
20-2210017890201 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2837.60	21600.00	21600.00	71800.00	32310.00
20-2210017890301 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	5582.06	1320.00	16240.00	3300.00	1485.00
20-2210017960219 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	427.20	1280.00	1280.00	5200.00	2340.00
20-2210017960319 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	493.48	200.00	200.00	500.00	225.00
20-2210031100203 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	29607.20	47520.00	47520.00	116800.00	52560.00
20-2210031100303 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	28752.12	2442.01	23962.01	6105.02	2747.26
20-2210037890201 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	4836.40	16029.60	16029.60	40074.00	18033.00
20-2210037890301 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1735.82	2000.00	11120.00	5000.00	2250.00
20-2210037960202 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	3.60	1680.00	1680.00	4200.00	1890.00
20-2210037960302 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	120.00	520.00	520.00	1300.00	585.00
20-2211000010204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1193.21	4000.00	4000.00	20000.00	9000.00
20-2211000010304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	499.97	2000.00	2000.00	6993.06	3146.88
20-2211001020202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	94.82	400.00	400.00	1000.00	450.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2211001020302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	15.93	116.00	116.00	240.00	108.00
20-2230031020102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	10.70	40.00	40.00	25.00	11.25
20-4210031050119 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	1300.00	400.00	400.00	2000.00	900.00
कुल योग	109259.97	141284.48	194736.08	394920.74	177178.66
मांग सं0-21 शिक्षा विभाग					
21-2202011910001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1449.71	2474.44	2122.82	7202.66	2881.06
21-2202011920001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2036.62	3405.10	3431.62	10812.70	4325.08
21-2202011930001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3149.38	4761.15	4793.30	15118.76	6047.50
21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	82299.99	106916.14	107586.27	2970.67	1188.26
21-2202011980002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1205.44	1737.50	1747.15	5057.54	2023.01
21-2202021910001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	5921.26	5067.77	7072.77	20271.08	8108.43
21-2202021920001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	7016.16	5540.98	7026.17	22163.91	8865.56
21-2202021930001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	4879.05	4469.55	5667.12	17878.18	7151.27
21-2202021960001 जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	56923.44	53942.29	67815.82	198000.01	79200.00
21-2202031020001 पटना विश्वविद्यालय	8910.41	11472.02	12416.31	32000.00	12800.00
21-2202031020002 मगध विश्वविद्यालय	14157.50	19397.91	39300.58	76400.00	30560.00
21-2202031020003 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय)	15654.74	21796.78	23665.07	62188.30	24875.32

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031020004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	7926.33	11059.23	12907.55	30500.00	24875.32
21-2202031020005 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	7971.92	10137.40	11386.32	41500.00	16600.00
21-2202031020008बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	8400.50	12506.86	12159.92	41500.00	16600.00
21-2202031020009 भागलपुर विश्वविद्यालय	11649.63	13554.07	14715.84	36500.00	14600.00
21-2202031020011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	16440.74	21745.98	24141.92	80000.00	32000.00
21-2202031020012 कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	3380.36	5227.15	5741.18	30500.00	12200.00
21-2202031020016 मौलाना मजहूरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	112.30	757.00	342.00	2500.00	1000.00
21-2202031020017 राष्ट्रीय चाणक्या विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202031020024 पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	11167.10	20947.73	20125.22	55100.00	22040.00
21-2202031020025 पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	2666.08	4296.31	4113.50	16100.00	6440.00
21-2202031020027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	2249.96	3084.13	3476.48	12000.00	4800.00
21-2202800030005 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	273.27	365.37	590.68	1065.50	426.20
21-2202800030006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1674.75	3066.91	3240.72	8876.41	3550.56
21-2202800030007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	103.19	186.68	236.73	650.12	260.04
21-2202800030008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	832.92	1061.84	1508.48	3730.20	1492.08
21-2202010010101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	1.36	1785.00	1995.00	5500.00	2200.00
21-2202010010105 शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	150.00	350.00	350.00	500.00	175.00
21-2202010010106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	51.95	245.00	665.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	357.88	780.00	525.00	0.00	0.00
21-2202011020102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जानेवाली	2157.87	3000.00	7000.00	2300.00	920.00
21-2202011090101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	1036.19	1417.50	1417.50	850.00	340.00
21-2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	17.46	600.00	700.00	0.00	0.00
21-2202011090105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	5378.21	4500.00	5250.00	1000.00	400.00
21-2202011110201 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	87277.70	252815.00	240170.72	705232.00	282092.80
21-2202011110301 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	58185.51	138648.23	92994.65	118566.00	47426.40
21-2202011110302 सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	476243.01	106531.50	389460.40	265000.00	106000.00
21-2202011120203 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम०डी०एम०)	22507.49	71030.96	70070.00	197010.00	78804.00
21-2202011120303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम०डी०एम०)	13548.16	34443.19	23904.65	42120.00	16848.00
21-2202017890102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	208.55	332.50	332.50	150.00	60.00
21-2202017890203सर्व शिक्षा अभियान	22329.40	55444.80	64685.60	184816.00	73926.40
21-2202017890209 मध्यान भोजन योजना	4528.94	15750.00	15750.00	47920.00	19168.00
21-2202017890306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम०डी०एम०)	2397.89	6962.55	5130.30	15280.00	6112.00
21-2202017890308 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	14886.27	52279.61	23585.80	87284.00	34913.60
21-2202017960210 मध्यान भोजन योजना	419.43	1440.00	1680.00	5070.00	2028.00
21-2202017960211 समग्र शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	1273.53	5766.88	3060.05	9390.00	3756.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202017960309 सर्व शिक्षा अभियान	960.03	6727.02	3377.50	9650.00	3860.00
21-2202017960310 मध्यान भोजन योजना	399.65	1160.43	855.05	2000.00	800.00
21-2202020010101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	18.17	1050.00	1225.00	6000.00	2400.00
21-2202020040102 हुनर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202020520103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	600.00	35.00	1085.00	2181.00	872.40
21-2202021090105 आई०सी०टी० परियोजना	0.00	0.35	350.35	2500.00	1000.00
21-2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	182.52	420.00	697.20	0.00	0.00
21-2202021090207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	5253.85	17782.42	19833.80	57341.00	22936.40
21-2202021090307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	3502.57	2810.85	10537.10	4984.00	1993.60
21-2202021090312 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	2674.54	0.35	0.35	0.00	0.00
21-2202027890207 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	1194.06	3060.75	3060.75	9639.00	3855.60
21-2202027890307 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	875.65	636.30	636.30	1817.00	726.80
21-2202027960209 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	510.30	510.30	1693.00	677.20
21-2202027960309 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	251.30	251.30	717.00	286.80
21-2202031020115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	8074.87	5075.00	5600.00	20500.00	8200.00
21-2202031020117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	216.90	175.00	210.00	500.00	200.00
21-2202031020118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	60.00	437.50	175.00	300.00	120.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031020126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	0.00	78.75	52.50	1.00	0.40
21-2202031020323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	540.00	630.00	800.00	320.00
21-2202031130101 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	460.77	88.20	87.50	250.00	100.00
21-2202042000102 प्रौढ़ शिक्षा	0.00	1755.60	2980.60	0.00	0.00
21-2202042000203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	9.41	105.00	105.00	1061.00	424.40
21-2202042000303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	6.27	64.05	120.05	196.00	78.40
21-2202047890101 प्रौढ़ शिक्षा	12038.27	7996.80	17271.80	0.00	0.00
21-2202800010102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	229.33	280.35	350.35	1100.00	440.00
21-2202800040106 ए० एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	90.00	105.00	105.00	300.00	120.00
21-2202021070108 अन्य विद्यालय	5914.08	1750.00	5180.00	5000.00	2000.00
21-2202800040108 ललित नारायण मिश्र इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज	90.00	105.00	140.00	1000.00	400.00
21-2202800040121 बिहार राज्य भाषा अकादमी	6.03	17.50	17.50	25.00	10.00
21-2204001040108 बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट तंत्र कार्यक्रम	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
21-4202012020103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	6841.38	6090.35	25467.40	46801.00	18720.40
21-4202012030108 राजकीय महाविद्यालय	253.97	350.00	700.00	2500.00	1000.00
21-4202012030207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	532.00	532.00	2100.00	840.00
21-2202011120104 मध्यान भोजन योजना	10895.84	10500.00	16975.00	30000.00	12000.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202021030101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	557.10	437.50	175.00	0.00	0.00
21-2202031020119 नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा	0.00	0.35	1329.30	0.00	0.00
21-2202031020127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
21-2202037890301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	30.00	35.00	360.00	144.00
21-2202037960301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	30.00	35.00	140.00	56.00
21-2202047890202 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	26.25	26.25	120.00	48.00
21-2202047890203 अध्यापक शिक्षा संस्थान	2.36	12.25	12.25	0.00	0.00
21-2202047960204 अध्यापक शिक्षा संस्थान	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
21-2202047960203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	19.25	19.25	36.00	14.40
21-2202042000204 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202042000304 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202047890302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	8.75	8.75	80.00	40.00
21-2202047890301 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	35.00	21.00	0.00	0.00
21-2202047960301 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
21-2202047960302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	5.25	5.25	24.00	9.60
21-2202037890201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	245.00	245.00	540.00	216.00
21-2202037960201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	105.00	105.00	140.00	56.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-21 शिक्षा विभाग					
21-2202011910002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	0.00	54.77	54.77	156.48	62.59
21-2202011920002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	0.00	84.00	84.00	240.00	96.00
21-2202011930002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	0.00	74.93	74.92	256.89	89.91
21-2202011970002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	0.00	2610.05	99092.62	297067.00	118826.80
21-2202021910004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	201.78	80.72
21-2202021920004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	564.96	225.98
21-2202021930004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	1293.60	517.44
कुल योग	1052817.17	1177986.53	1567117.77	3030750.75	1224945.73
मांग सं0-23 उद्योग विभाग					
23-2851001020106 उद्योग मित्र	0.00	60.00	60.00	200.00	80.00
23-2851001030113 शिल्प अनुशंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	0.00	120.00	270.00	400.00	160.00
23-2851001040101 हस्तशिल्प का विकास	0.00	180.00	480.00	600.00	240.00
23-2851001080101 विद्युत करघा योजना	0.00	238.50	238.50	795.00	318.00
23-2852801020135 इन्टर प्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	60.00	60.00	60.00	200.00	80.00
23-2852801020150 सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेकनॉलाजी की स्थापना	0.00	120.00	1320.00	1548.00	619.20

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-23 उद्योग विभाग					
23-2852801020160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	0.00	11252.70	15002.70	49753.00	19901.20
23-2851001030103 हस्तकरघा विकास की योजना	0.00	91.50	91.50	305.00	122.00
23-2851001020107 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	3646.80	504.00	4341.60	2892.00	1156.80
23-2851001070101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	0.00	120.00	150.00	400.00	160.00
23-2851007890110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	4699.50	3799.50	3799.50	11902.00	4760.80
23-2851007960117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	237.30	307.50	307.50	981.00	392.40
23-6851001020101 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	3673.20	480.00	4170.00	2825.00	1130.00
23-6851007890101 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	4516.50	3616.50	3616.50	11475.00	4590.00
23-6851007960107 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	226.20	292.50	292.50	925.00	370.00
कुल योग	17059.50	21242.70	34200.30	85201.00	34080.40
मांग सं0-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230021010214 नेशनल कैरियर सर्विस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230021010314 नेशनल कैरियर सर्विस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230030030129 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230030030233 कौशल विकास मिशन	24.92	336.15	336.15	0.00	0.00
26-2230030030333 कौशल विकास मिशन	182.23	289.20	289.20	80.00	32.00
26-2230037890101 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230037960121 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960122 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	163.19	67.50	67.50	969.16	387.66
26-2230037890102 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	3007.73	2085.68	2085.26	12070.23	4828.09
26-2230030030130 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	3579.09	4582.50	4582.50	23306.11	9322.44
26-2230031010103 नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	2550.00	2550.00	10424.98	4169.99
26-2230030030105 पूर्व स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	0.00	52.50	52.50	200.00	80.00
26-2230037890302 कौशल विकास मिशन	0.00	48.00	48.00	0.01	0.00
26-2230037960302 कौशल विकास मिशन	0.00	3.00	3.00	0.01	0.00
26-2230037890204 कौशल विकास मिशन	0.00	64.80	64.80	0.00	0.00
26-2230037960204 कौशल विकास मिशन	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
26-2230020030101 नियोजन-सह-व्यवसायिक मेला	0.00	13.50	45.50	300.00	120.00
26-2230021010101 नियोजन सेवा का विस्तार	0.00	9.00	9.00	150.00	60.00
कुल योग	6957.15	10105.88	10137.46	47500.50	19000.18
मांग सं0-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2202021070109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	5803.58	8640.00	8640.00	13375.00	9630.00
30-2202021070210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	289.00	30.00	30.00	100.00	40.00
30-2202031070106 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था	23.90	150.00	150.00	500.00	200.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2225042770101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	900.00	900.00	3000.00	1200.00
30-2250000030101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.00	90.00	90.00	300.00	120.00
30-4250000510207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	242.10	3600.00	3600.00	12000.00	4800.00
30-4250000510307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	162.83	600.00	600.00	2125.00	850.00
30-4250000510308 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम विकास राज्यांश	137.29	450.00	450.00	1000.00	400.00
30-5465011900104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल सेयर)	0.00	6000.00	6000.00	10000.00	6000.00
कुल योग	6658.70	20460.00	20460.00	42400.00	23240.00
मांग सं0-33 सामान्य प्रशासन विभाग					
33-2051001030001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग	0.00	0.00	0.00	9327.49	3264.62
33-2051001030004 बिहार तकनीकी सेवा आयोग	0.00	0.00	0.00	1397.45	489.10
33-2052000900004 सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	0.00	0.00	3908.77	1368.06
33-2052000900005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग)	0.00	0.00	0.00	296.27	103.69
33-2052000900041 अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	0.00	0.00	0.00	328.98	115.14
33-2052000900045 राज्य महादलित आयोग	0.00	0.00	0.00	299.25	104.73
33-2052000900052 उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग	0.00	0.00	0.00	50.59	17.70
33-2052000920008 स्थानिक आयुक्त	0.00	0.00	0.00	219.02	76.65
33-2053000930001 जिला प्रशासन	0.00	0.00	0.00	34291.00	12001.85

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-33 सामान्य प्रशासन विभाग					
33-2053000940001 अनुमंडलीय स्थापना	0.00	0.00	0.00	18377.00	6431.95
33-2053001010001 मुख्य कार्यालय	0.00	0.00	0.00	4020.30	1407.10
33-2070000010001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु	0.00	0.00	0.00	1802.59	630.90
33-2070000030006 बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	0.00	0.00	0.00	7700.00	2695.00
33-2070000030007 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	83.75	29.31
33-2070001040012 लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभूत)	0.00	0.00	0.00	770.07	269.52
33-2070001150003 सर्किट भवन	0.00	0.00	0.00	2107.00	737.45
33-2251000920002 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय	0.00	0.00	0.00	902.00	315.70
33-2052000920122 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी	0.00	0.00	0.00	17400.00	6090.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	103281.53	36148.47
मांग सं0-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-2215011020106 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	1249.37	1638.00	1638.00	3500.00	1575.00
36-2215017890104 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	208.18	312.00	312.00	1500.00	675.00
36-2215017960105 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215011020101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	6.31	15.00	13.73	500.00	225.00
36-4215011020103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स कूप, नलकूप द्वारा)	512.86	1260.00	1260.00	3338.00	1502.10
36-4215011020116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए संरचना का विकास एवं नाबार्ड से ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-4215011020132 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	16176.57	17933.48	17933.48	33200.00	14940.00
36-4215011020230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2833.50	10080.00	10080.00	16800.00	7560.00
36-4215011020231 ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (आर0डब्लू0एस0एस0-एल0आई0एस0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215011020330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4982.99	3359.92	8639.87	3600.00	1620.00
36-4215017890111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	106.00	240.00	240.00	1662.00	747.90
36-4215017890114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4931.50	5996.62	5996.62	11800.00	5310.00
36-4215017890212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	1920.00	1920.00	3200.00	1440.00
36-4215017890312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	960.00	639.98	2739.98	1048.00	471.60
36-4215017960107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215017960119 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215017960120 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215017960217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215017960317 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215021060104 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	9.38	150.00	150.00	50.00	22.50
36-4215011020134 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण	0.00	150.00	150.00	500.00	225.00
36-2215011020107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव	12465.80	11850.00	22350.00	49500.00	22275.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-4215011020133 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	3463.22	1260.00	1260.00	8048.00	3621.60
36-4215017890115 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	657.01	240.00	240.00	3952.00	1778.40
36-4059010510128 सरकारी कार्यालय का निर्माण	0.00	750.00	750.00	2000.00	900.00
36-4216010510103 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण	0.00	300.00	300.00	442.00	198.90
36-4215011020125 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	24.87	300.00	300.00	100.00	45.00
36-2215020030102 अनुसंधान केन्द्र (प्रांजल)	0.00	30.00	30.00	10.00	4.50
36-4215011020124 ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु भौगोलिक अन्वेषण कार्य	0.00	4.50	4.50	15.00	6.75
कुल योग	49023.94	58429.50	76308.18	144765.00	65144.25
मांग सं0-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-2029001040001 राजस्व प्रशासन पर व्यय	0.00	0.00	0.00	132008.04	39602.41
40-2029001030001 भू-अभिलेख स्थापना	0.00	0.00	0.00	1569.82	470.90
40-2029000010001 जिला प्रभार-भू-अर्जन स्थापना	0.00	0.00	0.00	3835.80	1150.74
40-2029000010004 भू-अर्जन प्राधिकार	0.00	0.00	0.00	751.90	225.57
40-2052000920004 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार	0.00	0.00	0.00	181.66	54.50
40-2052000900017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.00	0.00	0.00	3203.90	961.17
40-2029001040002 हाट बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण	0.00	0.00	0.00	1500.00	450.00
40-3604002000001 भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को शेष का भुगतान	0.00	0.00	0.00	663.88	199.16
40-2052000990001 राजस्व पर्षद्	0.00	0.00	0.00	616.39	184.92

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-2506001020001 जोतों की चकबंदी	0.00	0.00	0.00	1012.13	303.64
40-2070008000002 गजेटियर्स	0.00	0.00	0.00	166.85	50.06
40-2029000010102 जोतों की चकबंदी	0.00	0.00	0.00	2200.00	660.00
40-4059800510102 जल निकाय एवं सरकारी भूमि की धेराबंदी तथा सीमांकन	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00
40-2029000030101 क्षमतावर्द्धन	0.00	0.00	0.00	200.00	60.00
40-2029001020101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	0.00	0.00	0.00	35473.97	10642.19
40-2029001030306 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	184484.34	55345.26
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना	0.00	0.00	0.00	4000.00	2000.00
42-2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	30602.14	56234.88	56234.88	70495.00	35247.50
42-2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	16015.93	9360.00	18096.00	23400.00	11700.00
42-2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0सी0	7795.11	14419.20	14419.20	18075.00	9037.50
42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0सी0	4751.65	2400.00	4632.00	6000.00	3000.00
42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0टी0	436.25	1441.92	1441.92	1808.00	904.00
42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0टी0	290.84	240.00	456.00	600.00	300.00
42-2501061010204 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	5001.79	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2501061010304 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	3334.53	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	300.38	830.00	2270.18	1080.00	896.40
42-2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	200.25	332.00	2102.75	120.00	99.60
42-2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	3834.60	3834.60	4880.00	4050.40
42-2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	547.80	547.80	814.00	675.62
42-2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	0.00	0.00	3000.00	2490.00
42-2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	0.00	0.00	2000.00	1660.00
42-2501061020202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	0.00	0.00	2500.00	2075.00
42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	42645.78	49151.77	69611.95	124634.00	103446.20
42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०सी०	0.00	12163.65	52052.57	64087.00	53192.21
42-2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०सी०	43817.38	50502.18	50502.18	25918.00	21511.94
42-2501067890203 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०सी१	580.21	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2501067890303 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०सी२	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०सी५	0.00	1801.10	1801.10	1016.00	843.28
42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०सी६	0.00	257.30	257.30	170.00	141.10

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०सी०	23410.78	12497.31	17975.31	13327.00	11061.41
42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०टी०	20044.82	23103.05	23103.05	2448.00	2031.84
42-2501067960203 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०टी१	420.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2501067960303 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०टी२	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०टी५	0.00	174.30	174.30	104.00	86.32
42-2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०टी६	0.00	24.07	24.07	16.00	13.28
42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)-एस०टी०	10723.86	5717.04	8223.64	1259.00	1044.97
42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	68480.91	169100.00	148895.50	371241.00	185620.50
42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	9592.50	22500.00	41500.00	70000.00	35000.00
42-2505021010202 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस०सी१	0.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00
42-2505021010203 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस०सी२	0.00	0.00	0.00	64200.00	32100.00
42-2505021010205 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस०सी३	0.00	0.00	0.00	57.00	28.50
42-2515001020119 सतत जीविकोपार्जन योजना	16600.00	20750.00	20750.00	25000.00	20750.00
कुल योग	305712.16	457382.17	538906.30	904249.00	542007.57

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग					
43-2203001050001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	0.00	0.00	0.00	26182.77	9163.96
43-2203001120001 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	0.00	0.00	0.00	32557.66	11395.18
43-2203000030101 शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	800.00	280.00
43-2203000040101 बिहार काउन्सिल आफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.00	2600.00	910.00
43-2203001050106 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	0.00	0.00	0.00	1680.00	588.00
43-2203001050107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस	0.00	0.00	0.00	1500.00	525.00
43-2203001120101 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	0.00	0.00	0.00	1665.00	582.75
43-4202021040109 पोलिटेकनिक (निश्चय)	0.00	0.00	0.00	13000.00	4550.00
43-4202021050106 अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)	0.00	0.00	0.00	13000.00	4550.00
43-4202021050107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस – सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	7000.00	2450.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	99985.43	34994.89
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225010010004 वैधिक सहायता	0.00	0.30	0.30	1.00	0.40
44-2225011970001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
44-2225011970002 छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225011980001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	20.00	20.00	50.00	20.00
44-2225012770002 छात्रावासों का संधारण	378.01	464.02	464.02	1638.18	655.27
44-2225012770003 आवासीय विद्यालय	4865.95	5566.96	5478.76	17916.45	7166.58
44-2225012770007 आवासीय विद्यालय	31.36	0.00	0.00	100.00	40.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225012770008 पुस्तक अधिकोष की स्थापना	1.61	3.00	3.00	10.00	4.00
44-2225012770009 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण	0.00	0.03	0.03	0.10	0.04
44-2225012770011 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	406.39	455.00	455.00	1300.00	520.00
44-2225012770012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	69.77	79.11	138.92	736.29	294.51
44-2225022770001 छात्रवृत्तियाँ/वृत्तियाँ	9.97	11.70	11.70	39.00	15.60
44-2225022770003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	0.00	0.00	0.00	237.77	95.10
44-2225022820001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण	53.35	60.08	60.08	218.38	87.35
44-2225022770004 आवासीय विद्यालय	0.00	0.00	0.00	3349.17	1339.66
44-2070000010106 अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	15.00	15.00	50.00	20.00
44-2225010010101 निर्देशन और प्रशासन	15.88	30.00	30.00	100.00	40.00
44-2225011020101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.00	15.00	15.00	50.00	20.00
44-2225011020115 महादलित विकास हेतु	9150.00	9519.30	11619.30	49200.00	19680.00
44-2225011020316 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44-2225011970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	2353.97	2842.00	2842.00	7105.00	2842.00
44-2225011980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	6338.76	6970.80	6970.80	17427.00	6970.80
44-2225012770101 शिक्षा	459.43	699.30	699.30	2450.00	980.00
44-2225012770107 शिक्षा	14540.90	19334.00	23200.80	31768.00	19060.80
44-2225012770219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	22.80	1800.00	1800.00	100.00	40.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225012770221 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1205.70	1500.00	1500.00	5000.00	2000.00
44-2225012770222 अनु0 जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	3270.95	2400.00	2400.00	1.00	0.40
44-2225012770319 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1760.75	900.00	900.00	810.00	324.00
44-2225012770321 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1201.95	1200.00	1500.00	2000.00	800.00
44-2225017930401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	848.58	0.00	0.00	0.00	0.00
44-2225021020105 अनु0 जनजाति विकास हेतु	300.00	240.00	240.00	782.18	312.87
44-2225021020201 अनु0 जनजातियों का बहुमुखी विकास -संविधान की धारा 275(01) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	300.30	630.00	630.00	2100.00	840.00
44-2225021020202 अनु0 जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	450.00	450.00	1500.00	600.00
44-2225021970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	316.16	271.20	271.20	678.00	271.20
44-2225021980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	968.23	829.20	829.20	2073.00	829.20
44-2225022770101 शिक्षा	2671.89	2014.00	2416.80	5468.00	3280.80
44-2225022770106 आवासीय विद्यालय	120.80	150.00	150.00	1500.00	600.00
44-2225022770214 अनु0 जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए	0.00	3.00	3.00	10.00	4.00
44-2225022770216 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	255.81	400.00	400.00	1000.00	400.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225027960125 थरुहट क्षेत्र विकास	878.51	828.30	828.30	3000.00	1200.00
44-2225027960228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समुहों के विकास	0.00	120.00	120.00	500.00	200.00
44-2225027960427 वनबन्धु कल्याण योजना	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
44-4425001080164 बिहार राज्य अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00
44-2225011020216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.00	0.30	0.30	1.00	0.30
44-2225010010102 आवासीय विद्यालयों की स्थापना	0.00	39.00	39.00	135.00	54.00
44-2225012770324 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2009.06	882.00	882.00	1000.00	400.00
44-2225022770316 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	0.00	80.00	80.00	200.00	80.00
44-2225022770217 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	362.00	362.00	905.00	362.00
44-2225022770315 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	120.00	120.00	200.00	80.00
44-2225017890201 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)	0.00	0.00	0.00	7000.00	2800.00
कुल योग	54806.84	61315.60	67956.81	169819.52	75374.88
मांग सं0-46 पर्यटन विभाग					
46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	5332.28	12250.00	12250.00	16200.00	8100.00
46-5452011010105 पर्यटकीय अवसंरचना का विकास	0.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00
कुल योग	5332.28	12250.00	12250.00	26200.00	13100.00
मांग सं0-47 परिवहन विभाग					
47-2041001010002 मोटर वाहन पर नियंत्रण	0.00	0.00	0.00	13167.33	3950.20
47-2052000900035 परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00	348.32	272.97

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-47 परिवहन विभाग					
47-2041001020001 वाहनों का निरीक्षण	0.00	0.00	0.00	1195.12	418.29
कुल योग	0.00	0.00	0.00	14710.77	4641.46
मांग सं0-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	7500.00	10000.00	4000.00
48-2215011920101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	1350.00	4000.00	1600.00
48-2215011930101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	150.00	1000.00	400.00
48-2215017890101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	1950.00	1950.00	0.00	0.00
48-2215017890102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
48-2215017890103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
48-2215017960102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215017960103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	60.00	60.00	1312.00	524.80
48-2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	60.00	60.00	100.00	40.00
48-2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	60.00	60.00	100.00	40.00
48-2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	2574.06	5550.00	5550.00	2000.00	800.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910106 जल जीवन हरियाली अभियान	60.00	210.00	1110.00	300.00	120.00
48-2215011920103 जल जीवन हरियाली अभियान	91.50	210.00	660.00	300.00	120.00
48-2215011930102 जल जीवन हरियाली अभियान	115.50	210.00	360.00	300.00	120.00
48-2217011910109 नागरिक सुविधा	59.33	900.00	2250.00	500.00	200.00
48-2217011910116 नागरिक सुविधा	79.44	300.00	900.00	500.00	200.00
48-2217031920105 नागरिक सुविधा	153.71	300.00	900.00	500.00	200.00
48-2217031930104 नागरिक सुविधा	69.53	300.00	750.00	500.00	200.00
48-2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	516.39	600.00	600.00	1944.00	777.60
48-2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	18.00	150.00	150.00	440.00	176.00
48-2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	150.00	150.00	616.00	246.40
48-2217011910115 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	0.00	150.00	1000.00	400.00
48-2217031930103 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	0.00	2250.00	9500.00	3800.00
48-2217017890102 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	16.99	449.99	449.99	500.00	200.00
48-2217037890102 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	332.77	1350.00	1350.00	1500.00	600.00
48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	2940.00	5400.00	5400.00	10000.00	4000.00
48-2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	6000.00	3000.00	3000.00	6000.00	2400.00
48-2217800010501 वाह्य संपोषित योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-5075601900101 पटना मेट्रो रेल	28770.00	3000.00	12900.00	5000.00	2000.00
48-2217011910106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.47	7.54	12.57	25.14	12.57

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217017890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	1290.00	3696.16	15000.00	6000.00
48-2217017890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	420.00	655.90	200.00	80.00
48-2217017960201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	60.00	171.92	600.00	240.00
48-2217017960301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	30.00	58.96	100.00	40.00
48-2217030510201 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना	257.40	14459.40	14459.40	0.00	0.00
48-2217030510203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	5204.56	5910.00	17772.91	113861.99	45544.79
48-2217030510301 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना	171.60	3000.00	3000.00	0.00	0.00
48-2217030510202 अमृत	858.00	15720.00	15720.00	0.00	0.00
48-2217030510302 अमृत	0.00	2399.99	2399.99	0.00	0.00
48-2217030510303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	1769.99	2250.00	4639.94	12500.00	5000.00
48-2217031910102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.00	149.01	149.01	298.02	149.01
48-2217031920102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	22.50	324.45	324.45	648.90	324.45
48-2217031930102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.00	234.48	234.48	468.96	234.48
48-2217037890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	1500.00	4297.86	64180.02	25672.00
48-2217037890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	870.00	1922.76	1178.97	471.58
48-2217037960203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	188.10	240.00	687.66	2485.99	994.39
48-2217037960303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	60.00	29.99	72.43	200.00	80.00
48-3475001080202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	1237.50	1237.50	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-3475001080302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-3475007890202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
48-3475007890302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-3475007960202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	52.50	52.50	0.00	0.00
48-3475007960302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2217010510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	240.00	240.00	2500.00	1000.00
48-2217030510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
48-2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217037960101 मु० शहरी नाली-गली पक्की० निश्चय योजना	0.00	299.99	299.99	0.00	0.00
48-2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	3599.99	3599.99	4999.99	1999.99
48-2217037960101 मु० शहरी नाली-गली पक्की० निश्चय योजना	0.00	299.99	0.00	0.00	0.00
48-2217010510201 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	5400.00	5400.00	10000.00	4000.00
48-2217010510301 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	3000.00	3000.00	6000.00	2400.00
48-2217030510206 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	5400.00	5400.00	10000.00	1800.00
48-2217030510306 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	3000.00	3000.00	6000.00	2400.00
48-2217030510207 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	5400.00	5400.00	10000.00	4000.00
48-2217030510307 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	3000.00	3000.00	6000.00	2400.00
48-2217011910106 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.00	12.57	12.57	25.14	12.57
48-2215021050101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन -निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	1000.00	400.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215027890104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन -निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	1000.00	400.00
48-2215027960106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन -निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	1000.00	400.00
48-2215021070101 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम-सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	15000.00	6000.00
48-2215027890103 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम-सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	11500.00	4600.00
48-2215027960105 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम-सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	3500.00	1400.00
48-2217050010103 क्षमतावर्धन	0.00	0.00	0.00	108.86	43.54
48-2217050010101 ई-गवर्नेन्स	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00
48-2217010510103 शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा कराये जाने वाले कार्य	0.00	0.00	0.00	200.00	80.00
48-2217030510103 शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा कराये जाने वाले कार्य	0.00	0.00	0.00	200.00	80.00
48-2235021040112 मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय योजना	0.00	0.00	0.00	2000.00	800.00
48-2217031910113 भू-अर्जन	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00
48-2217030510212 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	1516.00	606.40
48-2217030510309 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	1500.00	600.00
48-2217030510213 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	13644.00	5457.60
48-2217030510310 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	9000.00	3600.00
48-2217030510214 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	26660.00	10664.00
48-2217030510311 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	10000.00	4000.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217030510215 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	4246.00	1698.40
48-2217030510312 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	1000.00	400.00
48-2017030510216 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	2132.00	852.80
48-2217030510313 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	0.00	0.00	1000.00	400.00
48-2217030510208 अमरुत-2	0.00	0.00	0.00	104800.00	41920.00
48-2217030510308 अमरुत-2	0.00	0.00	0.00	21000.00	8400.00
48-2217030510209 अमरुत-2	0.00	0.00	0.00	3400.00	1360.00
48-2217030510210 अमरुत-2	0.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00
48-2217030510211 अमरुत-2	0.00	0.00	0.00	4000.00	1600.00
48-2215021070104 स्टार्म वाटर ड्रेनेज (एन०एच०बी० पोषित)	0.00	0.00	0.00	20000.00	8000.00
48-2215010510101 पेय जलापूर्ति योजना (एन०एच०बी० पोषित)	0.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00
48-4202031020102 मोईनुलहक स्टेडियम पटना निर्माण	0.00	0.00	0.00	1000.00	400.00
48-5054053370101 बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने हेतु भूमिगत मार्ग निर्माण योजना ।	0.00	0.00	0.00	2450.00	980.00
48-5075600500101 पटना मेट्रो रेल	0.00	0.00	0.00	1000.00	400.00
48-7075601900101 पटना मेट्रो रेल	0.00	0.00	0.00	2000.00	800.00
कुल योग	50470.55	106117.43	152998.94	601591.99	238583.37

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2210061010113 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	2340.00	3270.00	3270.00	10900.00	4360.00
51-2235021010106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान	99.97	99.00	145.52	330.00	132.00
51-2235021010119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	0.00	1110.00	1378.64	4106.30	1642.52
51-2235021010121 मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	162.16	164.00	202.70	400.00	160.00
51-2235021020117 आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	5636.33	4228.00	6180.19	0.01	0.00
51-2235021020222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	65841.75	70808.00	61224.29	77856.69	66178.29
51-2235021020223 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई०सी०पी०एस०)	2936.12	4261.05	5707.75	5461.89	4642.61
51-2235021020225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई०एस०एस०एन०आई०पी० सहित)	6619.06	12997.00	11419.42	19893.63	9548.94
51-2235021020322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	50449.50	17796.00	41246.38	15742.02	13380.70
51-2235021020323 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई०सी०पी०एस०)	2799.98	2986.56	2272.35	2134.74	1992.35
51-2235021020325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई०एस०एस०एन०आई०पी० सहित)	1825.39	2459.00	7586.85	2370.97	1138.07
51-2235021020327 आंगनवाड़ी सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	25188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2235021040106 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	750.00	1000.00	1000.00	2500.00	1000.00
51-2235021040107 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	202.50	180.00	336.00	500.00	150.00
51-2235021040504 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021060106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	390.12	435.00	459.00	1650.28	660.12
51-2235021060107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	56.05	117.44	117.44	391.72	156.68
51-2235022000103 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	384.70	390.00	577.05	1000.00	400.00
51-2235022000105 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	383.41	385.00	612.48	500.00	382.80
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	450.00	4.50	15.00	6.00
51-2235027890103 आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	1904.67	3676.00	2075.81	0.01	0.00
51-2235027890104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	346.50	195.00	192.35	500.00	200.00
51-2235027890111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	0.00	180.00	312.08	1400.00	630.00
51-2235031010101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	5319.14	4590.00	758.85	4000.00	2023.60
51-2235031010102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	26.57	16.00	16.00	40.00	16.19
51-2235031010201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	42068.75	33811.32	46103.17	83573.00	42279.58
51-2235031010202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	2863.59	1405.12	1526.12	3771.00	1526.12
51-2235031010301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	41413.78	10623.90	7082.60	10000.00	5059.00
51-2235031010302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	1391.70	283.29	283.29	500.00	202.35
51-2235031020203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना	1680.00	6901.20	6901.20	7400.00	7092.90
51-2235037890101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1743.75	2040.00	2023.60	4000.00	2023.60

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235037890103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	13.30	4.00	4.00	10.00	4.05
51-2235037890201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	11145.10	18338.88	11686.29	27873.00	14100.95
51-2235037890203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	604.80	496.97	381.63	943.00	381.63
51-2235037890301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	10713.75	5564.90	3035.40	17995.00	9103.67
51-2235037890303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	269.18	161.88	161.88	300.00	121.41
51-2235037960203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	637.43	1475.20	583.81	4124.00	2086.33
51-2235037960303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	816.94	1517.70	505.90	880.00	445.19
51-2235601020104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	17710.50	5425.00	7441.20	13900.00	6255.00
51-2235607890103 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	4178.40	3150.00	3100.50	8400.00	3780.00
51-2236021010203 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	41517.92	84140.00	56423.48	63763.15	36345.00
51-2236021010303 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	0.00	0.00	17385.01	0.01	0.00
51-2236027890204 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	8362.29	34431.00	11976.52	63881.56	36412.49
51-2236027890304 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	30948.70	42002.00	28165.93	30165.99	17194.61
51-2236027960305 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	4157.96	8359.00	5605.38	9834.00	5605.38

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2022-23 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2023-24 (जेंडर बजट अनुमान)	2023-24 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-4235021020208 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	6453.16	0.00	198.00	6000.00	3000.00
51-4235021020308 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	0.00	0.00	132.00	0.01	0.00
51-2235022000201 नेशनल एक्शन प्लान फौर ड्रग डिमांड रिडेशन	5.84	90.00	90.00	300.00	120.00
51-2235021040201 नेशनल एक्शन प्लान फौर ड्रग डिमांड रिडेशन	0.00	150.00	227.35	1100.00	440.00
51-2235021020105 एम0आई0एस0	579.11	735.00	855.00	2412.31	964.92
51-2235021040109 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	111428.22	40351.50	60082.10	60500.00	32651.85
51-2235027890114 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	11915.96	13085.28	11135.09	24338.00	13135.22
51-2235027960125 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	1669.82	2160.00	1915.98	4900.00	2644.53
51-2235021040110 वाह्य संपोषित	1650.00	1650.00	1950.00	5000.00	2000.00
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	4.50	4.50	15.00	6.00
51-2235021010111 पदाधिकारियों का परीक्षीण	0.82	5.40	5.40	18.00	7.20
51-2235021020121 बाल सहायता योजना	0.00	7.35	0.00	14.00	5.60
कुल योग	529603.29	450163.44	434067.98	607604.29	353995.45
मांग सं0-52 खेल विभाग					
52-2202031020033 बिहार खेल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	338.07	118.32
52-2204001010002 शारीरिक शिक्षा	0.00	0.00	0.00	1061.51	371.53
52-2204001040011 खेल-कूद	0.00	0.00	0.00	1180.19	413.07
52-2204001040109 खेल कूद	0.00	0.00	0.00	15000.00	5250.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	17579.77	6152.92
महायोग	2371670.20	2741233.64	3352442.50	7231097.66	3217990.39



बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार